खण्ड-428, अंक-10
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(23 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–90
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	90
गढ़रोड मेरठ से सब्जी मण्डी हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	91
प्रदेश राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता सूची पर न्याय विभाग का मत प्राप्त कर अग्रतर कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद मैनपुरी के ग्राम सोवनपुर ब्लाक बेवर में महीला स्कैप पर पुल बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92
प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में की जा रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92
जौनपुर सदर में वर्ष 97-98 व 98-99 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गये फर्जी भुगतान की टी० ए० सी० से जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	93
रेल कूपन से यात्रा के समय शताब्दी एक्सप्रेस में टिकट न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93
न्यायमूर्ति श्री अचल बिहारी श्रीवास्तव द्वारा 21 अक्टूबर, 97 को विधान सभा मण्डप में घटी घटना की जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93–97
दिनांक 22-2-99 को निलम्बन वापसी के उपरान्त श्री राम औतार शाक्य के प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	98
सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पद पर एक दल विशेष के लोगों को नामित किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	98
ऊर्जा सलाहकार समिति सीतापुर की दिनांक 20-2-99 को हुई बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विधायकों के अधिकारों का हनन किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99–101
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	101
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	101
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव...(स्वीकृत)	102–104
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं	104–131
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	131–161
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	161–162
प्रदेश में निर्धारित परिव्यय से सड़कों के पुनर्निमाण पर रोक से उत्पन्न अव्यवस्था के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य	162–165
जनपद बागपत में विनौली से अमीर नगर सराय तथा बड़ौत से बुढ़ाना मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री समर पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	165
मेरठ स्थित पशु वधशाला (कमेले) में लाइसेन्स द्वारा निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध किए जाने तथा दिल्ली/हापुड़ से हड्डी तथा मांस लाकर वहां चर्बी पकाने का काम अवैधानिक रूप से किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	165–168
ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण की व्यवस्था के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	168
नत्थियां	169–172

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, 23 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अजय राय, श्री	वाराणसी	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अमर मणि, श्री	महराजगंज	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	फतेह बहादुर, श्री	महाराजगंज
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव	बाबू खां, श्री	हरदोई
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	मोती लाल, श्री	खीरी
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
केशो मेहरा, श्री	आगरा	रघुराज प्रताप सिंह	
कैलाश, श्री	गाजीपुर	"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	रमेश राही, श्री	सीतापुर
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
गोरखनाथ पाण्डेय, श्री	भदोही	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर

रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लाल सिंह वर्मा, श्री	इटावा
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विश्वनाथ, श्री	पडरौना
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
श्रीराम, श्री	मऊ
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सन्त, श्री	गोरखपुर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, पहाड़पुर गांव में सांगीपुर थाने के अन्तर्गत–

श्री अध्यक्ष–

किस नियम में उठा रहे हैं । कार्यवाही चलने दीजिए .

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ० प्र० राज्य कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि से निकाली गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्य योजना

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि में जमा धन का उपयोग शासन द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो 21 सितम्बर, 1997 से अब तक सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि से कुल कितनी धनराशि निकाली गई और उसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार ने उक्त तरीके से निकाली गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

भविष्य निर्वाह निधि एक लोक लेखा खाता है । जिसका रख-रखाव निर्धारित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा उसका विवरण बजट साहित्य के खण्ड–2 में दर्शाया जाता है । लोक लेखा में उपलब्ध धनराशि पर नियमानुसार ब्याज दिया जाता है तथा धनराशि का उपयोग किया जाता है ।

भविष्य निर्वाह निधि की नियमावली, 1985 के अन्तर्गत कर्मचारियों के भुगतान हेतु निकाली जाती है । अन्यथा स्थिति में यह लोक लेखा में जमा रहती है और उपरोक्तानुसार ब्याज अर्जित करती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो जवाब दिया है उसको आप देखें, प्रश्न कुछ और था और जवाब कुछ और दिया गया है मेरा प्रश्न था "क्या सरकार बतायेगी कि राज्य कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि में जमा धन का उपयोग शासन द्वारा किया जा रहा है ?" इसका जवाब आया है..

श्री अध्यक्ष–

आप अन्तिम वाक्य देखें । नियमानुसार ब्याज दिया जाता है तथा धनराशि का उपयोग किया जाता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

इसमें जो राज्य सरकार द्वारा धन का उपयोग किया जा रहा है । आप इससे सहमत होंगे, जैसा कि बताया गया है कि लोक लेखा खाते में धनराशि जमा रहती है और उस पर कर्मचारियों को ब्याज दिया जाता है, तो इसको ऐसी मदों में खर्चा होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

लोक लेखा आपके हिसाब से क्या है ? इसका पैसा किस मद में खर्चा होता है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी मदों पर पैसा खर्च कर रहे हैं । मेरी जानकारी है कि अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में कर्मचारियों की तनख्वाह पर भविष्य निर्वाह निधि का पैसा ख़र्चा कर दिया गया है । इसको कैसे समायोजित करेंगे इसकी कोई कार्य योजना नहीं है ? कर्मचारियों को इससे खतरा पैदा हो गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी अनुमानित मदें हैं ? जिस पर भविष्य निर्वाह निधि का पैसा खर्च किया गया है ?

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसी विशेष मद कोई नहीं है और न ही इसमें घुमाने की बात है । वस्तुस्थिति सामने रखने की बात है । भविष्य निर्वाह निधि का पैसा कर्मचारियों का है । कर्मचारी उसको निकाल सकता है । सरकार का जहां तक सवाल है सरकार कस्टोडियन है ट्रस्टी है सरकार के पास उसका पैसा रखा है वह पैसा निकालता है वरना सरकार के पास उसका पैसा इन्वेस्टमेन्ट है । इसमें 12 प्रतिशत उसको ब्याज मिलेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व की जो सरकारें अब तक आईं भविष्य निर्वाह निधि के पैसे को उन्होंने खर्च किया वह कितने प्रतिशत था ? मौजूदा सरकार ने जो खर्च किया वह कितने प्रतिशत था ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रतिशत की बात कही गयी । जितना पैसा सिवाय उसके कि कर्मचारी ने स्वयं निकाला है । बाकी सारे का सारा पैसा सरकार के पास ट्रस्टी के रूप में रहता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने हित में कितना खर्च कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

जो लोक लेखा का पैसा होता है । वह सरकार के पास रहता है । जितना कर्मचारी निकालता है । उसको छोड़कर सारा पैसा सरकार के पास रहता है । प्रतिशत के लिए अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, शाक्य जी ने पूछा है कि राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि से कितनी धनराशि निकाली गयी और उसका औचित्य क्या है ? क्या उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? इसका उत्तर नहीं आया । आप कह रहे हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता दिया है कि भविष्य निर्वाह निधि का पैसा लोक लेखा में रहता है और उस पर ब्याज दिया जाता है । श्रीमन्, कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि का जो पैसा होता है, वह इसलिए होता है कि जब उसको आवश्यकता पड़े विवाह शादी या बीमारी के लिए तभी वह निकालता है और सरकार जो अपने को ट्रस्टी कहती है वह उस पैसे का दुरुपयोग कर डाले । दुरुपयोग इसलिए कह रहा हूं कि पैसा विभिन्न मदों में खर्च कर दिया गया । चाहे वह वेतन में खर्च कर दिया हो । तो भविष्य निर्वाह निधि का जो पैसा लोक लेखा में जमा है । इस वर्ष 98-99 में कितना पैसा कुल जमा है और कितना पैसा निकालकर खर्च किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 98-99 का जहां तक प्रश्न है, 31 मार्च, 99 को वित्तीय वर्ष पूरा हो सकेगा और यह सारा एकाउन्ट्स ए०जी० द्वारा मैन्टेन होता है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप यह बता दीजिये कि जनवरी, 99 तक कुल कितना पैसा निकाला गया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक निकालने वाली बात है तो जितना आवश्यकता होती है । कर्मचारी/अधिकारी को, वह निकालता है । अगर वह फीगर जानना चाहें तो ...

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सरकार ने कितना पैसा निकाला है ?

श्री हुकुम सिंह–

भविष्य निधि के रूप में सामान्य रूप से 10 प्रतिशत पैसा जमा करता है । कर्मचारी अब इसमें निकाला केवल वह जो कर्मचारी ने लिया ।

श्री अध्यक्ष–

जो लोक लेखा में जमा होता है वह तो विभिन्न स्रोतों से आता है । ऐसा नहीं है कि केवल भविष्य निधि का हो, अब उसमें विभिन्न स्रोतों से जो पैसा मिला तो क्या निधि को स्रोत के अनुसार बनाते हैं। मान लीजिए मेरी आमदनी कृषि से है, ब्याज से है, व्यवसाय से है, तो एक साथ इकट्ठा हो गया तब खर्च करेंगे या विभिन्न आमदनी का इन-इन मद में खर्च कर सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो पैसा जमा हुआ सरकार के पास भविष्य निधि के रूप में हम उसके आंकड़े दे देते हैं । यह 31 मार्च, 1998 तक के अन्तिम हैं । 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ प्रतिमाह जमा होता है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं । आगे के आंकड़े हम फाईनल 31 मार्च, 1999 के बाद ही दे पायेंगे । तो इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पैसा सबके लिए है। शादी, बीमारी आदि में कर्मचारी पैसा निकाल सकता है वह आंकड़े हमारे पास हैं कि कितना निकला।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह तो पूछा ही नहीं गया।

सरकार के पास लोक-लेखा निधि में जो पैसा पी०एफ० का जमा था 31 जनवरी तक। वह उसका कितना था और उसमें जो सरकार ने विभिन्न मदों में जो पैसा खर्च किया वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष–

पूरा का पूरा पैसा सरकार के डिस्पोजल पर है जितना कर्मचारी निकालेगा बाकी तो सरकार खर्च कर सकती है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, तमाम समाचार-पत्रों में सरकार का वर्जन आया कि लोक-लेखा निधि से इतना उधार लिया गया। आप कहते हैं कि पैसा लिया जाता है। लोक-लेखा निधि को, अब यह घुमा-फिराकर उत्तर दिया जा रहा है। स्पष्ट नहीं बताना चाहते हैं कि कितना पैसा निकाला गया ? सरकार जानबूझकर स्पष्ट बताने से कन्नी काट रही है क्योंकि इसमें कर्मचारी बुरा-भला कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपने पिछले बजट भाषणों को देखा होगा उसमें आता है कि इतना पैसा लोक-लेखा निधि से लिया गया।

श्री धनीराम वर्मा–

90 प्रतिशत पैसा सरकार ने खर्च कर लिया है, स्पष्ट उत्तर दें, मान्यवर, यह स्पष्ट उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है और छिपता भी नहीं। अगर कोई छिपाना चाहे पिछले वर्ष का साहित्य आपके पास होगा कि भविष्य निर्वाह निधि से इतना पैसा आया है लोक-लेखा में।

1998-99 में अप्रैल से लेकर जनवरी, 1999 तक जो कर्मचारियों ने निकाला अपने लिए वह फीगर है 614 करोड़ रुपये।

श्री राम औतार शास्त्री–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा स्पष्ट प्रश्न था कि 31 दिसम्बर, 1997 से लेकर अब तक सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के पी०एफ० से कुल कितनी धनराशि निकाली गयी। हमारा यह कहना है कि सरकार ने वित्तीय अनियमितता की है और इसलिए स्पष्ट रूप से सरकार सदन में उसका खुलासा नहीं कर रही है। निश्चित रूप से मैं जानना चाहता हूं कि माह अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर इन तीन महीनों में उस लोक लेखा खाता से तनख्वाह वगैरह बांटने के लिए क्या उस निधि से सरकार ने पैसा निकाला है या नहीं ? अगर निकाला है तो क्या यह एक अनियमितता नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तनख्वाह और सारे खर्चे लोक-लेखा से चलते हैं और लोक-लेखा की मद में अनेकों मद हैं। उसमें भविष्य निधि भी एक मद है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि प्रतिमाह भविष्य निर्वाह निधि के

मद में सरकारी खजाने में पैसा जमा होता है । मैंने बताया कि 80-85 करोड़ के लगभग प्रतिमाह जमा होता है और यह भी बताया था कि कर्मचारियों ने इस वर्ष में वित्तीय वर्ष जनवरी, 99 तक कितना पैसा निकाला । यह दोनों बातें आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है बाकी का पैसा सरकार के पास है । आप क्या पूछना चाहते हैं ? पूछें, मेरे पास सारी फीगर है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, रुपया जो जमा है उसको इसी मद में खर्च किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

लोक लेखा में विभिन्न मदों में पैसा जमा होता है, यह स्रोत है, इसमें इतना पैसा जमा है, यह स्रोत है इसमें इतना पैसा जमा है । यह स्रोत है इसमें इतना पैसा जमा है । तो एक साथ यह कंसालीडेट हो गया । अब जो खर्च हुआ है । 4 श्रोतों की आमदनी एक साथ इकट्ठा हो गयी है । उसमें जो व्यय कर रहे है, वह कर रहे हैं, जितना बचा है, वह बचा है । विभिन्न श्रोतों से यह पैसा इकट्ठा श्रोतवार उसका हिसाब है । विशेष मद में जो खर्च करना है । उसका हिसाब है शेष इकट्ठा है, उसमें से खर्च होता रहेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, यह सही है कि विभिन्न मदों से पैसा आता है और सरकार के पास जमा होता है । समेकित निधि अलग है । अग्रिम और ऋण अलग है । लेकिन भविष्य निधि का पैसा लोक-लेखा में ही जाता है । लोक-लेखा में जाता है वह सिक्योरिटी का या किसी न्यायालय में सिक्योरिटी का, यह भविष्य निधि का पैसा होता है और उस पैसे को समय-समय पर न्यायालय लीज करने का आदेश देती है या ठेकेदार अपनी जमा की हुई धनराशि वापस ले लेता है । यह भविष्य निधि कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है तो मैं कहना चाहता हूं कि लोक-लेखा में जो धन जमा था, कर्मचारियों ने जितना निकाल लिया, उस धनराशि के अतिरिक्त क्या पूरा पैसा लोक-लेखा निधि में जमा है या उसमें से कुछ निकाल करके सरकारी खर्चे में भी प्रयोग किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

लोक-लेखा में लोक-भविष्य निर्वाह निधि का पैसा है । वह राज्य सरकार के पास सुरक्षित है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह स्थिति तब आती जिसकी आपको आशंका है कि कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर वह अपना पैसा मांगते और हम न दे पाते । तब आपको शिकायत होती कि हमने पैसे का अपव्यय किया है । इसीलिये मैंने फीगर्स दिये हैं । जिन कर्मचारियों ने पैसा मांगा उनको नियमानुसार दिया जा रहा है और आगे भी पैसा मांगने पर दिया जायेगा उनका पैसा सुरक्षित है ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, यह सरकार कर्मचारी विरोधी हैं, कर्मचारियों का शोषण करती है और सही उत्तर नहीं देकर गुमराह करती है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ था ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने 11 बजकर 19 मिनट पर पुकारा था । अब 11 बजकर 20 मिनट हो गये हैं ।

प्रदेश व जिले स्तर पर समूह 'ग' की भर्ती हेतु ली गयी परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री लाखीराम जोशी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में "समूह ग" के हजारों पदों पर भर्ती हेतु पिछले वर्ष प्रदेश स्तर पर और प्रत्येक जिले में परीक्षाएं आयोजित की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? परीक्षा फल कब तक घोषित करके उन पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

लिखित परीक्षा का परिणाम नियुक्ति प्राधिकारियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं । अब नियुक्ति प्राधिकारी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे । यह प्रक्रिया दिनांक 28-2-99 तक पूरी करने के निर्देश दिए गये हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के उद्यमियों को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने हेतु "एकल मेज व्यवस्था" सम्बन्धी शासनादेश लागू किये जाने की जानकारी

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिये "एकल खिड़की" प्रणाली प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या उक्त प्रणाली में उद्यमियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु भी कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री "पटेल" रामकुमार वर्मा)–

प्रदेश में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यमियों के लिए एक छत के नीचे "एकल मेज व्यवस्था" शासनादेश दिनांक 14-12-98 द्वारा लागू कर दी गयी है ।

उद्यमियों को अनावश्यक चक्कर लगाने की कठिनाइयों से मुक्ति हेतु विभिन्न विभागों की वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों के सम्बन्ध में आवेदन-प्रपत्रों का निस्तारण केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु "एकल मेज व्यवस्था" लागू की गयी है ।

उक्त प्रणाली केवल स्वीकृतियों एवं अनुमोदन समय-सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने तक सीमित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्बाध विद्युत आपूर्ति का विषय इस योजना के परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है । इसका प्राविधान नई औद्योगिक नीति में किया गया है, जिसके अन्तर्गत 24 औद्योगिक क्षेत्र, 14 शत-प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयां, रु० 50 करोड़ से ऊपर निवेश वाली 18 औद्योगिक इकाइयों को तथा 10 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली इलेक्ट्रानिक/खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 15 औद्योगिक इकाइयों को रोस्टरिंग से मुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त 75 प्रतिशत से अधिक भार वाले 13 औद्योगिक एवं 50 डेडीकेटेड/स्वतंत्र फीडरों को भी रोस्टरिंग से मुक्त कर दिया गया है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बने और लोग उद्योग लगाने के लिये उत्साहित हों । उत्तर आया है कि बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यमियों के लिये एक छत के नीचे ''एकल मेज व्यवस्था'' लागू की गयी है । मान्यवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उद्योगों का जाल बिछाने के लिये उसकी अवस्थापना सुविधाओं में सबसे प्रमुख विद्युत है । विद्युत की जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत खराब है । मैंने प्रश्न किया था कि उद्योगों का जाल बिछाने के लिये उद्यमियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु कोई व्यवस्था सरकार ने की है । सरकार ने उत्तर दिया है कि प्रश्न नहीं उठता । मेरी समझ में नहीं आता है कि अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं है तो एकल मेज व्यवस्था का लाभ क्या है ? प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के लिये उद्यमियों को उत्साहित करने के लिये विद्युत उत्पादन बढ़ाने निर्बाध विद्युत सुविधा देने के लिये सरकार क्या कर रही है ? क्या इस एकल मेज व्यवस्था लागू करने से उद्यमी उत्साहित हुये और उन्होंने कितने उद्योग लगाये ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

*श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि एकल मेज व्यवस्था जो की गयी है उससे क्या लाभ हुआ है । मान्यवर, इससे पहले जो नीति थी उसमें ऐसी कोई योजना नहीं थी । जो योजना सरकार ने बनायी है उसमें उद्यमियों को एक ही मेज पर सुविधायें मिलेंगी ।

पहले आफिस-आफिस का चक्कर लगाना पड़ता था । स्वीकृतियों के लिये, प्रपत्र प्राप्त करने के लिए । उसमें बहुत श्रम और समय लगाना पड़ता था । जो प्रश्न, प्रश्नकर्ता ने किया है, इस योजना के अन्तर्गत एक मेज की व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत यह बात नहीं आती है । विद्युत आपूर्ति के बारे में सरकार ने पहले ही कहा है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने अलग से नीति घोषित की है । उसके बारे में अलग से प्रश्न करना चाहिए था ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबसे एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गयी है । तब से और लागू करने के पहले की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है ? क्या माननीय मंत्री जी को इसकी कोई जानकारी है ? बड़े सूझबूझ से यह व्यवस्था लागू की गयी है । पिछली परिस्थिति से और अब की स्थिति में क्या कोई अन्तर दिख रहा है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि निश्चित रूप से व्यवस्था को दो चरणों में प्रदान किया गया है। प्रथम चरण में उद्यमियों की समस्या का निदान कराने के लिए जो 25 करोड़ का निवेश करने वाले लोग हैं। उनके लिए जिला उद्योग बन्धु की योजना बनी है और 25 करोड़ से ऊपर प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु का गठन किया गया है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जनपदवार बता दूंगा। इससे उद्योग के क्षेत्र में काफी राहत मिली है।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबसे एकल खिड़की प्रणाली प्रारम्भ की है। जब से सरकार पदारूढ़ हुई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले कितने उद्यमी आकर्षित हुये हैं और कितने लेटर आफ इन्टैन्ट (एल०ओ०आई०) जारी किये हैं ? माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य जनपदवार चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

बहुत स्पष्ट सवाल है कि 100 करोड़ से अधिक के कितने एल०ओ०आई० जारी किये हैं। आप यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो बता दें।

श्री "पटेल" रामकुमार वर्मा–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस सवाल को स्थगित कर दें और इस पर तैयारी करके माननीय मंत्री जी आये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहूंगा। पहला जो मूल प्रश्न है औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों के लिए एकल खिड़की खत्म हो गयी और एक छत के नीचे एकल मेज की व्यवस्था लागू की गयी जिससे औद्योगिक विकास हो। मान्यवर, एकल मेज व्यवस्था लागू करने के बाद औद्योगिक विकास कितने प्रतिशत पहले की अपेक्षा बढ़ी ?

श्री अध्यक्ष–

14-12-98 से यह योजना लागू की गई है। अभी इसके आंकड़े कैसे आ गए होंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

औद्योगिक विकास पहले की अपेक्षा कुछ हुआ है कि नहीं। इस प्रणाली से कुछ सुधार हुआ है ? दूसरा एक अवस्थापना सुविधा विद्युत है और ला एण्ड आर्डर इनके बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। सरकार यह आश्वासन देगी कि उद्योगों को निर्बाध गति से 24 घण्टे बिजली दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रदेश के औद्योगिक विकास से संबंधित प्रश्न है और दोनों पक्ष इसमें रुचि रखते हैं । इसलिए इस पर नियम–49 के तहत होली के अवकाश के बाद किसी दिन चर्चा करा ली जाए । आप लोग एक सूचना मुझे दे दें । इस पर सकारात्मक चर्चा हो जाएगी । एक सूचना मुझे लिखित रूप से दे दें ।

*2–श्री उदय राज यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, प्रमुख सचिव के प्रयोग हेतु अनुमन्य राजकीय वाहन

*3–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, प्रमुख सचिव, सचिव के प्रयोग हेतु एक से अधिक राजकीय वाहन अनुमन्य हैं ? यदि हां, तो एक से अधिक वाहनों का प्रयोग किन-किन मंत्रियों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों द्वारा किया जा रहा है ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन यह सही है कि सचिवगण एक से अधिक वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं । इसलिए इस सदन की एक समिति बना दी जाए । जो सारे तथ्यों की जांच कर लेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह सही है कि सचिवों द्वारा एक से अधिक वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं । सदस्य ने जो मांग की है वह सही है । निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है कि जी नहीं । अब जांच का क्या औचित्य ?

श्री धनीराम वर्मा–

जब प्रश्नकर्ता सदस्य ने चाहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि किसी मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है । निदेश 165-166 के अन्तर्गत प्रमाण संलग्न करते हुए और यह लिखते हुए कि अमुक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह सही नहीं है इसकी आप सूचना दें । सदन में इस प्रकार कहना कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है । वह सही नहीं है और सदन की समिति जांच करें । यह तो अनुमन्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, उत्तर के आने के बाद ही तो हम कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यदि लिखित उत्तर गलत है तो आप निदेश–165 तथा 166 में सूचना दे सकते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक गाड़ी के अतिरिक्त 6-6 वाहन संबंधित विभागों के चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप निदेश 165, 166 के अन्तर्गत सूचना दे दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं कि एक ही वाहन अनुमन्य है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस अनुमन्य वाहन के अतिरिक्त अपने से संबंधित विभागों/निगमों से अपने साथ वाहन लगवा रखे हैं। चाहे उसका प्रयोग सुरक्षा के लिये कर रहे हों या अपने परिवार के लिये कर रहे हों। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदत्त किये गये एक वाहन के अतिरिक्त जिस विभाग के वह मंत्री हैं क्या उससे संबंधित विभाग/निगम से अपनी सुरक्षा तथा परिवार के लिये अतिरिक्त वाहन लगवा रखे हैं ? मान्यवर, मैं नियम 63 का हवाला देते हुए कहना चाहता हूं कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं यह छत नीचे गिर जाय और हम मर न जायं..

श्री अध्यक्ष–

इसके नीचे तो वही दबेगा, जो इसका पात्र होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दुनिया जानती है कि एक-एक मंत्री 2-3 गाड़ियां लेकर घूम रहा है। जवाब आ रहा है कि कोई वाहन लगा हुआ नहीं है। सरकार का यह जवाब सत्य से परे और इतना अविश्वनीय है। इसलिये मैं नियम–63 के अन्तर्गत सूचना दे रहा हूं। इसमें लिखित की आवश्यकता नहीं है। सदन के सामने हो रहा है और सदन की जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष–

सदन के अन्दर और सामने कोई वाहन नहीं चल रहा है। सदन के बाहर चल रहा होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप ही जवाब दे देंगे तो हम सप्लीमेन्टरी कैसे पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न पूछने वाला होगा तो मैं अवश्य उसकी अनुमति दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मंत्रियों के साथ विभाग से तथा निगम से कोई गाड़ी उनके साथ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अन्यथा मैं जो डीजल और पेट्रोल जो मंत्रियों की सुरक्षा में गाड़ियां लगी हुई हैं। यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले प्रश्न के दूसरे भाग को देखिये । दूसरे भाग में किसी भी मंत्री को, आपके लिये अनुमन्य है कि नहीं मुझे नहीं मालूम । सुरक्षा हेतु गाड़ी लगी हुई है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है । किन-किन मंत्रियों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों द्वारा उपयोग किया जा रहा है । इसके लिये मंत्रियों को सुरक्षा हेतु जो गाड़ी उपलब्ध करायी गई है । उसका उपयोग तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जा रहा है । मंत्री द्वारा कहां किया जा रहा है । जिस प्रकार का प्रश्न किया गया है । वैसा ही उत्तर आया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अनुमन्य जो है राज्य सम्पत्ति विभाग से एक मंत्री को एक गाड़ी । विभाग से सुरक्षा के नाम पर या निगम से एक के अलावा और गाड़ियां सुरक्षा के नाम पर परिवार के नाम पर उपलब्ध हैं । यह बता दें ?

* श्री कलराज मिश्र–

उत्तर स्पष्ट है । प्रश्न पूछा गया है कि अनुमन्य है कि नहीं । उत्तर में साफ-साफ कहा गया है कि एक ही गाड़ी अनुमन्य है इसलिये इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने बी० आर० वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न पूछा गया है इसमें कहा गया है कि एक ही वाहन अनुमन्य है । मैं यह भी कह रहा हूं । मेरे समय में भी दुरुपयोग हुआ है । इसीलिये मैं कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

यह मेरे जैसा व्यक्ति कहने का साहस रखता है तब ही कह रहा है और मैं इसलिये कह रहा हूं । मान्यवर, इस प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति जिसका जिक्र आये दिन सदन में माननीय मंत्री जी के द्वारा सुनने को मिलता है । आप यह भी कहते हैं कि हर कटौती करने के लिये आप वचनबद्ध हैं । मैं प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में जानना चाहता हूं कि यदि हां, तो एक से अधिक वाहनों का प्रयोग किन-किन मंत्रियों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों द्वारा किया जा रहा है । जब एक ही वाहन अनुमन्य है परन्तु एक से अधिक वाहन का प्रयोग उनके विभाग से या संबंधित विभाग के निगम से किसी मंत्री के पास है कि नहीं ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने पहले ही बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो भी राज्य सम्पत्ति विभाग की तरफ से अनुमन्य है । उतना उपयोग होता है । जहां तक निगम या विभाग की बात कही जा रही है जब माननीय मंत्री प्रवास पर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके अधिकारी उनके साथ रहते हैं । उनकी गाड़ियां उनके साथ रहती हैं। अन्य गाड़ियों के प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की सत्यनिष्ठा और उत्तर पर कोई सन्देह व्यक्त नहीं कर रहा हूं। प्रदेश के वित्तीय संकट को देखते हुए क्या यह सरकार फिजूलखर्ची रोकने के लिये एक से अधिक वाहन किसी मंत्री या किसी अन्य वरिष्ठ सरकारी व्यक्ति के पास विभाग द्वारा या निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन यदि कहीं पर अनुमन्य से अधिक उपलब्ध हैं, तो क्या सरकार कोई कानून बनायेगी या निर्देश देने का काम करेगी ताकि उन दोषी विभागाध्यक्षों और निगम के प्रबन्ध निदेशकों को जिन्होंने अनियमित ढंग से एक से अधिक गाड़ियां उपलब्ध करा रखी हैं और फिजूलखर्ची को बढ़ावा दे रहे हैं। उन पर रोक लग सके ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दिया कि जो अनुमन्य है, केवल उसका ही उपयोग किया जा रहा है। जब माननीय मंत्रीगण प्रवास पर जाते हैं तो विभागीय अधिकारी उनके साथ होते हैं। उनकी गाड़ियां अवश्य हो सकती हैं लेकिन इसके अलावा अन्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को अनुमति दी है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न पिछले बार सदन में चर्चा के दौरान आया था। सरकार ने कहा था कि शासनादेश के अनुसार जो अनुमन्य है उसका ही उपयोग हो रहा है। मान्यवर, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि क्या रात्रि के समय प्रमुख सचिव और सचिवों के घर में झांककर देखने के लिये कोई टीम गठित करेंगे और एक से अधिक गाड़ियां होंगी तो उनको कैपचर करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रमुख सचिव या सचिव के यहां रात में झांककर देखने के संबंध में कहा है कि देखें गाड़ी है कि नहीं, तो इस संबंध में हर स्तर पर आशंका व्यक्त करना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि इस संबंध में विषय की सत्यता की जांच के लिए सदन की एक समिति गठित करने के आदेश आप देने की कृपा करें जिससे आपके सामने जांच आख्या प्रस्तुत हो सके। क्या मंत्री जी इस सदन की एक समिति गठित करने पर विचार करेंगे जिससे इन तथ्यों का सत्यापन हो सके ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

उ० प्र० में प्रोन्नति कोटे में उप जिलाधिकारी के रिक्त पद कब भरे जाने की मांग

*1–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० में प्रोन्नति कोटे में उप जिलाधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या उक्त रिक्त पद भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां।

111 पद।

जी हां।

रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग उ० प्र० इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है और चयन की कार्यवाही आयोग में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आज प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के 111 पद रिक्त हैं। यह पद कब से रिक्त हैं और इसके लिए आयोग को कब अधियाचन भेजा गया था ?

* आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, वर्ष 1987-88 से 1997-98 तक के लिए प्रोन्नति से नियुक्ति की कार्यवाही जून-जुलाई, 1997 में सम्पन्न की गयी थी इसमें 111 पद रिक्त पाये गये हैं जिनके अधियाचन दिनांक 21-1-99 को लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह पद कब से रिक्त है जिसका मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इसलिए मैं जानंना चाहता हूं कि जो अधियाचन भेजा गया है उसके टर्म्स एण्ड कंडीशंस क्या हैं ? क्या उसमें पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नियमों के अनुसार अधियाचन की कार्यवाही की गयी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया। इसमें इन्होंने बताया जुलाई, 1997 में यह बताया गया कि इतने पद रिक्त हैं। जनवरी, 1999 में अधियाचन भेजा गया। जब यह प्रश्न पूछा गया तो क्या माननीय मंत्री जी इस विलम्ब के लिये जो 1997 में जानकारी हुई और 1999 में अधियाचन भेजा गया इसमें जिस स्तर पर विलम्ब हुआ है उसमें जो दोषी हैं ऐसे दोषी लोगों की जांच कराकर उनको दण्डित करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

1987, 1988 से 1997 तक की जो रिक्तियां थीं उनकी भर्ती की कार्यवाही जून-जुलाई, 1997 में पूरी की गई जब वह कार्यवाही सम्पन्न हुई तो इतने अर्ह लोग नहीं मिले जिसके कारण कोटा भरा नहीं जा सका उक्त कोटा भरने तथा उसके बाद ही रिक्तियों के लिए अधियाचन की कार्यवाही की गई है।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विश्व बैंक परियोजना के तहत प्राप्त धन का बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा द्वारा दुरुपयोग के संबंध में शिकायती-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

*3–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व बैंक परियोजना के तहत शिक्षा विभाग को प्राप्त धन के खर्च में बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्यों द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने की शिकायत परियोजना के निदेशक द्वारा वर्ष 1997 में इटावा के मुख्य विकास अधिकारी से की है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में लिप्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी नहीं। बल्कि मुख्य विकास अधिकारी, इटावा ने अपने पत्र दिनांक 6-1-1997 द्वारा सहायक निदेशक, उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना, इटावा से शिकायत की है।

जी हां।

प्रकरण पर करायी गयी जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं। मंत्री जी से शिकायत की गई है। 6-1-97 को शिकायत के आधार पर कब जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जब जांच समाप्त हुई तो कितने लोगों के खिलाफ चार्जेज लगाए गये ? कितने धन की संबंधित लोगों के द्वारा जांच कराई गई। दूसरी बात विश्व बैंक से पैसा मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए इसमें देखने को मिलता है कि सार्वजनिक धन से काफी खिलवाड़ किया जाता है। उसका दुरुपयोग किया जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि स्पेसिफिक शिकायत को छोड़कर विभिन्न जिलों में जहां यह योजना कार्यरत है उन सभी जिलों में इस प्रकार की जांच कराने की कृपा करेंगे ? ताकि जो लोग घपले कर रहे हैं वह पकड़ में आ सकें और धन का सदुपयोग हो सके।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जो जांच की गई यह अजीत मल्ल की शिकायत पर कराई गई उन्होंने कह दिया कि कम्प्यूटर से तैयार बिल नहीं है इसलिए हस्ताक्षर नहीं करेंगे उसी आधार पर जांच की गई और यह जिला सहायक निबन्धक सहकारी समिति से कराई गई उन्होंने अपनी आख्या में बिल में शिकायत पाई थी उसके आधार पर तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत विश्व बैंक परियोजना से हजारों लाखों करोड़ों रुपये की परियोजनाएं चलायी जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इटावा के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में जो यह विश्व बैंक परियोजना चलायी जा रही हैं क्या उन जनपदों में विश्व बैंक के धन के अपव्यय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं तो उन सारे जनपदों में धन के अपव्यय जो हुए हैं उसकी जांच करायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिनकी भी शिकायतें प्राप्त होंगे उसकी जांच की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं यदि किसी दूसरे जिले में संबंधित धन का दुरुपयोग की शिकायत आयी है कि नहीं ? यदि आयी है तो शासन क्या उसकी जांच करायेगा ? इसका उत्तर दें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है । यदि आयेगी तो उसकी जांच की जायेगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में यह जोर देकर पूछा था कि जिन घटनाओं की शिकायतें मिलती हैं उसकी जांच तो करायी जाती है । मैंने इसके पहले भी प्रश्न किया था कि लाखों रुपये के धन का दुरुपयोग हो रहा है । तो मैं यह सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो यह धन है और इसका जो महत्व और उपलब्धि आनी चाहिए वह नहीं आ रही है और यह कुछ लोगों के लिए चारागाह बनते जा रहे हैं । तो क्या सरकार विभिन्न जनपदों में जो कार्य चलाये जा रहे हैं उसकी जांच करायेगी ? यदि वह जांच कराती है तो इससे एक अच्छा मैसेज जनता पर जायेगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई शिकायत पायी जायेगी तो उसकी जांच करायी जायेगी ।

बिना अनुदान सूची वाले जूनियर हाई स्कूल विद्यालय को अनुदान सूची में लिए जाने की मांग

*4–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस समय जूनियर हाई स्कूल के कितने विद्यालय ऐसे हैं जो कि अनुदान सूची में नहीं आते हैं और कब तक सभी विद्यालय अनुदान सूची में आने की सम्भावना है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

लगभग 3200 स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है । वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विद्यालयों को अनुदानित करना संभव नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यह सरकार सदन और हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि आने वाली सदी में उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत लोग शिक्षित हों । लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 3200 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में नहीं लिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने उत्तर दिया है उसके पीछे कारण यह है कि वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो यह विद्यालय कब से लम्बित है और क्या शिक्षा शुल्क लगाकर इन सभी विद्यालयों को अनुदान सूची में लेंगे जिससे आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है । भारत वर्ष के मुकाबले में जो औसत है, उसमें आ सके ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, 1991-92 से पूर्व 1431 विद्यालय अनुदान सूची में शामिल किये गये थे । 1991-92 में माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित सरकार द्वारा पहली बार एक नीति निर्धारित करके 342 स्कूलों को सूची में लिया गया । उसके बाद किसी भी विद्यालय को सूची में नहीं लिया गया । 1995-96 में 250 विद्यालय लिये गये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 220 अनुदान सूची में अभी शामिल किये गये हैं जिनमें 180 बालकों को और 40 बालिकाओं के हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न है वह यह था कि क्या सरकार प्रदेश को 21वीं सदी में यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पढ़े-लिखे लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ जाए इस दृष्टि से कोई शुल्क लगा करके अनुदान देने के लिए कोई योजना बना रही है या नहीं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, शिक्षा शुल्क लगाये जाने का अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, क्या इस आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार कुछ नये विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की योजना बना रही है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अभी यह विचाराधीन नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं उनको पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुदान सूची में शामिल किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के संबंध में प्राथमिकता निर्धारित की है । उसके संबंध में एक नीति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सरकार ने कक्षा–12 तक के लिए निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की हुई है वह माननीय मुलायम सिंह जी के समय में घोषित हुई थी । मान्यवर, जो विद्यालय ग्रांट-इन-एड पर नहीं हैं उनमें शुल्क भी नहीं आता है । जिसके कारण उनमें अध्यापकों का वेतन किसी भी हालत में देना संभव नहीं हो पाता । कुछ अपने साधन से देते भी हैं तो बहुत कम होता है तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को चाहे स्थायी हों या अस्थायी मान्यता प्राप्त उनमें पढ़ने वाले बच्चों के शुल्क का रिम्बर्स मेन्ट विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, अनुदान सूची में लिए जाने के लिए मानक निर्धारित हैं मानक में स्थायी मान्यता और कुछ और बिन्दु अनिवार्य है । अभी 220 विद्यालयों को लिया गया है । मान्यवर, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरा उत्तर दिलवाइये ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री निराधार बातें कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय नेता विपक्ष ने जो प्रश्न किया था । कृपया उसका उत्तर दे दीजिए ।

माननीय नेता विपक्ष कृपया दुबारा प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी विद्यालय को इस वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची पर नहीं लिया जायेगा और पिछले वर्षों में भी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो अनुदान सूची पर नहीं आये हैं उनकी संख्या, स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 3200 है इन्होंने बताया । सरकार ने कक्षा–12 तक निःशुल्क कर दी इसके पहले भी कक्षा–8 तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा थी और उसकी क्षतिपूर्ति सरकार किया करती थी । विद्यालयों को और अनुसूचित जाति के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा पाते थे और उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करती थी तो अब जब कक्षा–12 तक निःशुल्क शिक्षा है तो क्या सरकार छात्रों को रिम्बर्समेन्ट उस स्कूल का नियमानुसार जैसा कि पहले हुआ करता था । निःशुल्क शिक्षा लागू होने पर बालिकाओं और शिड्यूलकास्ट के छात्रों को अब सम्पूर्ण छात्रों को । चूंकि शिक्षा निःशुल्क है इसलिए असहायता प्राप्त विद्यालयों को क्या सरकार क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको क्षतिपूर्ति की जा रही है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि वर्ष 98-99 में बालिकाओं की क्षतिपूर्ति और शिड्यूलकास्ट के छात्रों की क्षतिपूर्ति किस कक्षा में और किस विद्यालय को कितनी की गयी है । प्रदेश में अगर कहीं एक विद्यालय का भी नाम बता दें तो मैं मानूंगा कि यह सरकार क्षतिपूर्ति कर रही है । केवल इतना उत्तर आ जाए ।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह विस्तृत प्रश्न है इसलिए जानकारी की आवश्यकता होगी लेकिन जो विद्यालय अनुदान की सूची में नहीं हैं उन विद्यालयों में जो कक्षा–6 में पढ़ते हैं उनके लिए 3 रु० प्रति छात्र और कक्षा–7 और 8 में जो पढ़ते हैं उनके लिए साढ़े 4 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से क्षतिपूर्ति किया जाता है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

वर्ष 1998-99 में कितने स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति की गयी है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल से आता भी है और नहीं भी आता है । एक प्रश्न अलग से पूछ लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, शिक्षा के प्रति जो सरकार की प्रतिबद्धता है वह मंत्री जी के जवाब से साफ जाहिर होती है । आर्टिकिल 14 के अन्दर फ्री और कंपलसरी एजूकेशन देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । लेकिन उसके विपरीत जो संस्थायें विद्यालय चला रही हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि मानक के आधार पर नहीं आती हैं । जिन विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्राप्त है जो 10-12 साल से शिक्षा दे रहे हैं । उनके बारे में मंत्री जी कह रहे हैं कि मानक के अन्दर नहीं आते तो यदि मानक के अन्तर्गत नहीं आते थे तो उनको मान्यता कैसे दी गयी है ? जैसा कि माननीय डंग जी ने पूछा कि 1999-2000 में कितने विद्यालयों को सूची पर लिया जायेगा तो मंत्री जी ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था देखते हुए यह संभव नहीं है ।

यह सरकार अपने जंबोजेट मंत्रि-मण्डल पर अकूत पैसा खर्च कर रही है और शिक्षा जैसे अनिवार्य विषय पर इसके पास पैसा नहीं है । यह सरकार गैर जिम्मेदार है । इनकी नादानी और इनकी बचकानी स्थिति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि दोहरी शिक्षा नीति इस प्रदेश में चल रही है । जो ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं वहां पर लड़कों तथा लड़कियों, सबको शिक्षा मिल सके ऐसी सरकार के पास कोई योजना नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने विद्यालय अनुदान सूची पर आये हैं ? 14-15 साल से विद्यालय चल रहे हैं लेकिन अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने के लिये कोई कार्य योजना है और कब तक इनको अनुदान सूची पर ले आयेंगे ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, पहले आपने पूछा है कि कब तक के विद्यालय लिये गये हैं तो बालक विद्यालय 27 अप्रैल, 1984 तक के अनुदान सूची में शामिल कर लिये गये हैं । बालिकाओं.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह जानकारी चाह रहे हैं कि भविष्य में इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने के लिए कोई कार्य योजना है या नहीं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैंने पहले ही अनुरोध किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक शिक्षा नीति की बात कही है और सारे देश भर में अनेक स्थानों पर एलीमेन्टरी एजूकेशन के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार ने भी निर्देश दिये हैं। जनता की सहभागिता से सबको शिक्षा मिल सके। इसके लिए वृहद रूप से विचार किया जा रहा है। जब विचार पूर्ण होगा तो वह सदन के सामने रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह शिक्षा नीति अन्दाजन कब तक आ जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अनुदान सूची में लेने के लिए जो मानक निश्चित किये गये हैं उसको सरल करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रश्न संख्या 5 ले रहा हूं।

वन विभाग में विश्व बैंक पोषित तथा वाह्य स्रोतों से क्रय की गई गाड़ियों की संख्या एवं उनका आवंटन

*5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वर्ष 1997–98 में कुल कितने वाहन क्रय किये गये हैं ? क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में वन विभाग को विश्व बैंक तथा वाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किस स्तर तक के अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं ? क्या उनमें से कुछ वाहन अभी आवंटित नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

वर्ष 1997-98 में विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 109 गाड़ियां तथा 98 मोटर साइकिलें क्रय की गई।

जी हां।

वर्ष 1996-97 में वाह्य सहायता से 4 गाड़ियां क्रय की गई।

वर्ष 1997-98 में वाह्य सहायता से 109 गाड़ियां तथा 98 मोटर साइकिलें क्रय की गईं। 98 मोटर साइकिलें वन दरोगा से वन रेंजर तक तथा 100 हल्के वाहन प्रभागीय स्तर तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को दिये गये हैं।

13 भारी वाहन विभाग के वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों तथा पौधालयों में उपयोग के लिए आवंटित किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य मार्गों के किनारे इमारती एवं शीशम के सूखे पेड़ों के निस्तारण की नीति

*6–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के मुख्य मार्गों के किनारे शीशम आदि इमारती लकड़ी के बड़े-बड़े पुराने पेड़ खड़े हैं, जो सूख कर गिर जाते हैं ? क्या यह सही है कि सरकार ऐसे पेड़ों की नीलामी से अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त कर सकती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

सड़क के किनारे के वृक्षों का पातन कार्य योजना के प्राविधानों के अनुरूप किया जाता है । नीम, आम, बरगद, महुआ, जामुन आदि जैसे पर्यावरणीय महत्व के वृक्ष हैं के सूख जाने या गिर जाने पर ही पातन किये जाने का प्राविधान है । वर्तमान में सूखे वृक्षों का निस्तारण वन निगम के माध्यम से कराया जाता है । जहां वन निगम द्वारा कार्य शीघ्र नहीं किया जा सकता है । वहां इनका निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, सड़कों के किनारे जो इमारती पेड़ शीशम आदि जो 40 साल से अधिक पुराने हैं और सूख गये हैं । उनकी नीलामी करने से सरकार को अरबों रुपये का फायदा हो सकता है । क्या सरकार ने इनको नीलाम करने का कोई निर्णय लिया है या आदेश जारी किया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे सुनायी नहीं दिया । कृपया माननीय सदस्य इसे पुनः पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि राजमार्गों के किनारे जो शीशम आदि के पेड़ लगे हैं और 40 साल से ऊपर के हो गये हैं उनकी नीलामी करने की क्या कोई निर्णय सरकार ने लिया है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सड़क के किनारे खड़े वृक्षों को पर्यावरण, छाया और सौन्दर्य के लिए लगाया जाता है उनको काटने की व्यवस्था नियमानुसार नहीं है । दैवी आपदा में शीशम व नीम आदि के पेड़ जो गिर जाते हैं पहले उन्हें वन निगम को दिया जाता है । अगर वह 15 दिन के अन्दर स्वीकार नहीं करता है तो स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक नीलामी के आदेश डी० एफ० ओ० को दिये जाते हैं । इस आधार पर उसका निस्तारण कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*7–श्री राजधारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित सण्डीला कताई मिल को चालू कराये जाने की मांग

*8–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल सण्डीला बन्द है और उक्त मिल के श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच कर नारकीय जीवन जीने को विवश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को चालू किये जाने हेतु ससाधन जुटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल सण्डीला सितम्बर, 1998 से बन्द है ।

उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम समूह की इकाईयों का अध्ययन इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ से कराये जाने का निर्णय किया गया है । उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री उदयराज यादव–

[2रे सोमवार में तारां०प्र०सं०–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने की जानकारी

*10–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू न करने के कारण माध्यमिक शिक्षक असंतुष्ट हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नेपाल सिंह)–

वेतन समिति, उ०प्र० (1998) के द्वितीय प्रतिवेदन (आंशिक)/छठे प्रतिवेदन की संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 तथा संशोधित शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 1998 के द्वारा शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

माध्यमिक शिक्षा प्रभावित नहीं हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित वेतन समिति की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ लागू किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को मंत्री आवास आवंटित होने के अतिरिक्त विधायक निवासों में आवंटित आवासों का प्रकरण

*11–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के कितने ऐसे सदस्य हैं जिनको कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, गोमतीनगर, माल एवेन्यू में मंत्री आवास आवंटित होने के बाद भी

ओ० सी० आर० बहुखण्डीय आवास, दारुलशफा आदि विधायक निवासों में भी आवास आवंटित है ? क्या सरकार उनके विधायक निवासों में आवंटित आवासों का आवंटन निरस्त करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विधायक के रूप में एक विधायक आवास तथा मंत्री के रूप में एक मंत्री आवास आवंटित है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 169 पर)

*12–श्री उबैदुर्रहमान–

[3रे गुरुवार में ता०प्र०सं०–7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में समूह "घ" के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

*13–श्री लाखीराम जोशी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में समूह "घ" के रिक्त पदों पर सरकार नियुक्ति आरम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनहित में आवश्यक नहीं है।

जनपद-मैनपुरी विकास खण्ड करनाहल, ग्राम–अहमदपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*14–श्री बाबूराम यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष मैनपुरी जनपद के विकास खण्ड, करनाहल के ग्राम अहमदपुर में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त भवन ग्राम प्रधान ने बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय के विरुद्ध अपने छोटे से बंगले में निर्मित कराया है ? यदि हां, तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रभारी मंत्री श्री फागू चौहान ने इस सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 3-7-98 द्वारा जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि प्रधान से पूरा धन वसूल किया जाय और बेसिक शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर ही भवन निर्माण कराया जाय ? क्या इस आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में तदर्थ वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण की मांग

*15–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार प्रदेश में तदर्थ वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमित किये जाने हेतु किसी स्थायी नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण करने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या इससे पूर्व इस संबंध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तदर्थ कर्मिकों को विनियमित किये जाने हेतु नियमावली विद्यमान है । इसलिये तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु स्थायी नीति बनाने हेतु विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्कचार्ज कार्मिकों को नियमित करने हेतु कोई स्थायी नीति निर्धारित करने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन समिति की संस्तुति पर सचिवालय कर्मियों के भत्ते के पुनरीक्षण पर निर्णय

*16–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मियों के भत्ते के पुनरीक्षण का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भत्तों के सम्बन्ध में शासन द्वारा किस तिथि तक शासनादेश जारी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री जे० एल० बजाज की अध्यक्षता में गठित वेतन समिति की संस्तुतियां इस संबंध में अन्तिम शेष हैं ।

इस संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर्स लि० के छटनीशुदा कर्मचारियों का शैक्षिक योग्यता एवं पदों की उपलब्धता के आधार पर समायोजन

*17–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजित करने सम्बन्धी शासनादेश के अन्तर्गत क्या आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों को उनके पूर्व पद के वेतनमान के अनुसार समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अ–आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के कुछ कर्मियों का समायोजन उनके समतुल्य वेतनमान में एवं कुछ का समायोजन उनके वेतनमान से उच्च वेतनमान में तथा कुछ का समायोजन उनके वेतनमान से निम्न वेतनमान में हुआ है।

ब–शैक्षिक अर्हता, पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्न पदों पर इस हेतु सहमत कर्मियों का समायोजन किया गया है। ऐसे कर्मियों के अन्तिम वेतन को संरक्षित करने का प्रावधान है।

वन विनाश, वन कटान रोकने के लिये नीति एवं आदिवासियों के जीविकोपार्जन हेतु वन सम्पदा की निःशुल्क सुविधा का निर्णय

*18–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विनाश तथा वन कटान को रोकने के लिये सरकार की कोई ठोस नीति है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की तरह से विन्ध्य क्षेत्र में भी आदिवासियों के सहयोग से संयुक्त वन प्रबन्ध की नीति लागू करेगी ? क्या सरकार को जानकारी है कि रोजगार के अभाव में वनों के कटान में आदिवासियों की भूमिका होती है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वन आदिवासियों के जीवन यापन के साधन रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वन कटान रोकने हेतु तथा आदिवासियों के जीविकोपार्जन हेतु लघु वन उपज को नीलामी से मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां। राज्य वन नीति 1998 में वनों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं अतिक्रमित वन क्षेत्रों को खाली कराने आदि की व्यवस्था की गई है।

जी हां। विन्ध्य क्षेत्र में भी स्थानीय निवासियों के सहयोग से संयुक्त वन प्रबन्ध की योजना लागू की गई है।

रोजगार के अभाव में वनों के संगठित कटान में आदिवासियों की भूमिका प्रकाश में नहीं आयी है,परन्तु छिटपुट कटान किया जाता है।

आदिवासियों और वनों के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहा है एवं अब भी कतिपय वन उपज अपने निजी उपयोग के लिये वनों से प्राप्त करते हैं।

वनों तथा वनों के समीप चारों ओर रहने वाले लोगों/आदिवासियों को वन सम्पदा को बिना हानि पहुंचाये हुये महुआ, चिरौंजी, शहद, मोम एवं निजी उपयोग हेतु गिरे पड़े ईंधन के निःशुल्क संग्रहण की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था राज्य वन नीति–1998 में है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद–वाराणसी में राधा किशोर राजकीय कन्या इण्टर कालेज रामनगर में कार्यरत श्रीमती कमला श्रीवास्तव सहायक अध्यापिका के अवशेष भुगतान हेतु निर्गत प्राधिकार-पत्र

1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, राधा किशोर राजकीय कन्या इण्टर कालेज रामनगर वाराणसी के अवशेष देयकों रुपया 4501.65 के भुगतान हेतु उप शिक्षा निदेशक (महिला) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद को निर्देशित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

उपरोक्त देयक के भुगतान किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० गोपाल सिंह–

मा० प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-9-98 प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु अवशेष देयक रू० 4501.65 का दावा प्राप्त हुआ।

इस धनराशि को अनुसंधानित कर भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र दिनांक 12-2-99 को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्या को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बांदा, ग्राम सिकहुला में वन प्रभाग द्वारा श्री कमतू साहू पुत्र श्री राम प्रसाद साहू के नाम बन्द आरा मशीन का नवीनीकरण, शुल्क जमा कर लाइसेंस जारी न करने की जानकारी

2–महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम सिकहुला में वन प्रभाग बांदा द्वारा श्री कमतू साहू पुत्र श्री राम प्रसाद साहू निवासी सिकहुला के नाम आरा मशीन का लाइसेन्स जारी कर रेन्जर पैलानी द्वारा शुल्क रु० सात हजार पांच सौ मात्र प्राप्त कर रसीद पुस्तक संख्या–बु०वृ० 17 पृष्ठ संख्या–7 दिनांक 28-3-1996 प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि लाइसेन्स धारक द्वारा नवीनीकरण का आवेदन दिये जाने पर एस०डी०ओ० वन विभाग बांदा द्वारा आरा मशीन 30-7-1998 को सील कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या नवीनीकरण शुल्क जमा कराकर मशीन चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जनपद बांदा के ग्राम सिकहुला में श्री कमतू साहू पुत्र श्री राम प्रसाद साहू निवासी सिकहुला के नाम आरा मशीन का वर्ष 1988 से 1996 तक का पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क की रुपये 7,500.00 की धनराशि रेंज अधिकारी पैलानी के पास प्रश्नगत रसीद संख्या द्वारा जमा की गई है किन्तु लाइसेंस हेतु विधिक औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

प्रश्नगत आरा मशीन गैर लाइसेंसी होने के कारण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित रिट याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 4-3-1997 को पारित आदेश के अनुपालन में बन्द कराई गई थी और मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न होने की दृष्टि से दिनांक 30-7-98 को इसे सील किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 4-3-1997 के दृष्टिगत गैर लाइसेंसी आरा मिलों का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रबन्धक, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द डायर सेकेण्डरी स्कूल भरेव, अमेठी सुल्तानपुर का वेतन दिलाये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

3–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम मंगल को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या–174 के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्नगत जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

जांच चल रही है । जांचोपरान्त तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-हरदोई में मल्लावां-गौसगंज मार्ग की मरम्मत कार्य पूर्ण होने की जानकारी

4–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के मल्लावां–गौसगंज मार्ग की मरम्मत हेतु सात लाख पचास हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे ? क्या मरम्मत कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस सड़क के मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

कार्य पूर्ण है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ में सड़कों को लोक निर्माण द्वारा गड्ढामुक्त न किये जाने की प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ख–2/115724, दिनांक 20-4-98 जनपद प्रतापगढ़ के बीस सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्ढामुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि 31-3-98 तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा ? क्या मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा की अवहेलना हुई है ? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । गड्ढामुक्त करने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ में मंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में मुख्य अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रस्ताव

6–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके द्वारा दिनांक 16-9-97 को जनपद–प्रतापगढ़ में की गयी घोषणा के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या 5602/टी०सी०–14सी–60/77 तथा पत्र संख्या 5501, दिनांक 28-11-97 एवं पत्रांक 5919-के/97, दिनांक 1-12-97 एवं पत्रांक 5887/51/सी/97, दिनांक 15-12-97 जो क्रमशः ककरहवा, भनईपुर-करगुपुर मार्ग, सिंगरामऊ–मरगूपुर

मार्ग, पीली नदी सेतु पहुंच मार्ग, कोहडौर-चन्दौका मार्ग पर चमरौरा नाले पर सेतु के पहुंच मार्ग तथा दाऊदपुर रामगंगा से नचरौला मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, मुख्य अभियन्ता इलाहाबाद एवं शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ? क्या इसी प्रकरण पर मंत्री जी का निर्देश संख्या 1034/1998, दिनांक 24-3-98 भी प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अन्तराज सिंह–

जी हां।

जी हां।

ये कार्य वर्ष 98-99 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन निरीक्षण गृहों का नियमानुसार आरक्षण एवं शुल्क जमा कराने का प्राविधान

7-डा० बशीर अहमद शाह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निरीक्षण गृहों का आरक्षण नियम क्या है ? कितने वन निरीक्षण गृहों में अन्य अधिकारी निवास कर रहे हैं तथा वह कितने दिनों से रह रहे हैं ? इन निरीक्षण गृहों में रह रहे अधिकारियों से कोई शुल्क लिया जाता है, अथवा उनके वेतन आदि से मकान किराया मद में कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त मद में अब तक कितनी धनराशि की वसूली प्रदेश में हो चुकी है ? क्या सरकार इन वन निरीक्षण गृहों को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वन निरीक्षण गृहों का आरक्षण प्रार्थना-पत्र के आधार पर शासनादेश दिनांक 27-6-84 व 22-5-86 तथा प्रमुख वन संरक्षक के आदेश दिनांक 14/18 नवम्बर, 1998 द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जाता है। वन निरीक्षण गृह मुख्यतः निरीक्षण में आने वाले सभी वनाधिकारियों के लिये है, किन्तु रिक्त होने की दशा में इसे अन्य विभाग के अधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों, मा० सांसद, मा० विधायकगणों आदि के लिये भी आरक्षित किये जाने का प्राविधान है।

वन निरीक्षण गृहों में चार अन्य विभागों के अधिकारी निवास कर रहे हैं। इनमें से दो अधिकारी अप्रैल, 98 से तथा शेष दो अधिकारी मई, 98 व अक्टूबर, 1998 से रह रहे हैं।

एक अधिकारी द्वारा सितम्बर, 98 तक तथा दूसरे अधिकारी द्वारा जनवरी, 99 तक वन विश्राम गृहों का निर्धारित शुल्क जमा किया गया है। शेष दो अधिकारियों से शुल्क जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

इस मद में अब तक इन अधिकारियों द्वारा 8,306/–रुपये जमा किया जा चुका है।

जी हां। वन विश्राम गृहों को खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

बहराइच शहर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज खोलने की मांग

8–डा० बकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बहराइच शहर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु मात्र तीन इण्टर कालेज हैं, जबकि इण्टर तक की छात्राओं की संख्या लगभग पन्द्रह हजार है ? क्या पर्याप्त इण्टर कालेज न होने के कारण अधिकतर छात्रायें विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या शहर बहराइच में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार की दृष्टि से कोई कन्या इण्टर कालेज

खोलने की योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और इस योजना से शहर में इण्टर कालेज कब तक खोल दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई–उन्नाव रोड पर ग्राम सदरपुर के पास से ग्राम विरौरी तक क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कार्य पूर्ण कराने की मांग

9-डा० धर्मेश मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई में हरदोई–उन्नाव रोड पर ग्राम सदरपुर के पास से ग्राम विरौरी तक रोड का निर्माण डामर डलवाकर काफी समय पूर्व कराया गया था ? क्या अब उक्त रोड जर्जर एवं क्षति ग्रस्त हो गयी है, जिसकी मरम्मत हेतु पथरी मौके पर इकट्ठा है ? यदि हां, तो उक्त रोड की मरम्मत कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां । बजरी उपलब्ध है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

लोक निर्माण विभाग खण्ड–2, उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कथित नियुक्ति

10–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लो०नि०वि० खण्ड 2, उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता द्वारा नौकरियों में लगे प्रतिबन्धों के बावजूद भी 5 लोगों को बेलदार के पद पर दैनिक वेतन के रूप में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसी अवैध नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

दैनिक वेतन पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के बाद निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव में दैनिक वेतन पर किसी बेलदार की नियुक्ति नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर०बी०एस० माध्यमिक विद्यालय, कानपुर देहात के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर आख्या की मांग

11–श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे मंगल को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–166 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत वांछित आख्या प्राप्त हो

गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के आदेश देंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल के पत्र दिनांक 9-7-98 द्वारा जो आख्या प्राप्त हुई है उस पर शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 5-8-98 द्वारा कतिपय जिज्ञासा की गई है । जो अभी प्रतीक्षित है । शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 19-2-99 द्वारा 15 दिन का समय देते हुये इसके अन्तर्गत वांछित निराकरण आख्या संस्तुति सहित संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर को अवश्य उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट किया गया है । अग्रेतर कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त होते ही की जायेगी ।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वेतन पुनरीक्षण के मामले में उनके द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त ही लिया जाने वाला निर्णय

12–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे मंगलवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन पुनरीक्षण हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वेतन पुनरीक्षण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर वेतन समिति, 1998 के द्वितीय प्रतिवेदन में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा इस बिन्दु पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई है कि किसी निगम की आर्थिक स्थिति एवं अपने श्रोतों से कर्मियों को नये वेतनमान देने की क्षमता के आधार पर प्रस्ताव उच्चादेश हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

उक्त निर्णय के अनुसार उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वेतन पुनरीक्षण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

13–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद–चमोली के मलारी-सुमना लफतल सीमान्त पैदल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के गैंग कर्मचारी के मृतक परिवार को अर्द्धसैनिक कर्मचारियों की भांति सुविधा देने की मांग

14–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14 अक्टूबर 98 से 30 अक्टूबर 98 तक चमोली जनपद के मलारी सुमना रिमाझिम मार्ग एवं मलारी सुमना लफतल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के गैंग कर्मचारी हिम-खण्ड स्खलन से मरे हैं ? यदि हां, तो मरने वालों के क्या नाम हैं ? क्या मृतकों के पारिवारिक जनों को दो-दो लाख रुपये राहत राशि आवंटित कर दी गयी है ? क्या सीमा क्षेत्र में कार्यरत लोक निर्माण विभाग गैंग कर्मचारियों को अर्द्ध-सैनिक कर्मचारियों की भांति सुविधायें दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । दिनांक 18-10-98 को मलारी-सुमना लफतल सीमान्त पैदल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के एक सीजनल श्रमिक की मृत्यु हो गई थी ।

मृतक श्रमिक का नाम श्री पदम सिंह है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा के अध्यापकों को सामान्य शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों की भांति वेतन दिलाये जाने की मांग

15–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या एक ही तरह के विद्यालयों में कार्यरत सामान्य शिक्षा के अध्यापकों को अलग वेतनक्रम तथा व्यवसायिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापक को अलग वेतन देकर सरकार विषमता उत्पन्न कर रही है ? क्या सरकार व्यवसायिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों को भी जीवन निर्वाह योग्य वेतन देकर उनकी कुंठा को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है ।

चयनित विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अध्यापन कार्य अतिथि विषय विशेषज्ञों के द्वारा मानदेय के आधार पर कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत नियमित अध्यापक नियुक्त नहीं हैं । अतः उन्हें सामान्य शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों की भांति वेतनक्रम दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस योजनान्तर्गत अतिथि विषय विशेषज्ञों को रु० 50/–प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद–आजमगढ़ तहसील लालगंज में राजकीय कन्या विद्यालय बरवा गांव के विद्यालय भवन एवं अध्यापिकाओं की समुचित व्यवस्था

16–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत लालगंज तहसील में राजकीय कन्या विद्यालय बरवा गांव के विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण होने तथा अध्यापिकाओं के अभाव के कारण विद्यालय बन्द होने के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मत तथा पर्याप्त अध्यापिकाओं की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

विद्यालय किराये के भवन में कार्यरत हैं । अतः भवन की मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता । अध्यापिकाओं की व्यवस्था की जा चुकी है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

बेसिक शिक्षाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम प्रताप सिंह, सदस्य, क्षेत्र पंचायत बरोलिया ब्लाक जामों के प्राथमिक पाठशाला के सहायक अध्यापक के विरुद्ध अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

17-शोभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम प्रताप सिंह, सदस्य, क्षेत्र पंचायत बरोलिया ब्लाक जामों सुल्तानपुर द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र जिसमें उक्त ग्राम के प्रा० पा० के सहायक अध्यापक के विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें करने की शिकायत है और जिस पर पत्रांक शि/16656-97-98, दिनांक 29-8-97/1-9-97 द्वारा जांच अधिकारी ने अपनी जांच की अभिमत कर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दे दी है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

संबंधित अध्यापक को चेतावनी देते हुये प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा विकास खण्ड जसपुरा के अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय प्रखण्ड बांदा द्वारा कराये गये कार्यों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का प्राप्त पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

18–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-7-1998 को प्राप्त हुआ है, जो जनपद–बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में कार्यरत अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय प्रखण्ड बांदा द्वारा कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने विषयक था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 9-7-98 पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग झांसी से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा के प्राथमिक विद्यालय खपटिया खुर्द के बाल पुष्टाहार वितरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

19–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बांदा को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-7-1998 को प्राप्त हुआ है, जो प्राथमिक विद्यालय खपटिया खुर्द के बाल पुष्टाहार वितरण विषयक था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

कोटेदार का कोटा निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री अजय भट्ट–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में स्थित राजकीय पालिटेक्निकों में "सहायक प्रवक्ता" तथा "अनुदेशकों" आदि संवर्गों/पदों को समाप्त किये जाने की जानकारी

21–श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित राजकीय पालिटेक्निकों में "सहायक प्रवक्ता" तथा "अनुदेशक" के संवर्ग/पद को मृत घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त पद धारकों का समायोजन अब तक किन-किन पदों पर किया (वेतनमान सहित) गया है ?

उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निकों में "सहायक प्रवक्ता" तथा "अनुदेशक" के संवर्ग/पद को मृत नहीं घोषित किया गया है वरन् शासनादेश संख्या 2281/प्रा०शि०–3–1989–60(बी)/85, दिनांक 27-6–89 तथा सपठित शा०सं० 352/प्रा०शि०–3–94–60 (बी)/85, दिनांक 3-2-94 की व्यवस्थानुसार केवल अभियंत्रण अनुभाग में (कर्मशाला को छोड़कर) जैसे-जैसे अनुदेशकों (सहायक व्याख्याता पावर हाउस इंस्ट्रक्टर सम्मिलित करते हुये) के पद रिक्त होंगे, स्वतः समाप्त हो जायेंगे । अतः इन पदधारकों के समायोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

गढ़वाल/कुमायूं मण्डलों में स्थित पालिटेक्निक में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर आयोग को अभियाचन तथा रिक्त पदों की संख्या

22–श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल/कुमायूं मण्डलों में स्थित पालिटेक्निकों में अधिकतर प्रधानाचार्य कार्यवाहक के रूप में पदस्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था को समाप्त कर कब तक नियमित प्रधानाचार्यों की पदस्थापना कर दी जायेगी ? उक्त क्षेत्र में कितने पालिटेक्निकों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रधानाचार्य के पद लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र में होने के कारण उन पर नियमित व्यवस्था हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर प्रधानाचार्यों की नियमित पदस्थापन संभव होगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में 15 पालीटेक्निकों में से 14 पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं ।

राजकीय पालीटेक्निक में कार्यरत अंशकालिक शिक्षक एवं विनियमित न किये जाने की जानकारी

23–श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग उ० प्र० के अधीन चल रहे राजकीय पालीटेक्निकों में विगत 3 वर्षों से अधिक समय से कितने अंशकालिक शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या इन शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

राजकीय पालीटेक्निक, महोबा में इस प्रकार का एक अंशकालिक शिक्षक कार्यरत है।

जी नहीं। अंशकालिक शिक्षकों को विनियमित करने का कोई नियम/प्राविधान नहीं है।

जनपद–लखनऊ स्थित संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ०प्र० को विगत पांच वर्षों में आवेदन-पत्रों आदि अन्य मदों से प्राप्त आय एवं व्यय धनराशि तथा अवशेष का विवरण

24–श्री अजय भट्ट–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–जनपद स्थित संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ० प्र० को विगत पांच वर्षों में परीक्षा शुल्क के रूप में कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई तथा उसमें से परीक्षा संबंधी कार्यों पर कुल कितना व्यय प्रतिवर्ष हुआ ? अवशेष धनराशि का उपयोग उक्त परिषद् द्वारा किस प्रकार किया जाता है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ०प्र० को विगत पांच वर्षों में आवेदन-पत्रों के मूल्य व परीक्षा शुल्क तथा अन्य मदों से प्राप्त कुल रु० 7,10,84,849.00 की आय हुई है तथा परीक्षा व अन्य मदों में कुल व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (रु० में)
1993–94	69,07,186.17
1994–95	82,84,084.59
1995–96	79,71,454.97
1996–97	1,12,88,037.06
1997–98	1,49,41,499.51

अवशेष धनराशि परिषद् द्वारा भविष्य के आकस्मिक व्ययों हेतु एफ०डी०आर०/एस०डी०आर० के रूप में जमा रखी जाती है।

जनपद–मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1998–99 में जिला सेक्टर में मार्गों की पेटिंग स्तर तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

25–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद–मैनपुरी में अब तक जिला सेक्टर से किन-किन पेटिंग स्तर तक सड़कें वित्तीय वर्ष 1998–99 में शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं और किन के प्रस्ताव पर ? सरकार का जिला सेक्टर में सड़कें स्वीकृत करने का मानक/आधार क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 98-99 में जिला सेक्टर में कुल 42 मार्गों की पेटिंग स्तर तक स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यों की सूची संलग्न† है।

---

† छापी नहीं गई।

दिनांक 16-10-98 को हुई जिला नियोजन एवं अनुश्रवण की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से लेप्स स्तर तक जोड़ने हेतु उपर्युक्त मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मा० मंत्री के निर्णयानुसार जिला सेक्टर में सड़कें स्वीकृत की जाती हैं।

26–श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सूचना केन्द्र हजरतगंज, लखनऊ में इंचार्ज के पद पर श्रीमती आभा दुबे की कथित फर्जी नियुक्ति संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच

27–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ के राज्य सूचना केन्द्र हजरतगंज इंचार्ज, पी०टी०आ० एण्ड एस० इम के पद पर श्रीमती आभा दुबे की फर्जी नियुक्ति किये जाने एवं वेतन आहरण संबंधी श्री रमेश राही, विधायक, सीतापुर का शिकायती-पत्र दिनांक 23-9-98 को, प्रमुख सचिव, वित्त एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

वित्त विभाग से शिकायती-पत्र प्राप्त कर प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद–लखीमपुर, विकास खण्ड–फूल बेहड़ में भीरा रोड से हिन्डोलना सम्पर्क मार्ग का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत पूर्ण निर्माण कार्य कराने की जानकारी

28–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–लखीमपुर में विकास खण्ड फूल बेहड़ अन्तर्गत भीरा रोड से हिन्डोलना सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर को धन प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धन को अनियमित ढंग से खर्च कर सड़क अधूरी छोड़ दी गई है ? क्या उक्त कार्य की तकनीकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं। विकास खण्ड फूलबेहड़ में भीरा रोड से हिन्डोलना सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं बल्कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में धनराशि प्रदान की गई थी।

जी नहीं। मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1997–98 में पूर्ण कराया जा चुका है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखीमपुर विकास खण्ड बिजुआ वसलीपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि

29–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–लखीमपुर के विकास खण्ड बिजुआ वसलीपुर द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग लखीमपुर को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है ? क्या यह सही है कि मार्गों का निर्माण निम्न स्तर का कराकर धनराशि का अपव्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की तकनीकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों

श्री कलराज मिश्र–

विकास खण्ड बिजुआ में वसलीपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । इस मार्ग का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–लखीमपुर के बेलराया-पनवारी, मार्ग की खराब सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

30–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर के बेलराया-पनवारी मार्ग पर सखा सेन्टर से श्रीनगर तक सड़क अत्यन्त खराब है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती की जांच एवं कार्यवाही

31–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता०प्र०सं० 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा क्या महासंघ से तथा पीड़ित कर्मचारी से कोई पूछताछ या लिखित स्पष्टीकरण लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जांच कर मामले को रफा-दफा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां।

प्रश्नगत जांच श्री शफीक अहमद तत्कालीन प्राविधिक अधिकारी उन्नाव द्वारा की गयी है। जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा महासंघ से कोई पूंछताछ नहीं की गई है, परन्तु ओसराबन्दी स्टाफ रायबरेली के कर्मचारियों से वेतन आदि में अवैध कटौती कर कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायत के संदर्भ में संबंधित कर्मचारियों से पूछतांछ की गई है। कर्मचारियों ने लिखित स्पष्टीकरण दिया है कि देयकों के भुगतान में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है, किये गये भुगतान से वे पूर्णतया सन्तुष्ट हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

लखनऊ के प्राणी उद्यान से चन्दन की लकड़ी चोरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी

32–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान, लखनऊ में कुल चन्दन की लकड़ी के कितने पेड़ थे तथा अब कितने हैं ? कम हुये पेड़ों को किसके आदेश से काटा गया ? क्या यह लकड़ी स्टोर में जमा है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि पूर्व निदेशक के विरुद्ध चन्दन लकड़ी की चोरी के आरोप हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लखनऊ, प्राणि उद्यान परिसर में पूर्व में चन्दन के कुल 9 पेड़ थे तथा वर्तमान समय में कुल 6 पेड़ उपलब्ध हैं।

प्राणि उद्यान परिसर में स्थित बारादरी से चन्दन का एक पेड़ तथा कंगारु घर से एक पेड़ दिनांक 15-5-94 को चोरी से काटा गया था, जिसकी लकड़ी बरामद नहीं हुई थी तथा राज्य संग्रहालय के बाहरी मुख्य द्वार पर स्थित चन्दन का एक वृक्ष दिनांक 26-9-98 को अत्यधिक वर्षा के कारण गिर गया था, जिसकी लकड़ी टुकड़ों में कटवाकर स्टोर में रखवा दी गई है।

जी नहीं।

दिनांक 15-5-94 को चोरी से काटे गये दो चन्दन के पेड़ों के संबंध में दोषी पाये गये दैनिक श्रमिक श्री राजेश पाल को सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–शाहजहांपुर में हाट मिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानपुर कटरा में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र पर जांच

33–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक रजिस्टर्ड पत्र दि० 4-7-98 या इसके आसपास प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, अधीक्षण अभियन्ता, पी०डब्लू०डी० बरेली, अधिशासी अभियन्ता, पी०डब्लू०डी०, बरेली को हाट मिक्स प्लान्ट नं० 87 मीरानपुर कटरा, जनपद–शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच क्रमित है ।

प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियों हेतु बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की विचाराधीन योजना

34–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997–98 में विज्ञापित प्राथमिक विद्यालयों की नियुक्तियों हेतु बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को अवसर देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को बेसिक शिक्षा विद्यालयों हेतु कब तक चयनित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां

35–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अत्यधिक अभाव से शिक्षा का स्तर अत्यधिक गिरने के कारण प्राइवेट विद्यालयों की ओर अभिभावकों की रुचि बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की पर्याप्त नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं ।

यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षकों को हड़ताल की अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजन के उपरान्त वेतन का भुगतान

36–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षकों की 1998 में चली हड़ताल अवधि का वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों में अत्यधिक असंतोष है तथा जिसके कारण प्रदेश की बेसिक शिक्षा प्रभावित हो रही है ? क्या सरकार प्रदेश की बेसिक शिक्षा के हित में हड़ताल अवधि का वेतन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित कर वेतन के भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद-पौड़ी गढ़वाल के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गई नियुक्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही

37–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला-विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल ने जुलाई, 1997 से 20 नवम्बर, 1998 तक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं अंशकालीन नियुक्तियां शासनादेशों के प्रतिबन्ध होने पर भी की हैं ? क्या मंत्री जी उन नियुक्तियों की सूची उपलब्ध करायेंगे तथा दोषी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दोषी अधिकारी श्री रमेश चन्द्र प्रेमी, जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी को आदेश संख्या–239/15–13–99–1(2)/99, दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है । अनियमित ढंग से नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता !

उत्तरांचल में विद्यालयों के (बी० टी० सी० प्रशिक्षण) अध्यापकों को सी० टी० से एल० टी० ग्रेड में समायोजित/प्रोन्नति के नियम

38–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में आदर्श विद्यालयों (बी० टी० सी० प्रशिक्षण) के अध्यापकों को सी० टी० से एल० टी० ग्रेड में समायोजित किया गया है ? क्या इस क्रम में आदर्श विद्यालय पौडटी व टिहरी आदि के अध्यापकों को एल० टी० ग्रेड में समायोजित करने की कार्यवाही हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

बी० टी० सी० से सीधे एल० टी० में प्रोन्नति/समायोजन का कोई नियम नहीं है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद की गई नियुक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

39–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हे० नं० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 28 मार्च, 1998 से 31-7-98 तक आचार्य, उपाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या शासनादेश 20-1-91 का 2/1997 दिनांक 03-11-97 के 12 अनुसार अगस्त, 1998 तक सम्पूर्ण नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसमें दोषी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद–बांदा में प्राइमरी पाठशाला गजपुरवा मजरा गाजीपुर विकास खण्ड जसपुरा में तैनात प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल बन्द रखने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-8-1998 प्राइमरी पाठशाला गजपुरवा मजरा गाजीपुर विकास खण्ड जसपुरा में तैनात प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल बन्द रखने की शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

संबंधित प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बांदा, वन प्रभाग में चालू आरा मशीनों की संख्या तथा बन्द पड़ी आरा मशीनों से की जा रही अवैध वसूली की शिकायत पर न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही

41–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग में बुन्देलखण्ड वृत्त के वन प्रभाग बांदा में कुल कितनी आरा मशीनें चल रही हैं तथा दिनांक 30-5-1998 से 30-10-1998 तक कुल कितनी आरा मशीनें विभागीय अधिकारियों द्वारा सील की गयी हैं ? क्या यह सही है कि सील की गयी मशीनों के लाइसेन्स धारक ऐसे भी हैं जिनका नवीनीकरण शुल्क जमा है ? क्या यह कार्यवाही अवैध धनराशि वसूली के लिये की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर आरा मशीनों को चलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बांदा वन प्रभाग में वर्तमान समय में कुल 41 आरा मशीनें चल रही हैं । प्रश्नगत अवधि में कुल 27 आरा मशीनें सील की गयी ।

सील की गयी 27 आरा मशीनों में से 18 आरा मशीनों से विभिन्न अवधि के लिये नवीनीकरण शुल्क जमा किया गया है तथा 9 आरा मशीनों के द्वारा कोई भी शुल्क जमा नहीं किया गया है ।

मामले की जांच करवायी जा रही है । जांच के उपरान्त जनहित रिट याचिका संख्या : 202/95–टी० एन० गोडावर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत सरकार व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–जालौन के विकास खण्ड कदौर व महेवा के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा परिषद जालौन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी

42–श्री श्रीराम पाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–जालौन के खण्ड वि० कदौर व महेवा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 तथा 1997 में बेसिक शिक्षा परिषद् जालौन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों तथा

सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद–जालौन में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के पूर्ण निर्माण कार्य

43–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–जालौन में लोक निर्माण विभाग की विभागीय निर्माण इकाई द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समय सीमा निर्धारित करके निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य पूर्ण है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–सुल्तानपुर, ग्राम-लोरिकपुर, पोस्ट–सरमे जामों में स्व० श्री राम दुलारे लाल श्रीवास्तव प्रधानाध्यापक प्राथमिक पाठशाला शाहपुर के आश्रित को सेवायोजित न किये जाने का औचित्य

44–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर/जिलाधिकारी, सुल्तानपुर/उप शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल को सम्बोधित श्री वीरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र राम दुलारे लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम–लोरिकपुर, पो०–सरमे जामों, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें राम दुलारे लाल श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, प्रा० पा० शाहपुर जामों, सुल्तानपुर की 19-5-72 की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित की नियुक्ति की मांग की गयी है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो मृतक आश्रित की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार अविलम्ब उक्त मृतक आश्रित की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

स्व० श्री राम दुलारे लाल श्रीवास्तव की मृत्यु परिषद के गठन के पूर्व होने के कारण उनके आश्रित को सेवायोजित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर लखनऊ में वर्तमान पशु चिकित्सक की नियुक्ति का औचित्य

45–श्री सन्त–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, लखनऊ के पशु चिकित्सक की नियुक्ति रद्द करने सम्बन्धी माननीय विधायक नेतराम सिंह का पत्र सं०–423/98, दिनांक 12-6-98 व 450/98, दिनांक 23-6-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

लखनऊ प्राणी उद्यान के लिये प्रतिनियुक्ति पर पशुपालन विभाग से योग्य व अनुभवी चिकित्सक न मिलने पर डा० उत्कर्ष शुक्ला की नियुक्ति लखनऊ प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सक के पद पर की गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–महोबा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज चरखारी के जीर्ण विद्यालय भवन के निर्माण की मांग

46–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेढ़ सौ वर्ष पुराना राजकीय बालिका इण्टर कालेज चरखारी, जनपद–महोबा पूर्णतया ध्वस्त हो चुका है ? क्या छात्रों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त कालेज के भवन का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं । प्रश्नगत विद्यालय का भवन पूर्णतया ध्वस्त नहीं हुआ है वरन् जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ।

जी हां ।

जिला सेक्टर की योजनान्तर्गत जनपद महोबा के लिये परिव्यय उपलब्ध कराये जाने एवं आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध होने पर प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति देना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–गढ़वाल में नरभक्षी बाघों/रीछों को मारने एवं जंगली हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने पर नियमानुसार मुआवजा का भुगतान

47–श्री भारत सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में वर्ष 1997 में नरभक्षी बाघों एवं रीछों द्वारा कितने लोगों को मारा व घायल किया गया ? उनमें से कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है और अभी कितने शेष हैं शेष को अभी तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जंगली हाथी द्वारा फसलें नष्ट होने पर मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

गढ़वाल जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1997 में गुलदार एवं भालू द्वारा लोगों को मारने एवं घायल करने की 15 घटनायें घटित हुई । इन घटनाओं में तीन अवयस्क तथा ग्यारह व्यस्क घायल हुये और एक महिला को मारा गया । दो मामलों में संबंधित परिवारजनों द्वारा आर्थिक अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु

निवेदन नहीं किया गया । शेष 13 में से 10 मामलों में भुगतान किया जा चुका है । तीन प्रकरण अपूर्ण प्राप्त होने के कारण अनिस्तारित हैं ।

जंगली हाथियों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की दशा में मुआवजा की धनराशि देने का प्राविधान शासनादेश संख्या–2384/14-4-96-836/92, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 द्वारा किया गया है । तदोपरान्त वर्ष 1997 में इस संबंध में प्राप्त तीन प्रार्थना-पत्रों में वांछित मुआवजे की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद–बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल में गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी अध्यापकों की आवश्यकता व उपलब्धता के अनुसार व्यवस्था

48–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक, उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में एक पत्र दिनांक 29-10-98 को प्राप्त कराया था ? जिसमें बाराबंकी बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जिन जूनियर हाई स्कूल में गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, अध्यापक नहीं हैं उन जूनियर हाई स्कूल में छात्रों को पढ़ाने हेतु अध्यापक तैनात किये जाने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

आवश्यकता व उपलब्धता के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर शिक्षा अधिकारी बाराबंकी बेसिक शिक्षा परिषद् के विरुद्ध लगाये गये कथित आरोप की जांच

49–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 24-10-98 को माननीय मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन को प्रेषित पत्र जिसकी एक प्रति निदेशक बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में भी श्री केशव टण्डन जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी (स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ) बाराबंकी द्वारा प्राप्त करायी गयी थी क्या उक्त पत्र में नगर शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी बेसिक शिक्षा परिषद् के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त पत्र में पारित विगत एक वर्ष में शासन एवं अध्यक्ष/सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेशों का पालन नगर शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अब तक किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण करके विभागीय आदेशों का पालन न करने की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच करायी गयी है । आरोप पुष्ट नहीं पाये गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना सम्बन्धी चर्चित आरोप

50–श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 29-10-98 को माननीय मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन, लखनऊ को एक पत्र श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा, अध्यक्ष मंडल बंकी ब्लाक भारतीय जनता पार्टी, बाराबंकी ने प्रेषित किया था और उसकी एक प्रति शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराई थी ? यदि हां, तो उस पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 7-12-92 के संबंध में निदेशक/अध्यक्ष, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कार्यालय पत्रांक बे०शि०प०/20730–21188/92-93, दिनांक 26-12-92 का पालन नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी ने किया है ? यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के कारण इनका स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता प्रदान करने हेतु शासनादेशों के अन्तर्गत पदों का सृजन

51–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता प्रदान करने के लिये राजाज्ञा संख्या–217/15-6-92/8 एस०/7/89, दिनांक 11-5-92 में पदों का सृजन भी प्राविधानित किये जाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध समिति द्वारा मान्यता के पहले से ही नियुक्त अध्यापकों की योग्यता की जांच करके बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा अथवा विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करनी होगी और पहले से नियुक्त अध्यापकों को हटा दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

अर्हता पूर्ण करने वाले पूर्व से कार्यरत अध्यापकों का अनुमोदन किया जाता है । अप्रशिक्षित अध्यापकों, जो 10 वर्ष से कार्यरत हैं, उन्हें प्रशिक्षण मुक्ति हेतु सुविधा है ।

प्राइमरी पाठशाला नेवादा विकास–खण्ड बड़ागांव, वाराणसी का जनसहयोग से चहारदीवारी का निर्माण

52–श्री राजेन्द्र यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री छब्बू पटल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक1421/वी०आई०पी०/शि०म०/94, दिनांक 18-2-95 जिसमें पूर्व विधायक श्री ऊदल को सूचित किया गया था कि प्राइमरी पाठशाला नेवादा वि० अ० बड़ागांव, वाराणसी के चहारदीवारी बनाने हेतु अनुदान सम्बन्धित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा को भेज

दिया गया है, पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या विद्यालय को अनुदान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

चहारदीवारी का निर्माण हुआ है ।

जी नहीं ।

विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण जन सहयोग से पूर्ण कर लिया गया है ।

जनपद–बांदा–तिन्दवारी मार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य में ठेकेदार को अतिरिक्त बिक्री कर के रूप में भुगतान किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से शासकीय क्षति की वसूली के आदेश एवं स्थानान्तरण

53–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बांदा–तिन्दवारी मार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य में सामग्री की आपूर्ति पर अतिरिक्त बिक्री कर के रूप में ठेकेदार को भुगतान किये जाने के कारण श्री उमेश दीक्षित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं श्री के० एन० दीक्षित तत्कालीन सहायक अभियन्ता को शासन को हानि पहुंचाने के कारण शासन द्वारा जनवरी, 1989 में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री उमेश दीक्षित से हानि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री के० एन० दीक्षित की पदोन्नति कर बांदा में ही नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

श्री उमेश दीक्षित से शासकीय क्षति की वसूली के आदेश दिनांक 4-8-93 को जारी किए जा चुके हैं । वसूली गतिमान है ।

जी नहीं । वर्ष 1984 में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री के० एन० दीक्षित की तैनाती उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम में की गई थी ।

जनपद–बांदा में बदौली फतेहगंज मार्ग पर बान गंगा नाले पर किये गये सुरक्षात्मक कार्य में अनियमितता के लिए सम्बन्धित अभियन्ताओं से वसूली

54–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा बदौली फतेहगंज मार्ग पर बान गंगा नाले पर सुरक्षात्मक कार्य में अनियमितता किये जाने के कार्य में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता वर्ष 1989 में दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो अब तक इनसे कितनी धनराशि की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा में तिन्दवारी फतेहपुर मार्ग पर पुलिया के निर्माण की जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

55–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1980-81 में तिन्दवारी फतेहपुर मार्ग पर कि०मी० 296 में 3×6 मी० आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसकी जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ ने 1994 में की थी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या पुलिया निर्माण में दोषी पाये गये तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सरकार दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री अजय भट्ट–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

57–श्री अजय भट्ट–

[2रे शुक्रवार में अता०प्र०सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आई०ई०टी०, लखनऊ के छात्रों से जमा धनराशि तथा आर०बी०एस० कालेज, आगरा से हास्टल हेतु वसूल धनराशि का अन्य शुल्क में समायोजन

58–श्री अजय भट्ट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० ई० टी०, लखनऊ के छात्रों द्वारा दिनांक 26-10-96 को जमा की गयी धनराशि रुपये 35,000/- व आर०बी०एस० कालेज, आगरा में हास्टल आदि के लिये जमा की गयी रुपये 14,990/- इन्हें वापस कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन छात्रों के हो रहे शोषण को समाप्त कर उक्त धनराशि वापस करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

आई० ई०टी०, लखनऊ द्वारा किसी भी छात्र से रु० 35,000/- की धनराशि नहीं जमा करायी गयी है ।

प्राचार्य, आर०बी०एस० के पत्रांक 2063, दिनांक 25-01-99 द्वारा यह अवगत कराया गया कि जिन छात्रों से रु० 14,990/- शुल्क वसूल की गयी थी उसे शासन द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क रु० 5,000/- में समायोजित कर दिया गया । जिन छात्रों ने छात्रावास लिया उनकी छात्रावास शुल्क भी रु० 9,990/- को शेष धनराशि से रु० 5,990/- जमा किये गये तथा रु० 2,000/- काशनमनी में जमा किये गये । शेष रु० 2,000/- छात्रों को वापिस एवं अन्य देयों में समायोजित कर दिये गये हैं ।

प्रदेश में अस्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करने हेतु शासनादेश द्वारा दिया गया निर्देश

59–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1998 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री छब्बू पटेल, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्राइमरी विद्यालयों के लिये भी जूनियर हाई स्कूलों की तरह "ब" श्रेणी मान्यता का नियम लागू करके अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करने के लिये शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कोई कठिनाई नहीं हैं ।

अस्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के नवीनीकरण से मुक्त करने हेतु शासनादेश संख्या–984/15-6-98-18एस०(7)/89 दि० 28 अप्रैल, 1998 एवं शासनादेश संख्या–1873/15-6-98-18ए० (7)89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जनपद–शाहजहांपुर में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरानपुर कटरा को प्रेषित-पत्र एवं वांछित सूचना की जानकारी

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 7-10-98 को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरानपुर कटरा, जनपद–शाहजहांपुर को दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वांछित सूचना मा० सदस्य को उनके प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 26-10-98 को उपलब्ध करा दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई के माधौगंज चौराहे से नजहइया मंडी होते हुए मन्दिर तक सड़क की मरम्मत एवं लेपन कार्य की प्रगति

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के अन्तर्गत माधौगंज चौराहे से नजहइया मंडी होते हुए मन्दिर तक सड़क की मरम्मत हेतु चार लाख छत्तीस हजार रुपया स्वीकृत होने के बावजूद मात्र अभी तक दो ट्रक पत्थर की गिट्टी व कुछ ईंटा लगाकर रोड बना दी गयी, शेष धन अभी तक खर्च नहीं किया गया है ? क्या इसे जांच करके दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या सड़क बनाने के आदेश मंत्री जी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

रु० 4,32,750/- ग्राम्य विकास अभिकरण, हरदोई से 9/97 में प्राप्त हुए है। 1.10 कि०मी० लम्बाई में मार्ग के दोनों ओर खड़न्जा लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दाग मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। दो सतह लेपन का कार्य शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

कार्य प्रगति पर है।

उत्तरांचल में अंशकालिक व्यवस्था के तहत प्रवक्ता/एल०टी० पदों पर शिक्षण कार्य कर चुके शिक्षक/शिक्षिकाओं के समायोजन की मांग

62–श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 से 1989 तक उत्तरांचल में अंशकालिक व्यवस्था के तहत प्रवक्ता/एल० टी० पदों पर शिक्षण कार्य कर चुके शिक्षक/शिक्षिकाओं के समायोजन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इन शिक्षकों का कब तक समायोजन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–महोबा में श्री गंगा सिंह राजकीय इण्टर कालेज, चरखारी में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

63–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा सिंह राजकीय इण्टर कालेज, चरखारी, जनपद महोबा में कितने प्रवक्ता के पद रिक्त हैं ? क्या उन रिक्त पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रवक्ता के 6 पद रिक्त हैं।

जी हां।

विभाग पदों को भरने की कार्यवाही कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सुल्तानपुर में इण्टरमीडिएट कालेज में कार्यरत प्रवक्ता संवर्ग के कतिपय अध्यापकों के चयन वेतनमान का अवशेष भुगतान में आपत्ति

64–श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर में इण्टरमीडिएट कालेज में कार्यरत प्रवक्ता संवर्ग में चयन वेतनमान के देय अवशेष का भुगतान करने हेतु कितने अध्यापकों के मांग-पत्र अब तक जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से किस-किस को भुगतान कर दिया गया है ? कितने अध्यापकों को देय अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? उनका भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भुगतान की क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ? उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी, हां ।

18 (अट्ठारह) अध्यापकों के अवशेष देयक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुए हैं । उक्त में से निम्न को भुगतान कर दिया गया है ।

1–श्री रामचन्द्र सिंह

2–श्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव, एम०एस०बी० इण्टर कालेज, सुल्तानपुर ।

16 (सोलह) अध्यापकों को देय अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । आपत्तियों के निवारण के उपरान्त अनुमन्यता एवं धनावंटन करके भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रकरण अनुमन्यता/धनावंटन हेतु निदेशालय स्तर से देयक का परीक्षण कर अनुमन्यता/धनावंटन जनपदीय अधिकारियों को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है और जनपदीय अधिकारियों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाता है ।

आपत्तियों के निवारणोपरान्त अनुमन्यता एवं धनावंटन करके भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद–मथुरा में जतीपुरा से गोठोली मार्ग के निर्माण सम्बन्धी जिला पंचायत के कार्यों को लोक निर्माण विभाग से कराने की मांग

65–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में जतीपुरा से गोठोली मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने विषयक मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–3/11473/मथुरा/98, दिनांक 1-6-98 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत का है । अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

66–चौ० मलखान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के सभी कार्यों को गड्ढा मुक्त रखने का प्रयास एवं पट्टी प्रतापगढ़ के गड्ढा मुक्त कार्य

67–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में ग्रामीण मार्गों को गड्ढा मुक्त, पुनर्निर्माण, कट स्टोन की व्यवस्था हेतु क्या कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो शासन की नीति क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उपरोक्त कार्य किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या-क्या कार्य किये गये ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त रखा जाय ।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में निम्नांकित मार्गों को गड्ढा मुक्त किया गया है :–

1–बेल्हा पट्टी ढकवा

(प्रमुख जिला मार्ग)

2–अकबरपुर चांदा पट्टी मार्ग

(प्रमुख जिला मार्ग)

3–आमापुर–आसपुर–देवसरा मार्ग

(ग्रामीण मार्ग)

4–पट्टी बंधवा मार्ग

(ग्रामीण मार्ग)

5–पट्टी कण्हौर मार्ग

कट स्टोन व पुनः निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया ।

जनपद–प्रतापगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में की गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर टी०ए०सी० से जांच

68–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के कितने पत्र, जनवरी, 1998 से अब तक जनपद–प्रतापगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की गुणवत्ता की जांच एवं मानकों के अनुरूप कार्य न करने के संबंध में उन्हें एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को टी० ए० सी० तथा उच्च स्तरीय जांच हेतु प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त पत्रों के आधार पर किन-किन कार्यों की जांच होनी है तथा जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नकर्ता के जनवरी, 1998 से अब तक सात शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ।

प्राप्त पत्रों के आधार पर 26 मार्गों की जांच कराने के आदेश टी०ए०सी० को दिये जा चुके हैं। जांच क्रमित है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में शासन द्वारा नियुक्तियों पर लगायी गयी रोक के बावजूद की गई नयी नियुक्ति पर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन

69–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक विभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०–20/1/91 का–2/1997, दिनांक 3 नवम्बर, 1997 नई नियुक्तियों पर रोक लगाई है ? यदि हां, तो क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय में शासन की अवहेलना करते हुए शासनादेश सं०–325–सत्तर–तीन–98, दिनांक 30-3-98 को तथा शासनादेश सं०–2326/सत्तर–1–98–55(5), दिनांक 12-8-98 को नई नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जनपद–सुल्तानपुर में ए०एच० इण्टर कालेज, मुसाफिरखाना के प्रबन्धतंत्र द्वारा सभी संवर्गों में की गई नियुक्तियां के सम्बन्ध में जांच की मांग

70–श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, ए०एच० इण्टर कालेज, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर ने उक्त विद्यालय में वर्ष 1997-98 में अध्यापकों, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धतंत्र को उक्त नियुक्तियां करने का अधिकार है ? क्या इन नियुक्तियों में विभागीय नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी तथा प्रबन्धतंत्र के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कालेज की प्राभूति-निधि में बनी 5 दुकानों का किराया किस खाते में जमा होता है तथा उसका आडिट कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चन्दौली के एकौनी से खंजूर गांव भजऊ तक क्षतिग्रस्त सड़क के संबंध में ग्राम वासियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को भेजे गये पत्र पर मरम्मत कार्य

71–छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र, जनपद–चन्दौली के एकौनी से खंजूर गांव होते हुए भजऊ तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सड़क की गुणवत्ता में तकनीक कमी के कारण ग्राम वासियों ने कार्य को रोककर इसकी शिकायत अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से की है ? क्या मंत्री जी उक्त सड़क की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

गुणवत्ता में तकनीकी कमी के कारण नहीं बल्कि असमय वर्षा के कारण मार्ग निर्माण के दौरान ही प्रथम सतह लेपन का कार्य कुछ दूरी मे क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करा दी गयी है तथा मार्ग पूर्ण रूप से लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुरूप सही है।

मार्ग लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुरूप सही है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली मुगलसराय की क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर विचार

72–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र जनपद–चन्दौली की सड़कें रेवां से रामपुर, भरतपुर एवं सिंधी ताली से जिवनाथपुर, जी०टी० रोड धपरी माइनर पटरी जी०टी० रोड से बसनी क्षतिग्रस्त है ? क्या मंत्री जी गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत इन सड़कों की मरम्मत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

ग्रामीण मार्गों को गड्ढामुक्त करने का कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मथुरा के कस्बा अडींग स्थित कालेज को उच्चीकरण की कार्यवाही की मांग

73–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के कस्बा अडींग स्थित कालेज को उच्चीकृत करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/12708/मथुरा/98, दिनांक 1-7-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1998-99 की जिला योजनान्तर्गत जनपद मथुरा हेतु परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण विद्यालय के उच्चीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

जनपद–बलिया के सीयर व नगरा विकास खण्डों में स्वीकृत मार्गों व पुलों के निर्माण की मांग

74–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों में राज्य सेक्टर या जिला सेक्टर से स्वीकृत कौन-कौन मार्ग अपूर्ण हैं ? क्या सरकार पूर्ण धन उपलब्ध

कराकर सभी स्वीकृत मार्गों और पुलों का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

† (देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 170–171 पर ।)

75–श्री राम पाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद–शाहजहांपुर के हाटमिक्स प्लान्ट मीरानपुर कटरा में भ्रष्टाचार के संबंध प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" –

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र राष्ट्रीय मार्ग 24 कि०मी० 290 में स्थित हाटमिक्स प्लान्ट नं०–87 मीरानपुर कटरा, जनपद–शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 4-10-98 को उन्हें दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्र सं०–1588, दिनांक 12-10-98 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय निर्माण) शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अधि० अभियन्ता, लोक निर्माण द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत के बिन्दुओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (कार्य अधीक्षक) द्वारा जांच आख्या जिलाधिकारी को भेज दी गयी है ।

जनपद–हरदोई, मल्लावां के पंचायत ग्राम महनेपुर–मीननगर के बीच पुलिया व सड़क निर्माण कराये जाने की जानकारी

77–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के पंचायत ग्राम महनेपुर-मीननगर क्षेत्र क्या पंचायत मल्लावां के अन्तर्गत है ? क्या यह सही है कि वह बड़ी आबादी का ग्राम पंचायत है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम पंचायत को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है और न ही महनेपुर मीननगर के बीच एक पुलिया का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़कर जनहित में पुलिया व सड़क का निर्माण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम महनेपुर एवं मीननगर की कुल आबादी एक हजार से कम है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नीति के अनुसार शासन की प्राथमिकता 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने की है।

जनपद–हरदोई के मल्लावां विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम गढ़ी रसूलपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की जानकारी

78–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम गढ़ी रसूलपुर की आबादी एक हजार तीन सौ चार है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक उसे मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, ग्राम की आबादी एक हजार से कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

सन् 2005 तक एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को ही मुख्य मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है।

जनपद–हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन एवं सिंहद्वार तक सड़क की मरम्मत की मांग

79–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद–हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन एवं सिंहद्वार तक सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं कराई गयी है ? क्या इस पुरानी सड़क क निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो कब तक सड़क की मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, मार्ग की मरम्मत का कार्य समय-समय पर कराया जाता रहा है।

जी हां।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सड़क की मरम्मत करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–हरदोई के मल्लावां ग्राम ऊंचागांव को आबादी के अनुसार मुख्य मार्ग से जोड़ने पर विचार

80–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–ऊंचागांव की आबादी एक हजार नौ सौ से ऊपर है ? यदि हां, तो क्यों ? उसे कब तक मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार गांव की आबादी 1488 है ।

जी हां ।

मार्ग की कुल लम्बाई 2.20 कि०मी० में से 1.80 किमी० खड़ञ्जा स्तर तक निर्मित है । शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा वरीयता निर्धारित होने पर ही विचार किया जायेगा ।

81–श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्राइमरी पाठशाला भगौतीगंज बलरामपुर नगर, गोण्डा से सेवानिवृत्त श्री भवानीपाल पाण्डे की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का औचित्य

82–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा० पा० भगौतीगंज बलरामपुर नगर, गोण्डा से सेवानिवृत्त हुए भवानीपाल पाण्डे निवासी–ग्राम–पूरे बृजलाल बासूपुर गौरीगंज, सुल्तानपुर की मृत्यु के पश्चात् इनकी विधवा श्रीमती पराना देवी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पराना देवी अथवा उनके पुत्रों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का शासन को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

इनके प्रकरण में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है । पत्र के विवरण के अभाव में अवगत कराना सम्भव नहीं है ।

नियमानुसार पेंशन देय नहीं है । अतः भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद–सुल्तानपुर, जूनियर हाई स्कूल ब्लाक गौरीपुर में चपरासी पद पर कार्यरत श्री भैरव प्रसाद तिवारी पुत्र राम पाल तिवारी की सेवा निवृत्ति पर पेंशन न मिलने का औचित्य

83–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई-स्कूल गौरीपुर, ब्लाक–गौरीपुर, जनपद–सुल्तानपुर में चपरासी पद पर कार्यरत भैरव प्रसाद तिवारी पुत्र राम पाल तिवारी दिनांक

30-6-94 को सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो इन्हें अब तक पेंशन एवं अन्य देय धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

श्री तिवारी का कोई देयक लम्बित नहीं है । श्री तिवारी नियत वेतन पर कार्यरत थे अतः उन्हें पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बलिया में मांझी के पास घाघरा नदी पर निर्माणाधीन सेतु का कार्य पूर्ण किये जाने का आश्वासन

84–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी पर मांझी के पास जनपद–बलिया में सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन सेतु सन् 2000 तक बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

पुनरीक्षित आगणन भूतल एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है । उसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने एवं धन उपलब्धता के दो वर्ष पश्चात् इस सेतु का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ।

जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा मार्ग पर पुल के निर्माण की मांग

85–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा स्थित रामपुर बवरिया–गोबिन्दपुर मार्ग जो वर्ष 1994 में स्वीकृत था, पर पुल अभी तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या इसे पुनःरीक्षित आगणन के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करते हुये धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति वर्ष 1992 में दी गई थी, किन्तु पुल अभी तक नहीं बना है ।

उक्त कार्य को राज्य सेक्टर से जिला सेक्टर योजना में वर्ष 1993 में स्थानान्तरित कर दिया गया था । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा इस कार्य पर अब तक स्वीकृति न दिए जाने के कारण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बलिया में राजकीय कन्या जूनियर हाई-स्कूल विद्यालय भवन निर्माण की मांग

86–श्री भरत सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या विद्यालय बैरिया, जनपद–बलिया, जूनियर हाई-स्कूल बैरिया के भवन में विगत 10 वर्षों से चल रहा है ? उक्त विद्यालय के लिये भवन निर्माण कब तक होगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला सेक्टर की योजनान्तर्गत जनपद बलिया के लिये परिव्यय आवंटित होने एवं आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान होने पर ही प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दिया जाना सम्भव होगा ।

जनपद–बलिया के राजकीय कन्या विद्यालय जयप्रकाश नगर में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की मांग

87–श्री भरत सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या विद्यालय जयप्रकाश नगर बलिया अध्यापिकाओं के अभाव में बन्द है ? उक्त विद्यालय में अध्यापिकाओं की वांछित संख्या अध्यापिकाओं की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

सहायक अध्यापिकाओं के वांछित पदों पर चयनोपरान्त नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–जालौन के जगम्मनपुर में बने पुल के पीपों के बहने की संख्या तथा उसे लाने पर व्यय का विवरण

88–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जालौन में जगम्मनपुर के पास यमुना नदी पर बने पीपे/पान्टून के पुल के पीपे गत वर्ष यमुना की बाढ़ में बह कर हमीरपुर जनपद की सीमा में यमुना नदी में पहुंच गये थे ? यदि हां, तो उन पीपों की संख्या क्या थी तथा लोक निर्माण विभाग सी०डी० प्रथम उरई जालौन ने उन पीपों को लाने के लिये अब तक कितना धन खर्च किया है ? क्या यह सच है कि अभी तक भी पीपा नहीं लाया गया है ? क्या एक पीपे की कीमत से अधिक धन लाने हेतु खर्च होना प्रदर्शित करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । वर्ष 1996 में आई भीषण बाढ़ में पीपे बह गये थे ।

बहने वाले पीपों की संख्या–52 थी । पीपों को लाने में अब तक 3.50 लाख रु० व्यय हुआ है ।

जी नहीं, अब तक कुल 40 पीपे लाये जा चुके हैं तथा शेष 12 पीपे जो हमीरपुर यमुना सेतु के पास बालू में धंसे हैं, को निकालने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी० फार्मा के विद्यार्थीयों से अतिरिक्त विकास शुल्क की वसूली

89—श्री भारत सिंह रावत—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में शासनादेशों के विपरीत बी फार्मा में विद्यार्थियों से 30 हजार डोनेशन के स्थान पर 50 हजार डोनेशन लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी नहीं । डोनेशन नहीं शुल्क लिया जाता है ।

यह पाठ्यक्रम पूर्णतया स्ववित्तपोषित है । रुपया 20 हजार अतिरिक्त विकास शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता है ।

जनपद—हरदोई, मल्लावां गौसगंज रोड से निर्मत नगर कोसिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग के डामरीकरण की मांग

90—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद—हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में मल्लावां गौसगंज रोड से निर्मत नगर कोसिया तक के मार्ग पर वर्ष 1989 में गिट्टी डलवाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक उक्त मार्ग पर बजरी डालकर डामरीकरण नहीं कराया गया है ? क्या उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? क्या सरकार उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई में सेखवापुर पुल से सुमेरगंज तक खड़ंजा मार्ग की मरम्मत व डामरीकरण की जानकारी

91—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद—हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सेखवापुर पुल से सुमेरगंज तक खड़ंजा लगा है और उक्त रोड माधौगंज नया गांव रोड से मिलता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जर्जर मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण कराया जाना आवश्यक है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

92—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

। दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं०—189 द्वारा उत्तरित ।

जनपद–हरदोई मल्लावां गौसगंज मार्ग से ग्राम बीकापुर मार्ग तक पड़ी गिट्टी का डामरीकरण की जानकारी

93–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में मल्लावां गौसगंज मार्ग से ग्राम बीकापुर तक गिट्टी डलवायी गयी है ? यदि हां, तो क्या अभी तक बजरी डलवाकर डामरीकरण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार जनहित में उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–मैनपुरी में जिला पंचायत द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाटेढ़ा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री उदय राज सिंह राठौर को वेतन भुगतान में कथित अनियमितता

94—श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उ०मा० विद्यालय, नवाटेढ़ा, मैनपुरी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री उदय राज सिंह राठौर को उनके विरुद्ध आडिट आपत्तियों के कारण जिला पंचायत के आदेश 453/ई०आर०के०/97–98 दिनांक 24-11-97 को नजरअदांज करके जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय–3 के विनियम–24 का खुला उल्लंघन करके अनियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–मैनपुरी में जिला पंचायत द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाटेढ़ा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनियमित नियुक्ति पर कार्यवाही के निर्देश

95—श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवाटेढ़ा, मैनपुरी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री उदयराज सिंह राठौर की नियुक्ति के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16–ई (10) के अन्तर्गत प्रकरण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद में लम्बित है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने अपने पत्रांक–4468–69/95–96 दिनांक 3-8-95 में स्पष्ट किया है कि जिला पंचायत नियमावली के अनुसार उक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य की आयु अधिक होने के कारण उनकी नियुक्ति अनियमित है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी के पत्रांक 4468-69/95-96 दिनांक 3-8-95 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि जिला पंचायत ऐक्ट की सेवा शर्तों में अधिकतम आयु विज्ञापन के दिनांक 28-1-78 को 30 वर्ष थी तो श्री राठौर की नियुक्ति, नियुक्ति के समय अनियमित है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी को उक्त पत्र के संदर्भ में निदेशालय के पत्रांक सा० (1) द्वितीय/375/97-98 दिनांक 14-5-97 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के रिक्त पद पर जारी नियुक्ति पत्र

96—श्री राम औतार शाक्य—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 बैच के नव चयनित अवर वर्ग सहायकों जिनकी नियुक्ति सचिवालय में होनी थी, हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसी बैच के उन अभ्यर्थियों, जिनकी तैनाती लोक सेवा आयोग में होनी थी तथा जो मेरिट में भी नीचे हैं, की विगत दिसम्बर, 1997, जनवरी, 1998 में ही नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो ऐसी विसंगति क्यों ? क्या 1995 के अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति में कोई गतिरोध है ? यदि हां, तो वह क्या है ? कब तक उनकी तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

सचिवालय/आयोग प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1995 के आधार पर अवर वर्ग सहायक पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा उ०प्र० सचिवालय के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

उ०प्र० सचिवालय में वर्ष 1995 में अवर वर्ग सहायक के 427 पदों को आस्थगित करके उतने ही टंकक के पद सृजित किये जाने के फलस्वरूप अवर वर्ग सहायक संवर्ग में रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने में कठिनाई थी । जिसे दूर करने के लिये टंकक के 46 पदों को आस्थगित रखकर अवर वर्ग सहायक के 46 अस्थाई अधिसंख्यक पदों का सृजन करके संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी कपिल मुनि डिग्री कालेज करपिया (बेवर) में जिम्नास्टिक हाल एवं पुस्तकालय निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

97—श्री राम औतार शाक्य

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कपिल मुनि डिग्री कालेज, करपिया (बेवर) जनपद में एक-एक जिम्नास्टिक हाल एवं एक पुस्तकालय के निर्माण हेतु क्रमशः 17.6 लाख रुपये एवं 9.186 लाख रुपये की धनराशि को अवमुक्त कराने के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—2391/एस०टी० दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 आगणन सहित शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आगणन/मांग के अनुसार उपरोक्त कालेज को धन अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

अशासकीय महाविद्यालयों को जिम्नास्टिक हाल एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु आय-व्ययक में धनराशि की कोई व्यवस्था न होने के कारण धनराशि स्वीकृति करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मैनपुरी, नवातेड़ा में जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान की जांच एवं कार्यवाही

98–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा संचालित श्री राजेन्द्र सिंह, जिला पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवातेड़ा, मैनपुरी के संयुक्त खाते का संचालन बिना किसी कारण के जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी ने अपने आदेश सं०–52/97–98 के द्वारा एकल परिचालन का आदेश किया और कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दिसम्बर, 1997 व जनवरी, फरवरी, 1998 का जीवन निर्वाह भत्ता व पूरा वेतन अनियमित रूप से आहरित करा दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत मैनपुरी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या–4 दिनांक 22-12-97 के द्वारा उक्त प्रधानाचार्य को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक जि०वि०नि० मैनपुरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी नहीं, केवल मूल प्रवक्ता पद का वेतन दिया गया है।

जी हां।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को जांच के आदेश निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–प्रतापगढ़ में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित भगंवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण

99–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि भगंवा सम्पर्क मार्ग, जो जिला योजना, प्रतापगढ़ में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ द्वारा भगंवा ग्राम सभा में न बनवाकर रुदापुर ग्राम सभा में बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग भगंवा ग्राम सभा में बनवाया जा रहा है, जो रूदापुर ग्राम सभा को जोड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के मझिया जाफरपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने का आश्वासन

100—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद–हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1800 की आबादी वाला मझिया जाफरपुर ग्राम अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार उक्त मझिया जाफरपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार गांव की आबादी 1006 है ।

जी हां ।

ऐसे 1000 जनसंख्या से अधिक के गांवों को मार्ग विकास नीति के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सन् 2005 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्यक्रम है ।

जनपद–हरदोई के मार्गों की मरम्मत किये जाने की मांग

101—डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला–हरदोई के माधौगंज से मटियामऊ रोड व माधौगंज से गौरा रोड एवं माधौगंज से परचल रसूलपुर रोड का डामरीकरण काफी समय पूर्व किया गया था ? क्या यह सही है कि अभी तक उक्त रोडों की मरम्मत नहीं करायी गयी है ? क्या सरकार का आदेश है कि प्रदेश की सभी सड़कों को जनहित में गड्ढामुक्त 30 जून, 1998 तक कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त रोडों की कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत करायी गयी है ।

जी नहीं, सड़कों को गड्ढामुक्त करना एक सतत् प्रक्रिया है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–शाहजहांपुर में निर्माणाधीन गर्रा पुल के पूर्ण होने का लक्ष्य एवं बाढ़ से उसकी अप्रत्याशित क्षति का विवरण

102—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में बाईपास पर बन रहे गर्रा पुल का ठेका कितने रुपये में दिया गया तथा किस-किस ठेकेदार को दिया गया ? उपरोक्त गर्रा पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होकर पुल जनता के लिये खोल दिया जायेगा ? क्या सरकार को जानकारी है कि गर्रा पुल बाईपास निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही पुल का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसमें दोषी ठेकेदार तथा अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

शाहजहांपुर बाईपास पर निर्माणाधीन गर्रा सेतु का ठेका परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मै० ट्रफ्लगर हाउस कान्स्ट्रक्शन इण्डिया लि०, नई दिल्ली को रु० 4,45,03,190.00 का दिया गया है ।

गर्रा सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का संभावित लक्ष्य 3/99 है । तत्पश्चात् सेतु जनता के आवागमन के लिये उपलब्ध हो जायेगा ।

जी हां ।

माह 8/98 में गर्रा नदी में आई भारी बाढ़ व अप्रत्याशित बाढ़ एवं ठेकेदार कम्पनी की लापरवाही के कारण पुल के निर्माणाधीन सुपर स्ट्रक्चर का कुछ भाग बाढ़ के पानी में बह गया था । इसमें किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं प्रतीत होता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

तदर्थ/वर्कचार्ज कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में नियमावली के अन्तर्गत शासन की नीति

103—श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार तदर्थ/वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमित किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाने के लिये विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तदर्थ कार्मिकों को विनियमित किये जाने हेतु नियमावली विद्यमान है । इसलिये तदर्थ कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु स्थायी नीति बनाने हेतु विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्कचार्ज कार्मिकों को नियमित करने हेतु कोई स्थायी नीति निर्धारित करने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमित अर्हता वाले इन्स्ट्रक्टरों को प्रवक्ता पद का लाभ

104–श्री रमेश राही–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के एकेडमी कौंसिल द्वारा 30 अगस्त, 1993 को आइटम नम्बर 17 बी में फाइन आर्ट के इंस्ट्रक्टर को अध्यापक संवर्ग में मानने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो अब इंस्ट्रक्टर का पद गैर शिक्षक संवर्ग में मानने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनको शिक्षक संवर्ग में मानने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जब तक अधिनियम/परिनियमावली में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक एकेडेमिक काउंसिल की मात्र संस्तुति के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है ।

शासन द्वारा उन इंस्ट्रक्टर्स को शिक्षक पद (प्रवक्ता) का पदनाम व वेतनमान दे दिया गया है जो इन्स्ट्रक्टर यूं० जी० सी०/शासन द्वारा निर्धारित प्रवक्ता पद की अर्हता रखते हैं । अर्नह इंस्ट्रक्टर्स को प्रवक्ता पद का एवं वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है ।

प्रवक्ता की अर्हता के सशर्त विचार किया जा चुका है, अब प्रश्न नहीं उठता है ।

अर्नह इंस्ट्रक्टर्स के मामले में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–सीतापुर में भवन विहीन राजकीय विद्यालयों की संख्या/निर्माण की योजना

105—श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर में कितने राजकीय विद्यालय भवन–विहीन हैं ? क्या भवन विहीन विद्यालयों के बनाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो विद्यालय कब तक बन कर तैयार होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, दस राजकीय विद्यालय भवन विहीन हैं जो जिला परिषदीय/पंचायत घर अथवा किराये के भवनों में संचालित हैं । जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय भवनों के निर्माण की योजना है ।

उक्त के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में परिव्यय तथा प्राविधान उपलब्ध होने पर ही विद्यालय भवनों के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–आजमगढ़ के श्री अरविन्द लाल सहायक अध्यापक स्मिथ इण्टर कालेज, को अनियमित वेतन के देने के संदर्भ में जांच/कार्यवाही

106—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अर्द्धशासकीय पत्रांक सं०–शिविर/डी०ई०/3204–08/96–97 दिनांक 11 मार्च, 1998 द्वारा श्री अरविन्द लाल, सहायक अध्यापक, स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ को दिये जा रहे अनियमित वेतन के संदर्भ में संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा०) मण्डल आजमगढ़ से जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जांच के उपरान्त सहायक अध्यापक श्री लाल के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा–16 (ई) (10) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए निदेशालय स्तर पर सुनवाई की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–आजमगढ़ में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

107—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-10-98 का पत्र जो राजकीय बालिका उ० मा० वि० अजमतगढ़, आजमगढ़ के भवन निर्माण में लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में था तथा जिसकी प्रतिलिपि मण्डलायुक्त आजमगढ़, मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, मण्डल आजमगढ़ तथा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दी गयी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही सुनिश्चित कर छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

इसके लिये लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बलिया में परसिया ग्राम स्थित पारासर मुनी के ऐतिहासिक प्राचीन आश्रम का सौन्दर्यीकरण की मांग

108—श्री भरत सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया में परसिया ग्राम स्थित पारासर मुनी के ऐतिहासिक प्राचीन आश्रम के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

यह स्थल स्थानीय महत्व का है । स्थानीय महत्व के स्थलों के विकास हेतु जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप धनावंटन किया जाता है । जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य के लिये कोई परिव्यय/धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

जनपद–बरेली के प्राथमिक विद्यालय, डबरा के भवन का निर्माण कार्य

109—श्री छोटे लाल गंगवार

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-9-95 में स्वीकृत प्रा० विद्यालय ग्राम डबरा विकास खण्ड भदपुरा जनपद बरेली एक प्राइवेट भवन में 1996-97 से चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार प्रा० विद्यालय, डबरा का भवन का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

दिनांक 20-9-95 को स्वीकृत ग्राम–डबरा के प्राथमिक विद्यालय का भवन वास्तव में ग्राम–भजनई में बना दिया गया था । ग्राम–डबरा हेतु पुनः दिनांक 28-11-98 को भवन स्वीकृत किया गया है, जो निर्माणाधीन है । निर्माण कार्य दिनांक 31-3-99 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बरेली के नवाबगंज के उप जिलाधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय केलाडोडी हेतु गाटा संख्या–280 पर निर्माण कार्य हेतु न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा

110—श्री छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम केलाडोडी जनपद बरेली हेतु गाटा संख्या–280 जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, पर क्या सरकार विद्यालय का निर्माण करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

गाटा संख्या–149 भवन निर्माण हेतु निर्धारित किया गया था । मा० न्यायालय में वाद सं०–60/90 योजित होने के कारण इस पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

पुनः गाटा सं०–280 का चयन किया गया है । परन्तु योजित वाद पर न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा में उक्त गाटा सं०–280 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ।

गोण्डा, बलरामपुर लोक निर्माण विभाग, उतरौला में निर्माण कार्य में अनियमितताओं की क्रमित जांच

111—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग गोण्डा बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 में उतरौला विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच, विषयक विधायक कोष्ठक की पत्र सं०–एम–4/85–10/गोण्डा/97, दिनांक 30-9-97 प्राप्त हुआ है ? क्या निर्माण कार्यों के स्थल की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच क्रमित है ।

जनपद–बलरामपुर उतरौला क्षेत्र के मार्गों के निर्माण में व्यय धनराशि/स्थल निरीक्षण

112—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में मधुपुर से सादुल्ला नगर मार्ग अम्बेडकर ग्राम बन्जारिया तक का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हुआ तथा मार्ग निर्माण में कितना धन स्वीकृत हुआ ? क्या मार्ग का निर्माण मानक के आधार पर कराया गया है ? क्या वर्तमान समय वर्ष 1996-97 में मार्ग की स्थिति आवागमन के लिए ठीक है ? क्या मार्ग

निर्माण पर व्यय किये गये धन का सही उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थल निरीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मधुपुर से सादुल्लानगर के कि०मी०–8 से निकलने वाले अम्बेडकर ग्राम बंजरिया के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1996-97 माह 3/97 में 6 कि०मी० एवं 36.00 लाख की प्राप्त हुई है । मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 6/97 में प्रारम्भ किया गया है ।

जी हां ।

वर्ष 96-97 में अम्बेडकर ग्राम बंजरिया के लिये मिट्टी स्तर तक के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया गया था वर्तमान में प्रथम 5 कि० मी० आवागमन हेतु उपलब्ध है एवं छः कि०मी० में निर्माण प्रगति में है ।

जी हां । आगणन में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्य कराये जा रहे हैं । समय-समय पर अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद–बलरामपुर में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की शिक्षण सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता की जांच एवं विभागीय कार्यवाही

113–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जांच के दौरान अधिकांश अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खुले पाये गये जिसके कारण विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी ।

वर्ष 1996-97 में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये शिक्षण सामग्री का क्रय नहीं किया गया था । केवल वर्ष 1997-98 में तत्कालीन जिलाधिकारी, गोण्डा एवं तत्कालीन उप जिलाधिकारी/प्रभारी जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को अनियमित रूप से जनपद–बलरामपुर के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की शिक्षण सामग्री का क्रय किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है ।

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में शिक्षण सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु बरती गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप पूर्व में ही सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त 7 विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 16-2-99 को अतारांकित प्रश्न संख्या–180 द्वारा उत्तरित ।]

115—श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद–मिर्जापुर के विकास खण्ड नरायनपुर में प्राइमरी पाठशाला घरवासपुर की चहारदीवारी निर्माण की मांग

116—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् उ० प्र० का पत्र दिनांक 8-9-98, जो मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर विकास खण्ड में स्थित प्राइमरी पाठशाला घरवासपुर की चहारदीवारी निर्माण कराये जाने विषयक है, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त विद्यालय की भू-सम्पत्ति की

सुरक्षा एवं स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के सृजन के लिए प्रश्नगत विद्यालय की चौतरफा चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

चहारदीवारी निर्माण नहीं कराया जा सका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की अनुपलब्धता के कारण ।

117—श्री जगदीश सिंह राणा–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परखम की पुष्पलता एल० टी० ग्रेड–ब प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी का स्थानान्तरण

118—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परखम की पुष्पलता एल० टी० ग्रेड व प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी के स्थानान्तरण विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम–3/10969/मथुरा/98, दिनांक 19-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रश्नगत स्थानान्तरण कर दिये गये हैं ।

जनपद–मथुरा, राधाकुण्ड, पुल निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने हेतु विधायक कोष्ठक के पत्र पर कार्यवाही

119—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा स्थित राधाकुण्ड पुल के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एस०/वि०को०/एम–3/10966/ मथुरा/98, दिनांक 19-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । जनपद–मथुरा में राधाकुण्ड कोदई मार्ग के आगरा कैनाल पर सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 द्वारा प्रदान की जा चुकी है एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र निर्गत की जायेगी ।

आजमगढ़–वाराणसी मार्ग का उच्चीकरण कर प्रान्तीय राजमार्ग घोषित किये जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

120—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़–वाराणसी मार्ग किस श्रेणी का है ? क्या सरकार आजमगढ़–वाराणसी मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग का उच्चीकरण करके उसे प्रान्तीय राजमार्ग घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

यह मार्ग प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी का है ।

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–आजमगढ़ लालमऊ से दुहरू तथा रामपुर जमीन पाल्हन की सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति

121—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत (1997-98) की आजमगढ़-जनपद की लालमऊ से दुहरू तथा रामपुर जमीन पाल्हन की सड़क पर कार्य इसलिए नहीं हो पाया कि बिना टेण्डर के किसी ठेकेदार ने अत्यधिक घटिया किस्म की गिट्टी गिरा दी है ? क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क के निर्माण में बिना टेण्डर के घटिया किस्म की गिट्टी का भुगतान रोक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, कार्य प्रगति में है ।

घटिया किस्म की गिट्टी के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–आजमगढ़, लालगंज–तरवां मार्ग से ग्राम बेरीडीह सम्पर्क मार्ग के अनियमित कार्य की जांच

122—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज-तरवां मार्ग से (जनपद-आजमगढ़) ग्राम बेरीडीह के लिए सम्पर्क मार्ग के रूप में चार कि०मी० लम्बी सड़क का निर्माण वर्ष 1994-95 या 1995-96 में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सड़क बन गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इस सड़क के लिए स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण में व्यय कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इसके लिए संशोधित स्वीकृति विभाग तथा शासन द्वारा प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अनियमित कार्य की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत सड़क के बजाय बेरीडीह-वसही मार्ग का निर्माण कराया गया है ।

शासन द्वारा संशोधित स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

जांच के आदेश दिये जा रहे हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के अवध वन प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण में व्यय धनराशि एवं स्थलीय सत्यापन संबंधी विवरण

123—श्री सन्त प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग लखनऊ द्वारा वर्ष 1998-99 में कितने वृक्षारोपण कराये गये तथा इस कार्य हेतु कितना धन व्यय किया गया ? कितने पौधे माह नवम्बर में जीवित रह गये ? क्या यह कार्य निविदा व कोटेशन द्वारा कराये गये हैं ? क्या उसकी सारी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं ? क्या सरकार कराये गये वृक्षारोपण की जांच शासन स्तर से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 98-99 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 8,03,478 पौध रोपित किया गया, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 98 तक 7,63,847 पौध जीवित रहे । इस पर कुल रु० 103.39 लाख व्यय किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

योजना का नाम/ वित्तपोषण का श्रोत	रोपित पौधों की सं०	जीवित पौध माह नवम्बर 1998 तक	व्यय धन दिस० 98 तक रु० लाख में
1–ज० रो० यो०	353000	341500	44.67
2–सु०रो०यो०	194000	132748	17.66
3–मा० वा० यो०	90000	85320	20.38
4–पर्यावरण	57005	50386	12.00
5–वन निगम/आर्मी	10200	6613	1.05
6–आई० इब्लू० डी० पी०	99273	97280	7.63
योग :	803478	763847	103.39

जी नहीं ।

रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से विभागीय वृक्षारोपण का प्राविधान है ।

शासनादेश सं०–3040/31-98-36/98 दिनांक 25-8-98 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है जो कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय सत्यापन प्रत्येक माह करते हैं तथा उसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराते हैं । अतः कराये गये कार्यों का स्थलीय सत्यापन शासन के निर्देशानुसार किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में पुलिया की मरम्मत/अन्य आवश्यक पुलियों के निर्माण की मांग

124—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के वि० खण्ड मल्लावां में बेरिया नजीरपुर से शाहपुर पवांर रोड पर मार्ग पुलिया टूटी पड़ी है और लम्बे अर्से से पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा है जिससे मार्ग अवरुद्ध है ? क्या उक्त मार्ग पर शिवालापुरवा एवं ग्राम बहादुरपुर के आगे दो पुलिया भी बनवाया जाना आवश्यक है ताकि रोड की उपयोगिता हो सके ? यदि हां, तो सरकार पुलिया का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, पुलिया क्षतिग्रस्त है, पर मार्ग अवरुद्ध नहीं है ।

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–मैनपुरी में दीन दयाल उपाध्याय योजना में विधायकों के प्रस्ताव पर सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य का विवरण

125—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मैनपुरी में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 1997-98 में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें किस-किस के प्रस्ताव से स्वीकृत हुई ? क्या उन सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक बनवा दिया गया है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1998-99 में विधायकों के प्रस्ताव से सम्पर्क मार्गों को पेन्टिंग स्तर तक बनवाने हेतु प्रस्ताव लेकर बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद–मैनपुरी में पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरणानुसार सड़कें स्वीकृत की गई ।

उल्लिखित सड़कों में से 17 पर लेपन स्तर तक निर्माण हो चुका है । शेष एक सड़क–"गोला बाजार से सिकन्दरपुर वाया हसनपुर, लम्बाई 500 मीटर" में लेपन कार्य के स्थान पर पत्थर के ब्लाक लगा कर कार्य पूर्ण किया गया है, क्योंकि इस स्थान पर पानी की निकासी की समस्या का इससे ही समाधान होता है ।

वर्ष 98-99 में मा० विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के परामर्श से क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार राज्य सेक्टर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 172 पर ।)

जनपद–वाराणसी के उच्च प्राथमिक विद्यालय अनेई के प्रधानाचार्य द्वारा वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही के निर्देश

126—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम लाल सिंह, अध्यक्ष, शिक्षा समिति उच्च प्राथमिक विद्यालय अनेई, वाराणसी द्वारा 28-2-97 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा अभिदान निधि का पैसा अनेई में खोले गये खाता संख्या 393545 में जमा न करके व्यक्तिगत रूप से खर्च करने तथा विभाग द्वारा दी गयी धनराशि को अपने निजी खाते में जमा करके मनमाने ढंग से खर्च करने के संबंध में शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है, तथा वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए जांच कर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के सफीपुर में महाविद्यालय खोलने की मांग

127–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के वि०सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) जो कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, में एक महाविद्यालय खोलने की सरकार कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

सरकार की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–गाजियाबाद में मोदी साइन्स एण्ड कामर्स इण्टर कालेज मोदी नगर के तीन अध्यापकों के रोके गये वेतन का प्रकरण

128–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोदी साइन्स एण्ड कामर्स इण्टर कालेज मोदी नगर गाजियाबाद के कितने अध्यापकों के वर्ष 1998 में वेतन रोके गये ? क्या मंत्री जी उन अध्यापकों के नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-11-98 जो कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय के तीन अध्यापकों का वेतन वर्ष 1998 में रोका गया जिनके नाम श्री ब्रजभूषण त्यागी, श्री संजय कुमार एवं श्री आशा राम त्यागी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पत्र शिक्षा निदेशक (मा०) को दिनांक 12-2-99 तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ पट्टी के लिये राजकीय कन्या डिग्री कालेज में प्रवेश व्यवस्था एवं भवन निर्माण पर विचार

129—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत राजकीय कन्या डिग्री कालेज में प्रवेश की व्यवस्था कराते हुए उसके भवन निर्माण की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रश्नगत कार्यवाही/कार्यवाही हेतु विचार प्रगति पर है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में यथासमय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद के मार्गों का डामरीकरण की मांग

130–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के असोहा ब्लाक के अन्तर्गत चोपई से जुनाबगंज वाया मोहनलाल गंज के बाई पास को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग उन्नाव की सीमा तक डामरीकृत कर दिया गया है ? क्या लखनऊ की सीमा में पड़ने वाला उक्त मार्ग 1994 से अत्यधिक जर्जर एवं टूटी हुई स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या शेष मार्ग को डामरीकृत कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं । संसाधनों की कमी के कारण लखनऊ सीमा का 1.30 कि०मी० इन्टरकोट (मध्य सतह स्तर) होकर छूटा हुआ है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बलिया में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण के अन्तर्गत निर्मित मार्गों पर ब्रिक ऐजिंग (ईंट लगाने) का कार्य

131—श्री राजधारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्गों के लेपन स्तर तक के निर्माण में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये ब्रिक ऐजिंग (ईंट लगाने) का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद–बलिया में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण के अन्तर्गत निर्मित निर्माणाधीन मार्ग जिगिरसण्–वरसणी, हथऊज–बालूपुर, वंशी बाजार–हुसेनपुर, उमेदा–अम्बेडकर मार्ग पर ब्रिक ऐजिंग का कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मार्ग संख्या–1 एवं 2 में मार्ग के दोनों ओर ईंट लगाने का प्राविधान है । प्राविधान के अनुसार 0.500 कि०मी० में ईंट लगा दी गई है एवं शेष कि० मी० में कार्यवाही की जा रही है । मार्ग सं०–3 में भी ब्रिक ऐजिंग का प्राविधान है परन्तु धनाभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है । मार्ग सं०–4 में ईंटें लगाने का कार्य कराया जा रहा है ।

ब्रिक ऐजिंग लगाने का कार्य कराया जा रहा है । अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–बदायूं, विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम बेहटा गोसाई में कन्या प्राइमरी कन्या पाठशाला के रिक्त भवन के आवंटन को निरस्त करने का अनुरोध

132—श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उनके अ० शा० पत्र सं० 4970/15.5.98/100(129)/98 शिक्षा–5 अनुभाग दिनांक 17-9-98 के द्वारा बेसिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिये गये थे कि ग्राम बेहटा गोसाई, विकास खण्ड अम्बियापुर, जनपद–बदायूं के प्रधान द्वारा प्राइमरी कन्या पाठशाला के भवन पर अवैध कब्जा हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

कन्या प्राइमरी विद्यालय के खाली हुए भवन को जिला पंचायत द्वारा अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया था जिसे निरस्त करने हेतु जिला पंचायत बदायूं से अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–उन्नाव के सफीपुर में दीन दयाल योजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्गों पर धन आवंटन का विवरण

133—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव में वर्ष 1997-98 में सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से मार्ग दीनदयाल योजना में लिये गये हैं ? उनमें से कौन-कौन से मार्गों पर कितना धन आवंटित हुआ है ? प्रस्तावित मार्गों पर कितने धन का लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार प्रस्तावित मार्गों पर धन का आवंटन यथाशीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 97-98 में पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत निम्नलिखित दो मार्ग जनपद–उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत किये गये हैं :–

1–असीवन तरफ पश्चिम मार्ग ।

2–असीवन क्रासिंग से खैरनपुर ।

उक्त दोनों मार्गों पर क्रमशः रु० 3.09 लाख तथा रु० 12.52 लाख आवंटित हुआ है । प्रस्तावित दोनों मार्गों की लागत क्रमशः रु० 3.09 लाख एवं रु० 13.27 लाख है । उक्त दो मार्गों में से केवल असीवन क्रासिंग से खैरनपुर मार्ग पर ही रु० 0.75 लाख का आवंटन शेष है, जिसका आवंटन शीघ्र कर दिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–आजमगढ़ के फूलपुर–तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली में निर्माणाधीन विद्यालय भवन में कथित रूप में मानक के विपरीत सामग्री का प्रयोग

134—श्री हरदेव सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़-जनपद फूलपुर–तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम–कोहरौली में निर्माणाधीन विद्यालय भवन में निर्धारित मापदण्डों का पालन न करके भवन निर्माण सामग्री कम मात्रा में प्रयोग की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–फैजाबाद में लखनऊ–वाराणसी रेलवे लाइन पर राजकीय इण्टर कालेज फैजाबाद के पास आर० ओ० बी० (ऊपर गामी पुल) बनाये जाने की मांग

135—श्री सीताराम निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद में लखनऊ-वाराणसी रेलवे लाइन पर राजकीय इण्टर कालेज फैजाबाद के पास फैजाबाद रेलवे ज० पूर्वी केविन के परिसर क्रासिंग पर वर्ष 1989 से आर० ओ० वी० (ऊपर गामी पुल) बनने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

यह रेलवे विभाग की स्वीकृति एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बस्ती, वन प्रभाग में प्रबन्धाधीन नदियों के लाटों को मत्स्य सहकारी समितियों एवं विपणन फेडरेशन को मत्स्य आखेट हेतु पट्टा का आवंटन

136–श्री सीताराम निषाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग बस्ती ने वन विभाग के प्रबन्धाधीन नदियों के लाटों को मत्स्य जीवी सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन को मत्स्य आखेट के लिये पट्टा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पट्टा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बस्ती वन प्रभाग में मछली की कुछ लाटों का आवंटन स्थानीय मछुवा समुदाय की मत्स्य जीवी सहकारी समितियों तथा विपणन फेडरेशन, बस्ती को किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद–हाथरस में नहर की पटरी पक्की करने की योजना अन्तर्गत रजबाहा एवं माइनरों पर कराये गये कार्यों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से जांच

137–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर की पटरी पक्की करने की योजना के अन्तर्गत जनपद–हाथरस के सिकन्दराराऊ राजवाहा, भदवास माइनर एवं कचौरा माइनर पर मानक के अनुसार कार्य न किये जाने से संबंधित टी० ए० सी० जांच कराये जाने हेतु कोई शिकायती पत्र दिनांक 16-11-98 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की टी० ए० सी० द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिकन्दराराऊ नगर (हाथरस) में रामबाग के सामने व बरेली–मथुरा मार्ग पर मानक के अनुसार व्यय धनराशि का विवरण

138–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ नगर (हाथरस) में रामबाग के सामने व बरेली–मथुरा मार्ग पर पन्त चौराहे के समीप सड़क पर जून, 1998 नवम्बर, 1998 तक कितना पैसा खर्च हुआ ? क्या उक्त सड़क मानक के अनुसार बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग पर जून–98 से नवम्बर, 98 तक की अवधि में मरम्मत कार्य पर रुपये 6.00 लाख की धनराशि व्यय की गई है ।

मार्ग मरम्मत का कार्य मार्ग के मानकों के अनुसार कराया गया है । द्वितीय सतह लेपन का कार्य कराया जाना शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–अम्बेडकर नगर के डा० गनेश कृष्ण जैतली इन्टर कालेज के सहायक अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत पर जांच एवं निलम्बन

139—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद–अम्बेडकर नगर ने विद्यालय डा० गनेश कृष्ण जैतली इन्टर कालेज, अकबरपुर के प्रबन्धक को पत्रांक मेमो 98-99 दिनांक 2-7-98 द्वारा दिया गया निर्देश किस संबंध में और क्या था ? उक्त निर्देश किस आधार पर दिया गया था ? संबंधित निर्देश का अनुपालन क्या प्रबन्धक द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

संदर्भगत पत्र दिनांक 2-7-98 श्री श्याम लाल स० अ० के विरुद्ध शिकायत पर की गयी प्रधानाचार्य की जांच आख्या पर नियमानुसार कार्यवाही के संबंध में था ।

श्री श्याम लाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर संस्था के प्रधानाचार्य की जांच आख्या दिनांक 16-7-97 उपलब्ध होने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त निर्देश निर्गत किया गया । संस्था के प्रबन्धक द्वारा श्री श्याम लाल स० अ० के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें पत्र दिनांक 31-8-98 द्वारा निलम्बित कर दिया ।

उपर्युक्त के अनुसार दिनांक 31-8-98 द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–लखनऊ के प्राणी उद्यान चिड़ियाघर के सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री मैकू के भविष्य निधि आदि देयकों का भुगतान

140—श्री प्रदीप बालियान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मैकू ज्येष्ठ रखवाला, सेवा निवृत्त प्राणी उद्यान चिड़ियाघर, लखनऊ से भुगतान संबंधी निस्तारण न किये जाने से संबंधित कितने पत्र उन्हें प्राप्त हुए ? इतने वर्षों तक मामले को लम्बित रखने का क्या कारण है ? क्या क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि उ० प्र० कानपुर द्वारा पूर्ण भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में शासन में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि प्रार्थी के तीन प्रार्थना-पत्र निदेशक प्राणि उद्यान, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं । प्राणि उद्यान स्तर पर इनके भुगतान से संबंधित कोई मामला लम्बित नहीं है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा होने वाले भुगतान के संबंध में प्राणि उद्यान लखनऊ स्तर से की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है । संबंधित कर्मचारी ने अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998 द्वारा स्वयं सूचित किया है कि उनके पेंशन की धनराशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उ० प्र० कानपुर ने पेंशन भुगतान आदेश संख्या–यू० पी०/के० एन० पी०–1611 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक सदर शाखा, लखनऊ को भेज दी है ।

लखनऊ–वाराणसी एवं इलाहाबाद–फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ने वाली अन्तर जनपदीय मार्ग का नवीनीकरण कराने की मांग

141–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगे कि घोषित सड़क नीति के क्रम में लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग एवं इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग को जोड़ने वाली अन्तर जनपदीय मार्ग वेला-पट्टी-चांदा एवं बेला पट्टी ढकवा को राज्य मार्ग घोषित करते हुये उसका नवीनीकरण चौड़ीकरण, हाटमिक्स प्लांट के सहयोग से बनाये जाने के आदेश सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग को अभी उच्चीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है । सड़क नीति के अनुसार मार्गों का उच्चीकरण यातायात के घनत्व के आधार पर किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ–जगदीशपुर, अमेठी चन्दवका पट्टी, चांदा वाराणसी मार्ग को जोड़ने वाले अन्तर-जनपदीय मार्ग का नवीनीकरण कराने का विचाराधीन प्रस्ताव

142–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री लखनऊ-जगदीशपुर, अमेठी, चन्दवका पट्टी, चांदा, वाराणसी मार्ग को जोड़ने वाले अन्तर-जनपदीय मार्ग अमेठी, चन्दवका पट्टी को मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी में रखते हुये पूरे मार्ग का नवीनीकरण कराने एवं संचालन योग्य करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–बुलन्दशहर के महादेवी अयोध्यानाथ कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेन्डरी स्कूल में सहायक अध्यापिकाओं के विनियमितीकरण का प्रकरण

143–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के महादेवी अयोध्यानाथ कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेन्डरी स्कूल में वर्ष 1987 से कुल कितनी सहायक अध्यापिकायें लगातार सेवारत हैं ? उनमें से कितनी सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित एवं स्थाई कर दिया गया है ? क्या विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–682/सत्रह–वि–1–2(क)/29/1991, दिनांक 6 अप्रैल, 1991 द्वारा वर्ष 1986 से लगातार सेवारत सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित किये जाने संबंधी शासनादेश का सरकार द्वारा पालन कर उपर्युक्त विद्यालय की सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वर्ष 1987 से मात्र (दो) 02 सहायक अध्यापिकाएं लगातार सेवारत हैं ।

उक्त दोनों सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित एवं स्थायी नहीं किया गया है ।

केवल श्रीमती सुमन शर्मा के विनियमितीकरण का प्रकरण संदर्भित अधिसूचना से अच्छादित है । श्रीमती शर्मा द्वारा योजित याचिका सं० शून्य/88 माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयानुसार इनके तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी । दूसरी अध्यापिका कु० रेखा अग्रवाल का प्रकरण संदर्भित अधिसूचना से आच्छादित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।
उपरोक्तानुसार ।

144–श्री उदयराज यादव–

[2रे सोमवार में अता० प्र० सं० 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, ग्राम पंचायत महनेपुर-मीननगर के बीच मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए पुलिया का निर्माण कराने की मांग

145–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के पंचायत ग्राम महनेपुर-मीननगर एक बड़ी आबादी की ग्राम पंचायत होते हुये भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है और न ही महनेपुर-मीननगर के बीच एक पुलिया का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़कर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।
उक्त दोनों ग्रामों की कुल आबादी एक हजार से कम है ।
जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
वर्तमान नीति के अनुसार सन् 2005 तक एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को जोड़ने की योजना है ।

हरदोई-उन्नाव रोड से ग्राम पंचायत बिरौरी तक सड़क की मरम्मत की मांग

146–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई-उन्नाव रोड से ग्राम पंचायत बिरौरी तक डामर रोड का निर्माण काफी समय पूर्व किया गया था जो खराब हो गई है ? क्या यह सही है कि उसकी मरम्मत हेतु गिट्टी मौके पर इकट्ठा है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।
जी नहीं ।
संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।
उपरोक्तानुसार ।

जनपद सन्त रविदास नगर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी० एड० एवं कतिपय पढ़ाये जा रहे विषयों की पुनः मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

147–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी०एड० तथा समाज शास्त्र, प्राचीन इतिहास , चित्रकला, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान के विषय जो पिछले कई वर्षों से पढ़ाये जा रहे थे, की मान्यता इस वर्ष समाप्त होने से छात्रों एवं अभिभावकों में व्यापक असन्तोष है ? यदि हां, तो क्या उन विषयों की मान्यता पुनः प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

बी० एड० की अस्थाई मान्यता समाप्त हुई है । अन्य विषयों की सम्बद्धता विस्तारित हो चुकी है ।

बी० एड० की मान्यता के लिये निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को दिनांक 8-1-99 को लिख दिया गया है । उनसे अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अगली कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई में सेखवापुर पुल से सुमेरगंज तक जर्जर मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण की मांग

148–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सेखवापुर पुल से सुमेरगंज तक खड़ंजा लगा है ? क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–हरदोई, ग्राम रुदामऊ से गौरा रोड व शाहपुर वसुदेव ग्राम पंचायत तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने की मांग

149–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम रुदामऊ से गौरा रोड से शाहपुर वसुदेव ग्राम पंचायत तक वर्ष 1989 में गिट्टी डाली गई थी ? क्या उक्त मार्ग पर अभी तक डामरीकरण नहीं कराया गया है ? क्या उक्त रोड क्षतिग्रस्त एवं जर्जर दशा में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का जनहित में डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा से दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग एवं अन्य मार्गों के दोनों तरफ ईंट सोलिंग कर सड़क चौड़ा कराने की मांग

150–श्री राम विशुन आजाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के द्वितीय मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–125 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा से दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग, मनकापुर नवाबगंज मार्ग, मनकापुर मसकनवां बभनान मार्ग पर दोनों तरफ ईंट सोलिंग करके सड़क चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाईस्कूल आसपुर देवसरा के भवन निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर जानकारी

151–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को डी०आई०ओ०एस० प्रतापगढ़ एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्र जो जिला योजना 1998–99 में राजकीय कन्या हाईस्कूल आसपुर देवसरा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है पत्र सं० 8547–52/98–99, दिनांक 26-10-98 तथा पत्रांक 6492–94 दिनांक 8-7-1998 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ का प्रस्ताव दिनांक 26-10-98 प्राप्त हुआ है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में आय-व्ययक प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं हो पाया है ।

जनपद–इलाहाबाद, लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की कार्यवाही

152–श्री राम सेवक सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मेजा इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1991 से 1996 तक समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत छात्रवृत्ति पात्र छात्रों को वितरित न करके अपात्र छात्रों को दी गई है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1991 से 1996 तक उपर्युक्त कालेज में स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्ति का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक विद्यालय के प्रधानाचार्य के 3 बच्चे तथा अन्य कर्मियों के 4 बच्चों कुल 7 छात्र-छात्राओं को पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल रु० 3,940/- गलत ढंग से स्वीकृत कर अनियमित भुगतान किया गया । विद्यालय का छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण सम्बन्धी अभिलेख श्री राम प्रसाद, प्रबन्धक, श्रीलक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मेजा, इलाहाबाद अनधिकृत रूप से विद्यालय से उठा ले गये है, जिसके कारण संबंधित ब्यौरा सदन के पटल पर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संगम लाल के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दिनांक 9-2-99 को दर्ज करा दी गई है तथा रुपया 3,940/- की वसूली कर ली गई है तथा पुलिस विवेचना एवं जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर तद्नुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर बाई-पास के निर्माण में कथित रूप से घटिया कार्य हेतु दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

153–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर बाई-पास वर्ष 1997–98 में बनाया गया था ? क्या उक्त बाई-पास के निर्माण में घटिया कार्य होने के कारण पूरा बाई-पास बह गया है ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सीतापुर बाई-पास वर्ष 1997-98 में निर्माणाधीन था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में कार्यरत श्री राम अवतार वार्ष्णेय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध परीक्षणाधीन जांच एवं रिपोर्ट

154–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अवतार वार्ष्णेय पूर्व अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नेशनल हाई-वे सीतापुर में कब-कब नियुक्त रहे हैं ? क्या इनके विरुद्ध टेकनिकल आडिट सेल से कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या पुनः श्री राम अवतार वार्ष्णेय की नियुक्ति सीतापुर में की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

श्री राम अवतार वार्ष्णेय दिनांक 10-8-87 से 6-2-92 तक सहायक अभियन्ता तथा दिनांक 30-3-95 से 7-7-98 तक अधिशासी अभियन्ता के रूप में नेशनल हाई-वे सीतापुर में तैनात रहे हैं और 23-10-98 से निर्माण खण्ड–2 सीतापुर में कार्यरत हैं ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।

जी नहीं । श्री वार्ष्णेय सीतापुर में ही कार्यरत हैं ।

इलाहाबाद–फैजाबाद मार्ग के कोहडौर से प्रतापगढ़ तक मार्ग मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने का लक्ष्य

155–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग के कोहडौर से प्रतापगढ़ तक का मार्ग कब तक स्वीकृत मानकों के अनुरूप बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

इस मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन के अनुरूप जून, 1999 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गांव जतीपुरा से गाठौली मार्ग को ठीक कराने संबंधी विधायक कोष्ठक का पत्र

156–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव जतीपुरा से गाठौली मार्ग को ठीक कराने संबंधी विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम०–3/11–4–54/मथुरा/98, दिनांक 30-5-98 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

गांव जतीपुरा से गाठौली मार्ग जिला परिषद् का है । अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा ठीक कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई में बिलग्राम से छिबरामऊ रोड पर म्योरा मोड़ से ग्राम म्योरा तक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का डामरीकरण की मांग

157–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में बिलग्राम से छिबरामऊ रोड पर म्योरा मोड़ से ग्राम म्योरा तक डामर रोड का निर्माण वर्ष 1989 में कराया गया था ? क्या उक्त रोड मरम्मत एवं समुचित देख-रेख के अभाव में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होकर जगह-जगह कट चुकी है ? क्या सरकार उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जल भराव के कारण आबादी वाले भाग में रोड क्षतिग्रस्त है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बिजनौर में जी०आई०सी० इण्टर कालेज नजीबाबाद के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य का यात्रा भत्ते का भुगतान

158–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी०आई०सी० इण्टर कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर से 1991–92 में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को उनके वर्ष 1988 से 91 तक के यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक अवशेष यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की श्रीमती मधुबाला कुशवाहा, सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल महावन का उत्पीड़न किये जाने के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

159–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मधुबाला कुशवाहा, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, महावन जिला मथुरा का उत्पीड़न किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी०एम०/वि०को०/एम–3/12592/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

जी हां ।

निदेशक (बेसिक शिक्षा) से सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मेरठ को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का प्रकरण

160–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक चर्च के कारण सरधना नगर जनपद मेरठ को पर्यटन स्थल घोषित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश सरकार द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है । वरन् पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर पर्यटनोचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्र द्वारा घोषित लागू नया वेतनमान

161–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नये वेतनमान सरकार लागू कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से नियंत्रित विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों को छोड़कर) के पूर्णकालिक अध्यापकों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नवीन वेतनमानों को शासनादेश संख्या–390/सत्तर–2-99-16(45)/98 दिनांक 16-2-99 द्वारा 1 जनवरी, 1996 से लागू कर दिया गया है ।

जिला एटा में सोरों के प्राइमरी पाठशाला भड़पुरा के भवन निर्माण में व्यय धनराशि के दुरुपयोग शिकायती-पत्र

162–श्री नेतराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के विधान सभा क्षेत्र सोरों के प्राइमरी पाठशाला भड़पुरा के भवन निर्माण स्वीकृत स्थान पर प्रधान द्वारा निर्माण न कराकर अपने मकान में उक्त भवन बनाया गया है ? क्या यह सत्य है कि बे० शि० अ० एटा ने अनापत्ति रूप से धन की एक किस्त भी आवंटित कर दी है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा धन वापसी तथा पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायती-पत्र माह नवम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी एटा तथा माह अक्टूबर, 1998 के अन्तिम सप्ताह में मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो धन की वापसी के संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

धन का उपयोग नियमानुसार किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा के विकास खण्ड कासगंज के प्रा० पा० ढोलना के हड़ताली सहायक अध्यापकों के वेतन का प्रकरण

163–श्री नेतराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज के प्रा० पा० ढोलना के स० अध्यापकों के माह जुलाई, अगस्त, 1998 का वेतन जो हड़ताल की अवधि का है, की कटौती की गई है ? क्या गलत कटौती के विरुद्ध संबंधित अध्यापकों का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित माह नवम्बर, 1998 के दूसरे सप्ताह में बे० शि० अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सत्य है कि संबंधित अध्यापक नियमानुसार हड़ताल के दौरान पाठशाला में उपस्थित रहे ? क्या यह भी सत्य है कि अनुपस्थित शिक्षकों को वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त की जांच करा कर दोषी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

एटा जिले के नगर कासगंज के बाई-पास निर्माण पूरा किये जाने की मांग

164–श्री नेतराम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले के नगर कासगंज के बाई-पास निर्माण हेतु जिलाधिकारी, एटा का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बाई-पास कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद एटा के विकास खण्ड कासगंज के प्रा० नं० चन्दन के प्राइमरी पाठशाला के स्वीकृत भवन निर्माण के स्थल में परिवर्तन की जांच

165–श्री नेतराम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज के ग्रा० नं० चन्दन के प्रा० पा० के भवन का निर्माण स्वीकृत स्थान पर न करके ग्राम प्रधान द्वारा अपने ग्राम इटौआ में कराया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, एटा को माह अक्टूबर, 1998 के अंतिम सप्ताह में तथा मा० मुख्य मंत्री को नवम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में शिकायती-पत्र दिये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों को पर्यटक केन्द्र बनाये जाने का प्रकरण

166–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के पसका शुकर खेत विकास खण्ड परसपुर और श्रवण पाकर विकास खंड छपिया को पर्यटक केन्द्र बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को कब तक पूरा करायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज के राजकीय कन्या विद्यालय बरवां में अध्यापिकाओं की संख्या एवं रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की प्रक्रिया

167–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज तहसील में राजकीय कन्या विद्यालय बरवां में कितनी अध्यापिकाओं के पद सृजित हैं तथा सत्र, 1998-99 में उक्त विद्यालय में कुल कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? क्या अध्यापिकाओं के अभाव से उक्त विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पर्याप्त अध्यापिकाओं की नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रधानाध्यापिका का एक तथा सहायक अध्यापिका के 11 पद सृजित हैं तथा सत्र, 1998-99 में 2 सहायक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं ।

जी नहीं । क्योंकि विगत 4 वर्षों से छात्र संख्या अत्यधिक न्यून है ।

जी हां ।

चयन की प्रक्रिया गतिमान है । चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में कन्या प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की कार्यवाही

168–श्री बिन्दू लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में कन्या प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में कितने अध्यापकों की कमी है ? क्या उक्त जनपद में ऐसे विद्यालय भी हैं जिसमें कोई अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से विद्यालय हैं ? क्या सरकार अध्यापकों की कमी को पूरा करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद बलरामपुर में कोई कन्या प्राइमरी पाठशाला नहीं है । जनपद में स्थापित 11 कन्या जूनियर हाई स्कूलों में 14 अध्यापकों के पद रिक्त हैं एवं 84 जूनियर हाईस्कूलों में 90 पद अध्यापकों के रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यवाही गतिमान है।

पदों को भरने की सतत प्रक्रिया है।

जनपद अल्मोड़ा तहसील रानीखेत की सरस्वती उलेन मिल्स को पुनः चालू करवाने की मांग

169–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील स्थित "सरस्वती उलेन मिल्स लि०" को पुनः चालू करवाने हेतु शासन द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया ? क्या उक्त प्रतिष्ठान को पुनः चालू करवाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) सरस्वती उलेन्स मिल्स लि०, बी० आई० एफ० आर० में सन्दर्भित थी। बी० आई० एफ० आर० ने दिनांक 12-1-1994 को "बाईण्डिंग-अप" के आदेश दे दिए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई में छिबरामऊ गंगापुल पहुंच मार्ग के निर्माण में कतिपय ग्रामों के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

170–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में छिबरामऊ गंगापुल पहुंच मार्ग के निर्माण में निर्वाचन क्षेत्र 91–मल्लावां के जफरपुर, तेरवाकुल्ली, छिबरामऊ, परसोला, बाबटमऊ इत्यादि ग्रामों के कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य आबकारी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने पत्रांक 1741/वी०आई०पी०, दिनांक 15-3-90 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता लो० नि० वि० को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं। मुआवजा दिया गया है। कुछ कृषक अपना भुगतान प्राप्त करने नहीं आए। उनका अभी भुगतान किया जाना शेष है।

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इस बिन्दु पर उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देव ऋषि नारद मन्दिर की रोड बनाने विधायक कोष्ठक के प्राप्त पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश

171–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव ऋषि नारद मन्दिर की रोड बनाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/11453/मथुरा/98, दिनांक 30-5-98 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 9 सितम्बर, 98 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में विश्राम गृह निर्माण कराने की मांग

172–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि० खं० छपिया में विश्राम गृह निर्माण करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छपिया से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर मनकापुर में निरीक्षण भवन बना हुआ है। अतः सम्प्रति छपिया में विश्राम गृह निर्मित कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में मानक के आधार पर प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना

173–श्री राम विशुन आजाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों की आबादी तीन से लेकर आठ हजार तक है क्या उनमें एक-एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं। मैदानी क्षेत्र में 300 की आबादी तथा 1.5 कि० मी० की दूरी तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 300 की आबादी तथा 1 कि० मी० की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का मानक निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में ऊसर सुधार निगम द्वारा मार्ग/निरीक्षण पथ हेतु स्वीकृत कर एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

174–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा मगरौरा प्रतापगढ़ के लिए ऊसर सुधार निगम द्वारा मार्ग/निरीक्षण पथ के लिए दी गयी स्वीकृति के क्रम में निर्माण निगम रायबरेली यूनिट के सभी आगणन, टेण्डर आदि स्वीकृत कर निर्माण पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्नगत ब्लाकों में निर्माण निगम को कुल 22 मार्गों का निर्माण कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा सौंपा गया है। जिसमें से 13 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का प्रयास

किया जा रहा है । 3 मार्गों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । जिस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । 3 मार्गों का विस्तृत आगणन भूमि सुधार निगम के पास स्वीकृति हेतु माह 9/98 से लम्बित है । जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही हो सकेगी । 2 मार्गों के सम्बन्ध में भूमि विवाद होने तथा एक मार्ग का कार्य-स्थल चयनित न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

उक्त निर्माणाधीन 13 मार्गों में से 9 मार्ग आर० आई० डी० एफ०–2 योजना के हैं । जिन्हें पूर्ण करने की निर्धारित अवधि दिनांक 31-3-99 है और इन्हें इस अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जिन दो मार्गों के संबंध में भूमि विवाद है वह भी इसी योजना के हैं । अतः उन पर भूमि विवाद हल होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

शेष 11 मार्ग आर० आई० डी० एफ०–4 योजना के हैं । जिन्हें पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 31-3-2000 है और इन्हें इस अवधि में पूर्ण करने का प्रयास है ।

जनपद बलिया के लालमणि ऋषि विद्यापीठ इण्टर कालेज में प्रधानाध्यापक/शिक्षकों की वरिष्ठता सूची की जांच

175–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालमणि ऋषि विद्यापीठ इण्टर कालेज ग्राम व पोस्ट–हल्दी, रामपुर जिला–बलिया में नियुक्त प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की वरिष्ठता सूची क्या है ? क्या उक्त विद्यालय के शिक्षकों की जन्म तिथियों में भारी फेर बदल करके विभाग को गलत सूचनाएं दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वरिष्ठता सूची अभी अप्राप्त है ।

जांच की जा रही है ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में लालमणि ऋषि माध्यमिक विद्यापीठ इण्टर कालेज हल्दीरामपुर के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने के प्रकरण की जांच

176–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में स्थित लालमणि ऋषि मा० विद्यापीठ इण्टर कालेज हल्दीरामपुर के प्रधानाचार्य सेवानिवृत्ति अवधि बीत जाने के बाद भी प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवाकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

इस सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 27-10-98 जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को प्राप्त हुआ है । जिसकी जांच करायी जा रही है । संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ के पत्र दिनांक 15-12-98 द्वारा श्री विजय नाथ सिंह प्रधानाचार्य का वेतन जांच अवधि तक रोक दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति के उपरान्त मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका को वापस लेने पर विचार

177–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–803 (एस०वी०)/1998 में स्थाई अधिवक्ता के स्थान पर बिना सरकार की अनुमति लिये क्या कोई विशेष अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त याचिका के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिट याचिका को वापस लेने की कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार राजकीय धन को मनमाने ढंग से खर्च की वसूली निदेशक से करेगी ? क्या सरकार दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय ग्राम चौकी नसरत के निर्माण में अनियमितता से धन की वसूली कर पुनः विद्यालय का निर्माण

178–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज ब्लाक में लगभग एक वर्ष पूर्व बने प्राथमिक विद्यालय ग्राम चौकी नसरत को भवन के गिरने की आशंका के कारण बन्द कर देना पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिए दोषी व्यक्ति से धन की वसूली करके पुनः विद्यालय का नया भवन बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

धन की वसूली होते ही भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने का प्रकरण

179–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कितने वर्षों से स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने की कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या सरकार शिक्षा तथा शिक्षकों के हित में पुराने स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेगी ? यदि हां, तो किस वर्ष तक की तथा कितनी संस्थायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रदेश सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखकर प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया जाता है । वर्तमान वर्ष में शासनादेश दिनांक 16-12-98 द्वारा इसी अनुक्रम में 220 स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया गया है । जिसमें पुराने स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

180–श्री नरेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

181–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, विकास खण्ड हरियावां, ग्राम बगौछा को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग

182–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के हरियांवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड हरियांवा के ग्राम बगौछा की आबादी दो हजार से अधिक है किन्तु उक्त ग्राम को अब तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? गांव को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

गांव की आबादी 1614 है ।

जी हां ।

1000 जनसंख्या से अधिक के बहुत से गांवों को अभी तक संसाधनों की कमी के कारण सम्पर्क मार्गों से नहीं जोड़ा जा सका है । मार्ग विकास नीति के अनुसार ऐसे सभी गांवों को 2005 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्यक्रम है ।

उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

183–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति कोटे के उपजिलाधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या उक्त पद भरे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

111 पद ।

जी हां ।

रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है । और चयन की कार्यवाही आयोग में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० के० शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक, शारदा सहायक कमाण्ड जवाहर भवन, लखनऊ के सम्बन्ध में जांच प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

184–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी० एम०/बी०को०/एम०–3/9467/गोण्डा/98, दिनांक 20-4-98 सचिव, क्षेत्रीय विकास को भेजा गया था और जो श्री बी० के० शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक, शारदा सहायक कमाण्ड, जवाहर भवन,

लखनऊ के संबंध में जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां ।

श्री वी० के० शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक, शारदा सहायक समादेश, जवाहर भवन, लखनऊ के विरुद्ध मा० विधायक जी का शिकायती-पत्र दिनांक 13-2-98 विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर शिकायत की गयी थी । विधायक प्रकोष्ठ से प्राप्त उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मुख्य वित्तीय सलाहकार शारदा सहायक समादेश से जांच करायी गयी । उक्त जांच एवं अन्य मा० सदस्यों द्वारा श्री शुक्ला के विरुद्ध की गयी गम्भीर शिकायतों के दृष्टिगत तत्कालीन आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश द्वारा श्री शुक्ला को समादेश मुख्यालय के कार्मिक अनुभाग से कृषि अनुभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया । इसी सन्दर्भ में मा० विधायक जी का पत्र दिनांक 4-4-98 विधायक प्रकोष्ठ के द्वारा दिनांक 20-4-98 को भेजा गया जिसमें यह अनुरोध किया गया कि दिनांक 13-2-98 का पत्र उनके संज्ञान में नहीं है और न ही उनके जानकारी में जारी हुआ है और न ही उनके पत्र पर हस्ताक्षर हैं, अतः उक्त पत्र को आधार मानकर कोई कार्यवाही न की जाय तथा जांच निरस्त कर दें ।

उपरोक्त के क्रम में मुख्य वित्तीय सलाहकार की जांच तथा इस सम्बन्ध में मा० सदस्य के अनुरोध एवं आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश को पुनः प्राप्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश दिनांक 10-7-98 द्वारा श्री शुक्ला को उनके पूर्व तैनाती स्थान पर पदस्थ किये जाने के आदेश निर्गत किये गये जिसके अनुपालन में आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश द्वारा श्री शुक्ला को पुनः समादेश मुख्यालय के कार्मिक अनुभाग में पदस्थ कर दिया गया ।

2–उक्त के सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री शुक्ला के विरुद्ध मा० मुख्य मंत्री जी को प्राप्त गम्भीर शिकायतों के प्रकाश में उन्हें पुनः समादेश मुख्यालय के कार्मिक अनुभाग से समादेश मुख्यालय के ही कृषि अनुभाग में शासनादेश दिनांक 7-1-99 द्वारा पदस्थ किये जाने के आदेश आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश को दिये गये हैं, जिसका अनुपालन शारदा सहायक समादेश द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की, दूसरी सूचना श्री तेजभान सिंह (अनुपस्थित), तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की, पांचवी सूचना श्री भारत सिंह रावत की (अनुपस्थित), छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया (अनुपस्थित), सातवीं सूचना

श्री चन्द्र नाथ सिंह की । तीन माननीय सदस्यों के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से पहली सूचना श्री छोटे लाल राजभर (अनुपस्थित) दूसरी सूचना श्री अफजाल अहमद की ली गयी ।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

गढ़रोड मेरठ से सब्जी मण्डी हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[मान्यवर, गढ़रोड मेरठ में सड़क पर सब्जी मण्डी पिछले कई वर्षों से लग रही है । मेरठ महानगर का विस्तार हो जाने के कारण वर्तमान मण्डी दिल्ली रोड पर दूर होने के कारण गढ़रोड हापुड़ रोड, परीक्षतगढ़/मवाना रोड, के किसानों तथा इस क्षेत्र में लगभग 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता यह मण्डी हो गयी है । लेकिन मण्डी जिस प्रकार मुख्य राज मार्ग पर लग रही है, उससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है । परन्तु यह प्रकरण उपभोक्ताओं तथा उत्पादक किसानों की सुविधा तथा मण्डी में लगे आढ़ती, माशाखोर मजदूरों पल्लेदारों के हजारों परिवार के जीवन व जीविका का प्रश्न है । मात्र गढ़रोड पर शहर के भीतर इस मण्डी हेतु वैकल्पिक स्थान का चयन करके मण्डी विकसित करके वर्तमान में कार्यरत आढ़ती/माशाखोर/पल्लेदारों की जीविका की वैकल्पिक व्यवस्था पहले देकर इसको हटाया जाना जनहित में होगा । इस कार्य में जहां महानगर विस्तार के कारण इस ओर एक मण्डी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, लोगों की जीविका बिना उजाड़े, मण्डी का नियमन होकर सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी । किसान व उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, दुर्घटना की सम्भावना व यातायात की बाधा समाप्त होगी ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के जुड़े इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए गढ़रोड पर ही शहर के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था पहले करके लोगों का व्यापार वैकल्पिक स्थान पर शुरू कराकर इस मण्डी को समाप्त करने की कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता सूची पर न्याय विभाग का मत प्राप्त कर अग्रतर कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[मान्यवर, वर्ष 1985 व 1995 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पूर्ण पीठ ने अपने निर्णय आदेश में वर्तमान निदेशक (होम्योपैथी), उ० प्र० को राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गाजीपुर का प्राचार्य व इस सम्वर्ग का सदस्य मानने से इन्कार करते हुए इन्हें गैर-संवर्गीय घोषित कर दिया था । शासन के न्याय विभाग द्वारा भी मेरिट पर यही राय पत्रावली पर दिया था जिसे तोड़-मरोड़कर प्रशासनिक विभाग ने प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर वर्तमान निदेशक (होम्योपैथी) को प्राचार्यों के ज्येष्ठता सूची में क्रम सं०-2 पर दर्ज किया ।

प्रभावित संवर्गीय सदस्यों, होम्योपैथी जगत व जन प्रतिनिधियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 1985 व 1995 के निर्णय आदेश के विपरीत जारी ज्येष्ठता सूची का प्रतिवाद करते हुए यह प्रकरण पुनः परमार्थ न्याय विभाग को सन्दर्भित किये जाने का अनुरोध मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव से किया जिसे प्रशासनिक विभाग द्वारा आज भी लम्बित रखा गया है । इसी ज्येष्ठता सूची के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गयी व निदेशक (होम्योपैथी) पद पर अपात्र

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यक्ति को तैनात कर दिया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त सन्दर्भित निर्णय आदेश वर्ष 1985 व 1995 की कोई अपील, निगरानी, एस०एल०पी० आदि भी लम्बित नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए प्राचार्यों की ज्येष्ठता सूची पर न्याय विभाग का बहुमूल्य मत प्राप्त कर तद्नुसार अग्रेतर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मैनपुरी के ग्राम सोवनपुर ब्लाक बेवर में मझौला स्केप पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्राम सोवनपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी के पास बह रही मझोला स्केप की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर हजारों ग्रामीणों को मझोला स्केप पर छोटा पुल न बनने से भारी परेशानी है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई मैनपुरी ने प्रस्ताव भी भेजा था परन्तु अभी तक उक्त पुल के निर्माण के लिए धन का इन्तजाम भी नहीं किया गया। प्रमुख सचिव, सिंचाई, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर बार-बार याद दिलाया जा रहा है। पुल न बनने से ग्रामीणों को लाखों रुपये की क्षति है तथा लाखों लाख लोग मुइई, नवीगंज की तरफ जाने से वंचित रह जाते हैं। यह अत्यन्त लोक महत्व का तात्कालिक विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मझोला स्केप पर उपरोक्त स्थान ग्राम सोवनपुर के पास शीर्ष प्राथमिकता से पुल निर्माण की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में की जा रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र में विद्युत परिषद् के आदेश से प्रतिदिन सायं 6.00 बजे से विद्युत कटौती हो रही है जबकि अन्य तहसील के छोटे-छोटे कस्बों को विद्युत कटौती मुक्त कर दिया गया है। यह शासन का पक्षपातपूर्ण रवैया है जबकि मुख्यालय पर जिला अस्पताल, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थायें हैं किन्तु विपक्ष का विधायक होने के कारण मेरे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

जौनपुर सदर में वर्ष 97-98 व 98-99 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये फर्जी भुगतान की टी०ए०सी० से जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद जौनपुर के विधान सभा, सदर जौनपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान दिलाया जा रहा है। मान्यवर, जौनपुर विधान सभा क्षेत्र में पुरानी सड़कों पर तीन-तीन बार मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग द्वारा धन का भुगतान किया जा रहा है। गड्ढा वाली सड़कों पर कार्य नहीं हो रहा है जहां पर कार्य कराने की आवश्यकता है। कुछ सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। उन पर कार्य होना चाहिए परन्तु फर्जी मरम्मत के नाम पर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व सड़क के नाम पर भुगतान किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। स्थानीय अभियन्ता घोटाला करने में सक्रिय हैं। स्थानीय लोग आन्दोलित हैं, लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदर जौनपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये फर्जी भुगतान की टी०ए०सी० जांच कराकर दण्डित कराने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-2-99 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राम ललित चौधरी की। चूंकि यह सूचना विधायकों की सुविधा से सम्बन्धित है इसलिए अनुमति दे रहा हूं वैसे यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

रेल कूपन से यात्रा के समय शताब्दी एक्सप्रेस में टिकट न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम ललित चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में कूपन के आधार पर टिकट तुरन्त खिड़की पर नहीं मिलता है। मैं पिछले महीने दिल्ली गया था मुझे अचानक जाना पड़ा मैं तुरन्त टिकट खिड़की पर कूपन से टिकट लेने गया तो कूपन वापस कर दिया गया और यह कहा गया कि कूपन से टिकट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यही परम्परा बनी रही तो लखनऊ मेल में भी कूपन से टिकट देने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जैसे ही आपकी सूचना प्राप्त हुई वैसे ही मैंने सचिव को निर्देश दे दिये हैं कि वह इस सम्बन्ध में भारत सरकार के रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को पत्र लिखें मैंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि विधायकों के कूपन से चाहे तुरन्त खिड़की से टिकट लिया जाए उनको टिकट दिया जाए।

यह सूचना निरस्त की जाती है।

न्यायमूर्ति श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव द्वारा 21 अक्टूबर, 97 को विधान सभा मण्डप में घटी घटना की जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की यह नियम 300 में नहीं आती है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, यह सारा प्रकरण सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही अगर हो रही हो तत्समय अगर कोई प्रश्न उठा हो या उसके प्रवर्तन और निर्वचन से सम्बन्धित हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

आप सुन तो लें । निवेदन यह था कि सदन में 21-10-97 को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी ।

श्री अध्यक्ष–

न्यायमूर्ति अचल बिहारी श्रीवास्तव की जब रिपोर्ट आयी थी उस समय भी यह कहा था कि आवश्यकता समझी जाएगी तो सदन के पटल पर रखी जाएगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजप्रेई–

न्यायमूर्ति अचल बिहारी श्रीवास्तव की रिपोर्ट का हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर सदन में प्रस्तुत किया जाए उन्होंने जो सुझाव दिये हैं सदन की कार्यवाही को विनिश्चय करने में उससे सदन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी । लागू किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

न्यायमूर्ति अचल बिहारी श्रीवास्तव की रिपोर्ट मैंने 27-7-98 को अपने कक्ष में खोली थी । उस रिपोर्ट में जो कार्यवाही होनी है उस सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श कर लेंगे तभी आगे कार्यवाही होगी । इस विषय पर यह सूचना निरस्त की जाती है ।

शेष सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव की मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में पारस्परिक समन्वय न होने के बारे में । यह नियम 300 में नहीं आती इसीलिए मैंने इसे निरस्त कर दिया ।

श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

खाली बोलने का अवसर कैसे दिया जाय ? इस समय कौन सा कार्य चल रहा है, आप बतायें ? नियम 300 के उप नियम (2) के बारे में आप बतायें । इसी पर मैंने डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की सूचना को निरस्त कर दिया । कौन सा कार्य इस समय सदन में हो रहा है, इसे आप बता दें । मैं इसकी अनुमति आपको नहीं दे रहा हूं ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप सुन तो लें । मान्यवर, नियम 300 में लिखा है औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । मान्यवर, अब आप भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(2) को देखें । इसमें कहा गया है "मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

श्री अध्यक्ष–

इस सदन का कार्य विनियमित होता है, इसे आप बतायें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हर आदमी इतना ज्ञान कहां रखता है ।

श्री अध्यक्ष–

अनुच्छेद 164 से कैसे इस सदन का कार्य विनियमित होता है, इसे आप बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार–

164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है । जब एक मंत्री जवाब देता है तो वह सम्पूर्ण सदन का जवाब मान लिया जाता है । समय-समय पर यह भी व्यवस्थायें दी गयी हैं कि जब एक विभाग का मंत्री नहीं होता है तो दूसरे विभाग का मंत्री जवाब दे देता है और आप उसे 164(2) के अन्तर्गत अनुमति दे देते हैं । उसी सन्दर्भ में अगर इस प्रदेश का एक राज्य मंत्री यह कहे कि मंत्रिगण काम नहीं दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष–

मंत्रिगण काम नहीं दे रहे हैं, शिकायत जिससे करनी है, उससे करें । यह सदन मंत्रि-परिषद् को कैसे निर्देशित कर सकता है कि अमुक मंत्री को फलां विभाग दिया जाय और अमुक को फलां । जहां पर मुझे शंका हो रही है, वहीं पर मैं आपसे स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें । संविधान के 164(2) को देख लें । इसीलिए श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने यह प्रश्न रखा है । मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं । आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो सुन रहा हूं । मैं खुद आपसे सुनकर अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप उस पीठ पर बैठे हैं । मेरी बात आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं । आपकी बात तो हमें सुननी ही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब हम कुछ कह रहे हैं तो यह बीच में बोल रहे हैं । इस भरत नाट्यम् का हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष–

जब कत्थक होता है तो फिर भारत नाट्यम् होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं हाई कोर्ट में आपसे जूनियर रहा हूं जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है ।

श्री अध्यक्ष–

न्याय कक्ष में बराबर रहते हैं । अगर इनका सीनियर मैं रहा होता तो कुछ ज्ञान बचाकर अपने पास रख लेता इनको न दे देता ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारे तो एक ही सीनियर हैं लेकिन इनका सीनियर तो हर साल कैलेण्डर की तरह बदल जाता है । मान्यवर, मैं कह रहा था कि नियमावली के नियम 300 में औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रर्वतन के सम्बन्ध में होगा.....

श्री अध्यक्ष–

आप विनियमित शब्द को अकेले न लें । सदन का कार्य विनियमित होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप सुन तो लें । मैं बता रहा हूं । मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है उनके उत्तर से ही सदन का कार्य विनियमित होता है । मान्यवर, अगर कोई प्रश्न किया जाय और मंत्री का जवाब यह कहकर रखा जाय कि यह खेल मंत्री हैं यह सिंचाई मंत्री का जवाब कैसे देंगे । एक मंत्री का जवाब सम्पूर्ण मंत्रि-मण्डल का जवाब मान लिया जाता है । मान्यवर, राज्य मंत्रियों का कहना है कि हमको ..

श्री अध्यक्ष–

दूसरी शर्त उप नियम (2) की देख लें । औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें है कि परन्तुक अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो परन्तुक है उप नियम 2 का है तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, राज्य मंत्रियों का यह कहना है कि....

श्री अध्यक्ष–

किस मंत्री ने कहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मुझसे कहा है, इसी सदन में कहा है । आपने नहीं सुना होगा, मैंने सुना है ।

श्री अध्यक्ष–

आप देखें । उप नियम (1) के अन्त में दिया है ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैने इसी सदन में सुना, विपक्ष में बैठे सभी सदस्यों ने सुना । अगर आपने सुन लिया होता तो मैं नियम 300 के अन्तर्गत लाता ही क्यों ? कल जब सदन शाम को चल रहा था तब की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम भी कुछ विचार से बने हैं। ऐसा हो तो दो साल पहले की बात भी इसके अन्तर्गत उठा सकते हैं। नियमावली सोच समझ कर बनायी गयी हैं। औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल शाम को, जब सदन चल रहा था उस समय की बात कर रहा हूं। सदन के अन्दर मंत्रि-गण कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

जब सदन चल रहा था उस समय उठा दिया होता।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। संविधान के अनुच्छेद–164 का उल्लंघन हो रहा है अतः यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा० समरपाल जी को बुला लिया है। सूचना आपकी व प्रमोद जी की थी। मैंने एक को सुन लिया है यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा। मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने मा० समरपाल जी को पुकार लिया है।

श्री अध्यक्ष–

श्री समरपाल जी की दूसरी सूचना है, इसमें चीनी मिलों द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज न दिये जाने के सम्बन्ध में है तो इसमें सदन की कार्यवाही रोक कर कैसे चर्चा करायी जाय। यह आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आती है क्योंकि कानून का सरकार पालन नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं किन्तु नियम 300 में आपकी सूचना नहीं आती है, इसलिए मैं आपकी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दिनांक 22-2-99 को निलम्बन वापसी के उपरान्त श्री राम औतार शाक्य के प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि दिनांक 22 तारीख को मैं निलम्बित था और 12.20 बजे तक निलम्बन वापस नहीं हुआ था । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि दिनांक 22 फरवरी को जो मेरे सवाल लगे थे उन्हें दुबारा ले लिया जाय और उन्हें इसी सत्र में निर्धारित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी समस्या का परीक्षण करा लूंगा, यदि सम्भव होगा तो आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जायेगी अन्यथा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया दूसरा प्रश्न दें ।

सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पद पर एक दल विशेष के लोगों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह और डा० अशोक बाजपेई जी की है । इसमें सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पद पर एक विशेष दल के लोगों को नामित करने के सम्बन्ध में है । तो यह सूचना नियम 300 में कैसे आती है ?

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कोआपरेटिव एक्ट संविधान के अनुसार बना है और उसमें व्यवस्था है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा । विधान सभा चल रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हम मार्च तक चुनाव करा देंगे । आज 23 फरवरी है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव कैसे कराये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री रेवती रमण जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है । इसे आप दूसरे नियमों में उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुझे आप इसमें नहीं तो नियम 56 में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 जब आयेगा तो देख लेंगे ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं ।

कुंअर रेवती रमण सिंह को सुनने के पश्चात् मैं उनकी सूचना को निरस्त करता हूं ।

ऊर्जा सलाहकार समिति सीतापुर की दिनांक 20-2-99 को हुई बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विधायकों के अधिकारों का हनन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पांचवी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लाल जी वर्मा और श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी की है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यूं तो सब जगह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है लेकिन सीतापुर में विधायकों के अधिकारों पर डकैती पड़ रही है और कोई डकैती डालता तो किसी कोतवाली में रिपोर्ट लिखा देते इसकी एफ०आई०आर० दर्ज करा देते यह एफ०आई०आर० आपके समक्ष प्रेषित है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा सलाहकार समिति की 20 तारीख को बैठक हुई, इसमें शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऊर्जा सलाहकार समिति में सांसद विधायक हो, सदस्य होंगे जिलाधिकारी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

जो मैंने आपत्ति की थी वही इसमें है ऊर्जा सलाहकार समिति के बारे में आप कह रहे हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अब आप बोल रहे हैं आपकी आज्ञा से हम बोल रहे हैं तो कृपया आप हमें सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा सलाहकार समिति के कार्य के विनियमन से क्या सम्बन्ध है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, पांच-पांच गांव का माननीय सदस्यों का कोटा है बैठक में जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य का कोटा माननीय सांसदों को दिया है । इससे सम्मानित विधायकों के अधिकारों का हनन हुआ है । मान्यवर, बैठक में सम्मानित सदस्य, सीतापुर के बैठे थे सबने इसका विरोध किया था हमने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि ऊर्जा मंत्री जी को यदि सांसदों को देना होता तो पांच-पांच ग्रामों की घोषणा करते जैसे एम०एल०सी० को देने की बात कही है, तो इसको भी कहते जिलाधिकारी के विवेक पर इस तरह से चयन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा मंत्री जी उपस्थित हैं मैं उनसे उत्तर मांग रहा हूं ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 168 में विधान मण्डल का गठन होता जिसमें सारे मा० सदस्य होते हैं । आपने हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए उनके संरक्षण के लिए इसमें हम आपके पास न आयें आपसे न कहें तो कहां जायें ? मान्यवर, आपको अधिकार है सदन के सम्मानित सदस्यों को संरक्षण देने का, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने मा० सांसद सदस्यों को शामिल नहीं किया है ।

मान्यवर, सीतापुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश में जगह-जगह इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं माननीय विधायकों का कोटा माननीय सांसद सदस्यों को दिया जा रहा है आपसे अनुरोध है आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। या फिर माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखें कि सांसद सदस्यों का जो दो करोड़ का कोटा है उसमे विधायकों को भी हिस्सा मिलना चाहिए वरना यह सुनिश्चित करें कि जो कोटा माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा विधायकों को दिया गया है उसमें अफसरों द्वारा और सांसद सदस्यों द्वारा कोई कटौती न की जाए मेरा आपसे, संसदीय कार्य मंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि सीतापुर की उस बैठक को रद्द करके दूसरी बैठक बुलाने के आदेश दें।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, डाक्टर साहब बहुत दिनों तक इस तरफ के सम्मानित सदस्य रहे हैं और उन्होंने माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की है आज हम इधर हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। मान्यवर, स्पष्ट जी०ओ० है। जिला सलाहकार समिति को अधिकार नहीं है। वह शासन करेगा विधायक शासन को नाम देते हैं। तो भेज देंगे सीधे मांग देते हैं तो उस तरह चयनित करेंगे। विधायकों के अतिरिक्त जो कोटा दिया जाएगा उसमें सलाहकार समिति को चयन का अधिकार है। अगर जिलाधिकारी सीतापुर ने ऐसा नहीं किया है तो इसमें स्पष्ट इन्सट्रैक्शन दे देंगे जिलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है चुने हुए सदस्यों का यह अधिकार है। जिसमें विधायकों के लिए अलग से पांच गांव का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना में माननीय सदस्यों और ऊर्जा मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पांच गांव के चयन की बात कही गयी। जिला योजना के अन्तर्गत जो परिव्यय निर्धारित होता है ऊर्जा विभाग का, जो जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति तय करती है उस पैसे में कौन से गांव लिए जायेंगे तो जो उसके लिए सलाहकार समिति में तय होता है तो जो निर्धारित परिव्यय है उसके अनुसार पांच गांव देने की घोषणा की गयी है। यह जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्यय जिसका निर्धारण जिला ऊर्जा सलाहकार समिति करती है तो क्या उसमें उन्हीं पांच गांव को लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जिला प्लान में दिया है। यह शासन का अनुदान नहीं है। इन्हें विद्युत परिषद् ने ऋण लेकर उस पैसे को भेजा है। अभी तक जो प्रक्रिया थी वह फिक्स प्रक्रिया थी और उसी के तहत तय होता था। यह आपकी सरकार ने नार्मस बनाये थे और विधायक को अधिकार नहीं था। हमने उस नार्मस को बदलकर उस लोन के पैसे से विधायक को अधिकार दे दिया है कि वह पांच गांव को सलेक्ट कर ले।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, किसी जिला योजना के लिए परिव्यय निर्धारित होता है और जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति स्वतन्त्र है कि वह ऊर्जा के लिए पैसा रखेगी या किसी अन्य विभाग के लिए रखेगी। अगर वह पैसा नहीं रखती है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऋण लेकर दिये हैं, यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा तो नियोजन विभाग के परिव्यय पर निर्धारित होता है और वह पैसा किस विभाग में खर्च किया जायेगा । यह जिला नियोजन अनुश्रवण समिति तय करती है तो माननीय क्या मंत्री जी जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति को बाध्य कर सकती है कि वह पैसा दे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जिले से प्लान बनकर आता है । हम लोन लेकर भेजते हैं । हमने यह अधिकार दे दिया है कि नार्मस के अनुसार नहीं चयनित करेंगे जो पांच गांव वह चयनित करते हैं वह दे देंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियोजन विभाग में कोई हेरा-फेरी नहीं है । यह स्वायत्तशासी निकाय है और उसमें तबदीली की जायेगी तो विकेन्द्रीकरण का मतलब क्या रह जायेगा ? जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है । उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं । इसके बाद माननीय सदस्य चक्राक्रम और वर्णाक्रम के अनुसार अध्यक्षता करते हैं । मान्यवर, तो उसमें यदि ये पैसा नहीं रखा ऊर्जा के लिए तो क्या अलग से उस जिले के लिए पांच गांवों से विद्युतीकरण करने के लिए पैसा देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो जिले से प्लान बनकर आता है, उसी आधार पर प्रदेश का अनुमानित बजट बनकर आता है । हम प्लानिंग कमीशन को भी जो अपनी अनुमानित आय बताते हैं उसके हिसाब से वे हमारा प्लान बनाते हैं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है यदि कोई आपकी समस्या हो तो मंत्री जी को अलग से लिखकर दे दें ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 18 फरवरी, 1999 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1999 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5, 6 में कुछ नहीं है । अब मैं मद संख्या–7 लेता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 फरवरी, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 23 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 3, 4 और 5 मार्च, 1999 को सदन की बैठक न रखी जाए और इसके स्थान पर दिनांक 27 फरवरी, 1999 तथा 10 मार्च, 1999 को सदन की बैठक रखी जाए ।

2–सदन के दिनांक 23 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप से निर्धारित किया जाय :–

<u>फरवरी, 1999</u>

23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
24 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । (2) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण ।–आधा घण्टा ।
25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
26 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) (क) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा । "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।"

(ख) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधत्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि,' रख दिया जाय ।"

27 शनिवार

1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जनपद मार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पानी निकास की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाय ।"

28 रविवार

मार्च, 1999

(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

1 सोमवार

2 मंगलवार

3 बुधवार

4 गुरुवार

5 शुक्रवार

बैठक नहीं होगी ।

6 शनिवार

7 रविवार

8 सोमवार

9 मंगलवार

10 बुधवार

11 गुरुवार

12 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

13 शनिवार

बैठक नहीं होगी ।

14 रविवार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22 सोमवार 23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

(मद सं० 8 में) इसमें कुछ नहीं है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-2-99 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार की, दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की, तीसरी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की, चौथी सूचना श्रीमती गौरी देवी की, पांचवी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सिंह

सरोज की, छठी सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री सीताराम निषाद, श्री राम चन्दर यादव की, सातवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की, आठवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की, नवीं सूचना कुवंर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेई की, दसवीं सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री परवेज हलीम, श्री राजपाल सिंह, श्री बनारसी दास चांदना एवं श्री विजेन्द्र आर्य की है ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

वह चयनित नहीं हुई है कल दोबारा दे दीजिए ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना आयी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना आयी तो है लेकिन शलाका में नहीं आयी है ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

जो सूचनायें नहीं आयी हैं उसे कल या जिस दिन समझे दे दें । इसमें एक चयनित हुई है और शेष में शलाका डाली गयी है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मेरी सूचना के बारे में बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

जो शलाका में आयी हैं वह सूचना मैंने पढ़ दी ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव की इस सूचना के माध्यम से प्रदेश के एक अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, 23 मार्च, 1999 से उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा प्रारम्भ होने वाली है । मान्यवर, हाई स्कूल में इस वर्ष लगभग 23 लाख परीक्षार्थी और इण्टरमीडिएट में लगभग 12 लाख परीक्षार्थी 23 मार्च, 1999 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे । कुल 35 लाख परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं । श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन में उत्तर प्रदेश सरकार से अनेक बार इस बात की घोषणा की है कि उसने तमाम प्रयास किये विद्युत सुधार में और आज उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन पिछले वर्षों की, तुलना में ज्यादा बढ़ा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां यह सरकार सदन में बार-बार घोषणा करती है कि विद्युत उत्पादन की हालत में सुधार हुआ है वहीं पर विगत 10 फरवरी से विद्युत की कटौती पूरे प्रदेश में 5-6 घण्टे की जा रही है । जो बिजली की कटौती की जा रही है वह मुख्यतः शाम को की जा रही है जिसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव 23 मार्च से प्रारम्भ होने वाली हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा देने वाले छात्रों पर जो 35 लाख हैं उन पर हो रहा है । यह सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो यह निर्णायक समय है उस समय सबसे ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है । राज्य

सरकार के अविवेक पूर्ण निर्णय से 35 लाख छात्रों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है । उनमें गुस्सा, क्रोध, असन्तोष व्याप्त है इसलिए इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाय ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

कभी उनको भी अवसर दिया कीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

कहिए तो सदन में आया ही न करूं । मान्यवर, मैं नई-नई चीजें बताऊंगा । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न इसलिए है कि सारे उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं छात्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हो रही है । अविलम्बनीय इसलिए है कि यह परिस्थिति कल भी थी आज भी है और इस समय भी जारी है । जब से भाजपा की सरकार आयी है, यह [xxx] हुआ है ।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, विद्युत जिस पर, व्यापार, किसान, कृषि और सामान्य जन-जीवन निर्भर करता है उसकी कटौती की जा रही है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विद्युत परिषद् में मौजूदा सरकार के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । पहले लाइन लासेज 23 परसेंट थे जो माननीय कल्याण सिंह के समय में 30 प्रतिशत के आसपास पहुंच गये हैं । लाइन लास के नाम पर विद्युत की चोरी जारी है । इसलिए जब पीक आवर्स में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है तभी बिजली नहीं मिलती है । आप किसी कस्बे में चले जायं बिजली नहीं है । आज इससे सबसे ज्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं ।

मान्यवर, आज विधान सभा की बिजली भी कई बार गयी । पहले 5-5 साल बीत जाते थे विधान सभा में बिजली नहीं जाती थी । आज विधान सभा में प्रश्नकाल में विद्युत चली गयी । जब विधान सभा का यह हाल है तो बाहर क्या स्थिति होगी ? इसका आप अन्दाजा लगा लें । पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, शाम को 6 बजे के बाद किसी सड़क से निकल जायं जो छोटे-छोटे कस्बे हैं यहां तक कि जनपद मुख्यालयों पर आपको बिजली नहीं मिलेगी । उसका एकमात्र कारण मैंने जैसा कहा है जो उत्पादन हो रहा है, वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है और न इस सरकार ने कोई नये विद्युत केन्द्र लगाये हैं । जब यह सरकार आयी नहीं थी उसके पहले नरेश जी ने प्रश्न किया था कि [xxx] ने ऊंचाहार विद्युत केन्द्र को बेच दिया । अब चूंकि ऊर्जा मंत्री जी वहां पर हैं इसलिए [xxx] बल्कि वह साथ-साथ चलती है । मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर लाखों छात्रों के भाग्य को देखते हुए, करोड़ों कृषकों के भाग्य को देखते हुए, सामान्य शहरी और ग्रामीणों के भाग्य को देखते हुए इस पर अविलम्ब चर्चा करायी जाये जिससे विद्युत आपूर्ति सुधर सके ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, माननीय प्रमोद कुमार जी एवं सुबाष जी ने विद्युत से सम्बन्धित मुद्दों को उठाया है । हम यह मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है इसी कारण राज्य विद्युत परिषद् में सुधार नहीं हुआ और राज्य सरकार इसी कारण नई विपणन बिल 9 तारीख को इस सदन में ला रही है । मुझे खुशी होगी कि श्री प्रमोद जी इस पर सही विचार देंगे । कर्मचारियों की जब स्ट्राइक नोटिस आयी थी तो प्रमोद कुमार जी ने कर्मचारियों का पक्ष लिया था और आपका स्टेटमेन्ट आया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी आप सही कहा करें मेरा कोई स्टेटमेन्ट कर्मचारियों के पक्ष में नहीं आया था । इनके दल में जो प्रमोद तिवारी हैं उनका स्टेटमेन्ट होगा, मेरा कोई स्टेटमेन्ट नहीं था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, विद्युत परिषद् में सुधार करने के लिए राज्य सरकार, राज्य विद्युत परिषद् को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर अच्छी बिजली उपलब्ध कराना चाहती है । यह सही है कि भारत सरकार के उपक्रम में विद्युत उत्पादन में कमी आयी और अनपरा ''बी'' 500 मेगावाट की यूनिट टेक्निकल फाल्ट आने के कारण बन्द हो गया । यह 22 तारीख को चलने वाली थी लेकिन अभी नहीं चल पायी है । जापान से इंजीनियर्स को बुलाया है । इसीलिए कुछ कटौती बढ़ गयी है । कल हमने सवा आठ घण्टे गांव में, साढ़े ग्यारह घण्टे तहसील में, साढ़े सोलह घण्टे जनपद में, साढ़े 20 घण्टे पर्वतीय क्षेत्र में, 20 घण्टे मण्डल स्तर पर और 21 घण्टे महानगरों में बिजली की सप्लाई की है । एन०टी०पी०सी० में भी जनरेशन डाऊन हो गया जितनी बिजली लेना चाहते हैं वह मिल नहीं पा रही है, उसमें कटौती हो गयी है । मुझे भी ख्याल है कि प्रदेश में एक्जाम चल रहे हैं, छात्रों के सामने परेशानी है । निश्चित रूप से यह सरकार कदम उठाकर समस्या का समाधान करेगी । अभी तो इस सरकार को एक ही वर्ष हुआ है इससे पहले जो सत्ता में थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया । हमने पावर प्रोजेक्ट वालों को बुलाया है । साईन हो गयी हैं लेकिन प्रोजेक्ट लग नहीं रहे हैं ।

हमारी सरकार चाहती है कि त्वरित गति से उत्तर प्रदेश में नये पावर प्रोजेक्ट लगें । पीक आवर्स में 15 प्रतिशत और जनरल में 8 प्रतिशत की कमी रहती है । आज की मीटिंग के बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे और एक निश्चित तारीख तय करेंगे कि किस-किस तारीख से कौन-कौन से पावर प्रोजेक्ट लगने शुरू होंगे । जो बात माननीय सदस्यों ने उठाया है उसके लिए मैं सचेष्ट हूं । जितनी विद्युत मिल सकती है हम उसी के अनुरूप सप्लाई कर रहे हैं । इस समस्या के प्रति मैं सचेष्ट हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक स्पष्ट एवं खुली हुई बात है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको समझने में उत्तर प्रदेश की सरकार को मेहनत और मशक्कत करनी पड़े । सरकार 23 मार्च, 1999 से हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा कराने जा रही है । तकरीबन 35 लाख हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे समय में विद्युत परिषद् ने 5-6 घण्टे कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है । नकल विरोध के सम्बन्ध में सरकार तमाम प्रचार कर रही है । माननीय मंत्री जी कटौती के सम्बन्ध में जारी आदेश को वापस लेने पर पुनर्विचार करने व वापस लेने को तैयार नहीं हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कोई व्यवस्था नहीं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

श्री चन्द्रनाथ सिंह जो बात कह रहे हैं वह अंकित नहीं की जाएगी ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जाएगा ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें । जब पीठ की ओर से कोई सुझाव या निर्देश दिया जाय तो उसका पालन करें । संसदीय प्रणाली सीखें । बारम्बार सदन में यह बात दोहराई जाती है कि नियम, परम्पराओं से सदन चलता है । दो माननीय सदस्यों ने इस सूचना पर हस्ताक्षर करके एक सूचना दी । उसकी ग्राह्यता पर उनको सुन लिया । इसके बाद मंत्री जी ने अपनी बात कह ली अगर आप उसके बाद व्यवधान उत्पन्न करेंगे, बिना अनुमति के बोलेंगे तो यह ठीक नहीं है । यदि आपके क्षेत्र की समस्या है और आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है तो उसे आप सुसंगत नियमों में लायें । दूसरों को बोलने नहीं देंगे और नियमों के प्रतिकूल अपनी बात कहेंगे और पीठ से निवेदन किया जा रहा है, उसे आप मानेंगे नहीं तो इससे सदन को चलाने में कठिनाई होगी ।

(श्री चन्द्रनाथ सिंह यह कहते हुए सदन को छोड़कर चले गये कि हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है ।)

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट जी के खड़े होने पर–व्यवधान ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा । नियम सब पर लागू होगा । सूचना पर आपके हस्ताक्षर भी नहीं हैं । नियमों के अनुसार ही सदन चलेगा ।

(श्री राम तेज यादव एडवाकेट जी यह कहते हुए सदन छोड़कर चले गये कि हमारा क्षेत्र अन्धेरे में डूबा है ।)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस सच्चाई का बयान तो किया कि पिछले कई सालों से कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं लगा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अन्तिम थर्मल पावर अनपरा बी, कांग्रेस के जमाने में लगा था और ऊंचाहार थर्मल पावर जो कांग्रेस के जमाने में लगाया गया था, उसे [xxx] की पहली सरकार द्वारा उसे बकाये के रूप में एन०टी०पी०सी० को सौंप दिया गया था। एक स्पष्ट जानकारी और प्राप्त करना चाहता हूं कि आगामी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए अप्रैल तक कोई भी घोषित और अघोषित कटौती, कस्बों, गांवों और शहरों में नहीं की जायेगी। मड़ाई का भी सीजन आ रहा है। मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं बिजली मंत्री से और बीच में बोले जा रहे हैं [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

अब गन्ने से भी बिजली बनायी जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगे कि बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए, खेती की मड़ाई और सिंचाई को देखते हुए मार्च और अप्रैल में किसी भी तरह की विद्युत कटौती शाम को नहीं की जायेगी। दूसरा ऊंचाहार थर्मल पावर किस सरकार के कार्यकाल में लगा और किसके कार्यकाल में इसे एन०टी०पी०सी० को सौंपा गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जहां तक ऊंचाहार की बात है, ऊंचाहार थर्मल पावर एन०टी०पी०सी० को दिया गया था। वह भी विद्युत अवशेषों को चुकाने के लिए जो आपकी दल की सरकार के थे। जहां तक अनपरा के लगाने की बात है।.....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [xxx] ने दिया, इसे कहने में [xxx] की क्या बात है। [xxx] भी न कहलवायें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जब अनपरा-बी लगा था, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 1994 में अनपरा-बी लगा था।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर–व्यवधान)

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(सदस्यों के बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में बात न करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जहां तक कमी की बात है। आज हमारा जनरेशन 5184 मेगावाट है और 900 मेगावाट पीक आवर में कमी रहती है दिन में कटौती नहीं करते हैं। ओ०एन०जी०सी० में 2 हजार विद्युत

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जेनरेशन कम हो गया है इसलिये निर्धारित नहीं मिल पा रहा है । इस कारण से दिक्कत हो रहा है । कुछ समय बाद 500 की जैनरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और भारत सरकार से और लेकर निश्चित रूप से इस प्रदेश में जिस समस्या को आपने उठाया है यह सरकार वह समस्या नहीं रहने देगी । प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से विद्युत उपलब्ध करानी है इसलिये बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कर रहे हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है । कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है । यह सरकार सजग है और कार्यवाही कर रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के लिये गलत बयानी कर रहे हैं । यह छात्रों को, किसानों को बिजली नहीं देना चाहते हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार व उनके दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना नरेन्द्र सिंह भाटी जी की है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । माननीय भाटी जी के हस्ताक्षर हैं सूचना पर इसलिये उनको बुला लिया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं यह जानकारी देना चाहता हूं मान्यवर, वैसे तो समस्त उत्तर प्रदेश में ही जिला पंचायत और जिला प्रशासन के बीच टकराव है । मैं गौतमबुद्ध नगर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

गौतमबुद्ध नगर में जिला पंचायत अधिनियम 1961 का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है जो अधिकार जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 119 से 121 में स्पष्ट लिखा है जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाइयों पर कर निर्धारण करेगी और लाइसेंस शुल्क लेगी । इसी क्रम में जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सड़कों के किनारे विज्ञापन पटों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधियां निर्मित की हैं जो आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् शासकीय गजट में प्रकाशित हो चुकी है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो कि न नगर निगम का है न नगर पंचायत का है ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जन प्रतिनिधि, बी०डी०सी० के सदस्य, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष काम कर रहे हैं ।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सारे नियमों को ताक में रखकर जिला पंचायत अधिनियम का हनन किया जा रहा है । जिला पंचायत द्वारा जो विज्ञापन पट्ट लगाये गये हैं उनको उतरवा लिया है । यह सारे नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं और यह जानकारी चाहता हूं कि वे जिला पंचायत को उसके दरवाजे बन्द करने को जो तैयारी जिला प्रशासन ने कर दी है । जिला पंचायत अधिनियम के अधिकारों का हनन करने से उन्हें रोकेगी । मैं इस सारे प्रकरण की जांच चाहता हूं और आप यह स्पष्ट निर्देशित करेंगे कि जो जिला पंचायत अधिनियम 1961 में प्रदत्त अधिकार हैं जिला

पंचायत उनको प्रयोग में लाये और जो व्यवसाइयों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का अधिकार है उसको बहाल किया जाय । वहां पर जिलाधिकारी और एस०एस०पी० से सीनियर लोग बैठते हैं किसी की परवाह किये वगैर अपनी दादागिरी करते हैं । मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिलाधिकारी का 27 मई 98 का पत्र है जिसमें अपर मुख्य अधिकारी से कहा है कि नोएडा में आवारा पशुओं द्वारा बागों को क्षति पहुंचायी जा रही है । नियमानुसार जिला पंचायत का अधिकार है कि वह क्षति को बचायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ग्राह्यता पर जोर दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही जोर दे रहा हूं । नोएडा के चेयरमैन ने जिलाधिकारी को लिखा है । इसलिए पंचायतों के अधिकारों की रक्षा की जाय । मान्यवर, जिला पंचायत को जो अधिकार दिये गये हैं उनका निर्वाह करने के लिए मैं यहां इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में आप से चर्चा की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य तथा खाद्य एवं रसद, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दिया है मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और उसके बाद यदि कोई शिकायत होगी तो उसे दूर करेंगे ।

मान्यवर, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य है, उनसे मेरा आग्रह है कि सूचना में कम से कम वर्ष तो लिख देते ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, यह हाल का ही मामला है जिसका मैंने सूचना में उल्लेख किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इस संबंध में जानकारी कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री भाटी और संसदीय कार्य मंत्री जी को ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात मैं उसे अग्राह्य पाते हुए इस सूचना को निरस्त करता हूं । किन्तु मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को दिखवा लें और यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसको ठीक करा दें ।

अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आप ने मेरी सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों तथा जल प्रभावित गांवों के किसानों को मुफ्त बीज देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी । [× × ×] मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र और तहसील में 186 गांवों को चयनित किया गया था जो बाढ़ और जल से प्रभावित थे । लेकिन इनमें से 16 गांवों को छोड़ दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, इस संबंध में हमने जिलाधिकारी को लिखा था कि इन 16 गांवों को भी जोड़ लिया जाय और सभी 186 गांवों में बीज का वितरण कराया जाय । लेकिन मेरे क्षेत्र के 186 गांवों में जो बाढ़ और जल से प्रभावित थे वहां मात्र 100 गांवों को बीज का वितरण कराया गया है और लगभग 100 गांव छोड़ दिये जायं जिसमें कोई भी सहायता ही उपलब्ध करायी गयी । मैं पूछना चाहता हूं यह शासन की कैसी नीति है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि जिन किसानों की एक एकड़ भूमि की फसल नष्ट हुई है उन्हें 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपया की राहत दी जायेगी । लेकिन हमारे क्षेत्र और तहसील में जो गांव बाढ़ और जल से प्रभावित थे और वहां के किसानों की जो फसल नष्ट हुई उसमें किसी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

केवल गेहूं के बीज वितरण के संबंध में आपने सूचना दी है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

सरकार की घोषणा के बारे में कह रहा हूं । बीज पहुंचा नहीं है सिर्फ 80 गांव में बीज बांट दिया गया है जनता पर कुठाराघात हो रहा है यह गम्भीर मामला है मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि वह काश्तकार जिनके पास आठ बीघें जमीन है उनको बीज देंगे बीज पाने के लालच में काश्तकार इनके सहारे बैठे रहे कि बीज देंगे कल बीज मिलेगा परसों बीज मिलेगा इसी आशा में किसान बैठे रहे । यह जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है इस पर मान्यवर, चर्चा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । पूरे प्रदेश में कृषक परेशान है कृषको का नुकसान हो रहा है यह सरकार कहती है कि पारदर्शी सरकार है अगर यह सरकार पारदर्शी है तो बीज वितरण कराए इसके साथ ही इस पर चर्चा कराई जाए जिन गांव में बीज नहीं पहुंचा है उनको बीज पहुंचवाया जाए । जिन लोगों से कर्जा लेकर कृषक बीज बो रहे हैं उनके कर्जे का भुगतान शासन कराये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हरदोई जनपद में 1456 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए बाढ़ से प्रभावित होने के बाद बीज का विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि कम पहुंचा तो मैं बताना चाहूंगा कि 149 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि आवंटित की गई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायतार्थ, सारे भू-राजस्व की वसूली रोक दी गई । बीज के रूप में 26,623 कुन्तल दवाई लगा बीज उपलब्ध कराया गया तो माननीय सदस्य अगर उपलब्ध कराया हुआ बीज देख लेते तो अच्छा रहता । सरकार की तरफ से तो और ज्यादा का आंकलन कराया गया लेकिन जिला प्रशासन ने कहा इतनी खपत नहीं है । जितने की खपत थीं वह उपलब्ध करा दिया गया ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों के हर काश्तकार को बीज उपलब्ध करायेंगे जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत रिपोर्ट दी है जिला प्रशासन की रिपोर्ट की जांच कराई जाये और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकरियों को दंडित किया जाए, काश्तकारों को बीज नहीं पहुंचा है ।

श्री हुकुम सिंह–

26 हजार 623 कुंतल बीज उपलब्ध कराया जा चुका है । माननीय डा० धर्मज्ञ मिश्र जी बहुत विद्वान सदस्य हैं इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है । इनको बोलने के लिए माइक स्पीकर की जरूरत नहीं है कभी-कभी तो इनके दर्शन होते हैं इसलिए मैंने सारी जानकारी करके कहा ।

मान्यवर, यह फरवरी खत्म हो रही है इस वक्त गेहूं के बीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अब यह बीज की मांग कर रहे हैं ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, फरवरी खत्म हो रही है और अभी तक बीज उपलब्ध नहीं करायी गयी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा गलत हो जायेगी । उन्होंने कहा कि सब काश्तकारों को देंगे । लघु सीमान्त कृषकों को देंगे । मैं सही बात कर रहा हूं । जब बात बोलते हैं तो मुझे निलम्बित कर दिया जाता है । मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय । यह कृषकों के हित की बात है । लोक महत्व का प्रश्न है । इसमें अगर किसी अधिकारी ने कोई कोताही बरती है तो उसे दण्डित किया जाय । जो जन हित में होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी आप कृपया बैठ जायें । आप पहले मुझे अवसर दें । माननीय मिश्र जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना ग्राह्य करने योग्य नहीं है । इसलिए इस सूचना को निरस्त करता हूं । किन्तु मिश्र जी के द्वारा सूचना में जो तथाकथित तथ्य दिये हैं । उनकी जांच करा लीजिये । अगर किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो उस पर कार्यवाही की जाय । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, ग्राम पचरुखिया में हेड कांस्टेबिल सत्यप्रकाश यादव की हत्या कर दी गयी । इससे पूरे जनपद महाराजगंज में आक्रोष व्याप्त है और साम्प्रदायिकता की आग फैल गयी है । एक अल्पसंख्यक महिला को बचाने के लिए यह सत्यप्रकाश यादव जो कि मेरे क्षेत्र का निवासी है, इस नौजवान ने अपनी कुर्बानी दे दी । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इनके तीन छोटे-छोटे बच्चों को सरकारी खर्चे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाय । इनकी पत्नी को डबल तनख्वाह दी जाय । जो पेंशन के कागजात है उसको तत्काल पूरा कराकर उन्हें दिया जाय । मान्यवर, जो सरकार की तरफ से दो लाख की घोषणा की गयी है वह बहुत कम है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया सहायता दी जाय । मान्यवर, उसके मरने से पुलिस विभाग में बहुत आक्रोश व्याप्त है । .....

श्री अधिष्ठाता–

इसमें ग्राह्यता पर अपनी बात कहें । इसका लोक महत्व क्या है ?

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय । मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख की सहायता की जाय । इनके बच्चों को सरकारी खर्चे पर अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाय और जो पेंशन के कागजात है उसको जल्दी कम्प्लीट करके इनको पेंशन दिलायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे ही यह घटना हुई थी । हमने सदन को अवगत कराया था । दो लाख रुपये जो दिये गये हैं उसको समझने में थोड़ा अन्तर है । वह उससे अतिरिक्त है । जो नियमानुसार उनको अनुमन्य होंगे । बाकी जो पेंशन वाली बात है नियमानुसार पुलिस रूल्स के अनुसार वह मिलेंगे ही हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र पेंशन उपलब्ध हो जाए । नियमों के अनुरूप मृतक आश्रित का जो परिवार है उनकी पत्नी है उनके बच्चे तो छोटे हैं उनको सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्या और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य पाते हुए इसे निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व अन्य की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 2 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता था। प्रतापगढ़ जनपद के पहाड़पुर थानान्तर्गत सांगीपुर गांव में जो गडवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। वहां सेक्टर सलाहकार के रूप में श्री अलगूराम चौधरी जो दलित परिवार का था कार्य कर रहा था। दिन के एक बजे शोरेपस्त गुण्डे ने घर जाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की एफ०आई०आर० उसी दिन हो गई। आज 23 फरवरी है वह व्यक्ति टापटेन अपराधियों की सूची में है और 15 हत्या पहले कर चुका है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि नामजद रिपोर्ट है।

इसके फलस्वरूप उस गुण्डे हत्यारे का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब मृतक की पत्नी श्रीमती जिन्नाता एवं उसके 2 लड़कों देशराज व कुलराज तथा उसके एक छोटे भाई माताफेर और प्रत्यक्ष घटना के जो गवाह हैं। श्रीमती ललिता देवी मौर्य उनको साक्ष्य को नष्ट करने की नियत से आये दिन घर पर जाकर जान से मार देने की धमकी देता है। वह हिस्ट्रीशीटर अपराधी है लेकिन जिला प्रशासन गूंगा-बहरा होकर बैठा है यद्यपि कि इस मामले में जिला प्रशासन को भी हमने कार्यवाही के लिए कहा सरकार के संज्ञान में है। लेकिन क्या कारण है कि आज तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या सरकार की मंशा है कि पूरा का पूरा दलित परिवार का सफाया हो जाए। क्या यह सरकार चाहती है कि अभी एक मरा है कि अलगूराम चौधरी अब उसकी पत्नी मारी जाए उसका भाई मारा जाए घटना की गवाह मारी जाए ?

मान्यवर, उस क्षेत्र में दहशत है, भय है, लोगों में आशंका है और उनको आने वाली अनहोनी के लिए चिन्ता है कि अलगूराम चौधरी की हत्या हो गई। हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। लगता है इन लोगों में से किसी की हत्या कर दी जायेगी।

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और लोकमहत्व का है। इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन के अन्य नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री इन्द्रजीत सिंह सरोज–

मान्यवर, यह घटना 2 फरवरी, 99 की है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी श्री अलगूराम चौधरी जी की हत्या कर दी गयी। मैं अपने दल के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उस गांव के दौरे पर गया था। मैं उस गांव में जब गया तो वहां पुलिस ही नहीं थी। जब हम लोग पहुंचे तो पीछे से पुलिस वहां पर पहुंची। जो वहां पर पुलिस सुरक्षा में लगाये गये थे। वह लोग बाहर टहल रहे थे। जब हम लोग गये तो मृतक की पत्नी जिन्नाता देवी ने बताया कि हमारे सामने 2 फरवरी को दिन में 1 बजे मेरे पति की हत्या कर दी गयी।

मान्यवर, पहले गोली मारी गई वह घर की तरफ भागे उसकी पत्नी ने उसे पकड़कर अपने पास बैठा लिया और अभियुक्तों से मिन्नतें करने लगी कि हमारे पति को न मारिए लेकिन वह लोग नहीं माने और

उसके पेट में गोली मार दी अभियुक्तों में राजू मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है अनेक हत्यायों में इन्वाल्व हैं । हिस्ट्रीशीटर है । मान्यवर, अलगूराम जी बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी थे । उनकी हत्या इसलिए की गयी । हत्या का कारण गांव सभा की अनुसूचित जाति की आबादी की जमीन थी जिसमें अलगूराम अपना मकान बनाकर रह रहे थे । जबरदस्ती फर्जी तरीके से राजू मिश्रा आदि ने उस पर अपना कब्जा जमाना चाहा । जब अलगूराम जी ने कब्जा नहीं होने दिया तो उनको मार दिया गया । (व्यवधान)

मान्यवर, आज अलगूराम की पत्नी श्रीमती जिन्नाता देवी दहशत में हैं उनके पुत्र देशराज और कुलराज दहशत में हैं । पूरा गांव दहशत में है वहां वर्मा और मौर्य समाज के लोग हैं वह भी दहशत में हैं । लेकिन अभी तक अभियुक्तों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । जब हम लोग मौके पर गये थे पता चला कि आज भी गांव के पड़ोस में वह अभियुक्त टहल रहे थे लेकिन पुलिस उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर नियमों को स्थगित करते हुए चर्चा करायें और सरकार को आदेशित करें कि अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी । मैंने इस प्रकरण की जानकारी की । यह एक हत्या का मामला अपराध संख्या 12/99 धारा 302 के अन्तर्गत वह 325 अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुआ इसमें राजू मिश्रा और दो अज्ञात व्यक्ति के नाम से यह मुकदमा कायम हुआ ।

राजू मिश्रा की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं । धारा–82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है और धारा 83 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रार्थना-पत्र मैजिस्ट्रेट के सामने विचाराधीन है । जिसमें 27 को निर्णय के लिये तारीख लगी है । तो मान्यवर, पूरा प्रयास है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाय उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । जहां तक मृतक के परिवार की सुरक्षा का सवाल है । 4 पुलिस आरक्षी वहां पहले तैनात किये जा चुके हैं ।

मैं तो यह टिप्पणी नहीं करूंगा कि अपराधी वहां टहल रहा है या बैठा है लेकिन जो सरकार का दायित्व था एक दलित की हत्या हुयी है । उसकी गंभीरता को देखते हुए बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । मुकदमा कायम है और पकड़ने व कुर्की कराने की कार्यवाही चल रही है । मैं कठोरता से प्रतिवाद करता हूं । बदमाश का सम्मान न बढ़ायें । अपराधी किसी भी पार्टी का हो वह अपराधी है । यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वह नहीं जुड़ा है । आपके साथ जोड़ना मैं नहीं चाहता । मुझे जानकारी नहीं है । अपराधी को अपराधी मानकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । उसके मकान जायदाद की कुर्की होगी । वह कब तक भागेगा । कानून के हाथ बहुत लम्बे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह 2 तारीख की घटना है । 2 तारीख को एफ०आई०आर० हुयी । आज 21 दिन हो गये हैं । गिरफ्तारी और कुर्की तक नहीं हुयी है । यह सरकार दलित विरोधी है । जो इनकी मानसिकता है । उनका कत्लेआम करने की साजिश हो रही है इसका पर्दाफास हो गया है । यदि सरकार संवेदनशील है तो 24 घंटे में गिरफ्तार करने की सदन के अन्दर घोषणा करें । तो कोई बात होती । क्या सरकार इस बात का इन्तजार कर रही है कि उसकी पत्नी की हत्या हो जाय । उसके 13-15 साल के लड़कों की हत्या की प्रतीक्षा कर रही है और गवाह ललिता देवी की हत्या की प्रतीक्षा कर रही है । तब कोई कार्यवाही करेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि धारा 82 की कार्यवाही हो चुकी है और 38 की कार्यवाही चल रही है । जिसमें 27 फरवरी की तारीख लगी है । सुरक्षा के लिये 4 कांस्टेबिल्स की व्यवस्था कर दी गयी है । कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं घटनास्थल पर गया था । मैं इस मामले की गंभीरता को समझता हूं वहां पर दहशत और भय का वातावरण है । सरकार कहती है कि कार्यवाही हो रही है । न तो आज तक कुर्की हुयी है और न गिरफ्तारी हुयी है । मान्यवर, यह सूचना पहले नियम 311 में दलित उत्पीड़न में लगायी गयी थी । 5 दिन पहले संज्ञान में आ गयी थी अगर सरकार संवेदनशील होती तो अब तक गिरफ्तारी हो गयी होती । आज हत्यायें हो रही हैं, गुंडे खुले आम घूम रहे हैं । सरकार कह रही है कि गुण्डों और माफियों का सफाया हो रहा है ।

मैं कह देना चाहता हूं कि यह सरकार की दलितों को उत्पीड़ित करने की एक साजिश है । यह नहीं चलने पायेगा । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । न्याय मिलना चाहिए । उस गांव में और कोई हादसा और हत्या न हो जाये । उसके परिवार का और कोई न मारा जाये । इस पर अंकुश लगना चाहिए । इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आप इस पर व्यवस्था दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज सदन के अन्दर इस बात का कमिटमेन्ट करें । यदि यह संवेदनशील सरकार है और आप चाहते हैं कि गुण्डों और माफियाओं पर अंकुश लगे । आप भयमुक्त समाज बनाने के पक्षधर हैं तो आप यह स्पष्ट करें कि मैं 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तारी करके सदन को सूचित करता हूं अन्यथा यह तो टालू मिक्चर पिलाने की बात हुई । टालू मिक्चर आप रोज पिलाते रहते हैं । इस तरह से काम नहीं चलने वाला है । उस गांव और क्षेत्र में जो दहशत है । गुण्डों का हौसला आफजाई हुआ है । सरकार के निकम्मेपन के कारण वहां की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है । इस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है । इसलिए चर्चा कराये जाने की मांग कर रहा हूं । इस पर आप व्यवस्था दें और चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

खुद ही काफी जोड़ दिया है । मैं क्या जोड़ूं । लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार गुण्डों और माफियाओं पर काबू पा चुकी है । जो बचे हैं उन पर भी काबू पाने वाले हैं । हम समरसता पैदा करना चाहते हैं । कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना चाहते हैं और उसके लिए पूर्णतया कटिबद्ध है । गुण्डा-बदमाश किसी पार्टी का हो । गुंडा बदमाश के पीछे सरकार मजबूती के साथ पड़ी रहेगी । उसका स्थान जेल के पीछे और सीकचों के पीछे होगा । बड़े से बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय माफिया को हमने धराशायी कर दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, भाषण से काम नहीं चलेगा । यह मैं रोज सुनता हूं और बजट किताबों में भी पढ़ता हूं लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सरकार संवेदनशील है तो क्यों नहीं 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तारी कराने की घोषणा करती है ।

अगर सरकार इतनी संवेदनशील होती तो 2 तारीख से आज 23 तारीख हो गयी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या खाक छान रहा था । संसदीय कार्यमंत्री जी 24 घण्टे में गिरफ्तारी का आश्वासन दें तथा यह भी आश्वासन दें कि गरीबों को न्याय मिलेगा, दहशत का वातावरण खत्म होगा और अगली हत्या नहीं होगी, अन्यथा वह 15 हत्यायें कर चुका है यह 16वीं हत्या थी । अगर अंकुश नहीं लगा तो वह 17, 18 और 19वीं हत्या करेगा । यह केवल एक हत्या का मामला नहीं है इसके पहले वह 15 हत्यायें कर चुका है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दें कि 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तारी सुनिश्चित करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर आपको सुन लिया, माननीय मंत्री जी के विचार आ गये, अब कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस तरीके से दलितों की हत्यायें होती रहेंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता के निर्णय के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए और नारे लगाने लगे)

आप लोग अपने-अपने आसन पर जाएं । मैंने आपकी सूचना पर व्यवस्था दे दी है ।

छठी सूचना श्री अवधेश प्रसाद की, श्री सीता राम निषाद, श्री राम चन्दर यादव की जनपद फैजाबाद में निरन्तर बढ़ रही डकैती, लूट, हत्या व राहजनी की घटनाओं से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

सातवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में निर्माणाधीन जिलाधिकारी कार्यालय तथा चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र कराए जाने एवं जिला-सत्र न्यायालय की स्थापना किए जाने के संबंध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी में कथित रूप से अपराधियों को राजनैतिक प्रभाव के तहत गिरफ्तार न किए जाने तथा उनके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों को खत्म कराए जाने के सम्बन्ध में । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

नवीं सूचना श्री रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, डा० अशोक बाजपेई की उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के कर्मचारियों के आन्दोलनरत होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दसवीं सूचना श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री परवेज हलीम, श्री राजपाल सिंह, श्री बनारसी दास चांदना, श्री विजेन्द्र आर्य की प्रदेश में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । इसको मैं निरस्त करता हूं ।

शेष सूचनाएं शलाका के अन्तर्गत चयनित नहीं की गईं अतः श्री अकबर हुसैन 12वीं सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह, 13वीं सूचना श्री राम प्रसाद चौधरी, 14वीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, 15 वीं सूचना श्री छोटे लाल गंगवार, श्री राम तेज यादव, 16वीं सूचना श्री अफजाल अहमद, 17वीं सूचना श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम सिंह, 18वीं सूचना श्री बी०आर० वर्मा, 19वीं सूचना श्री विनोद मणि की 20वीं सूचना श्री राम सिंह सैनी की हैं यह सूचनाएं अस्वीकार की गईं ।

चर्चा जारी रहेगी । श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप अपने दल के माननीय सदस्यों को अपने आसन पर ले जाएं एवं बजट पर अपने विचार रखें ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर न जाकर वेल से नारे लगाते रहे ।)

वेल से कही गई कोई बात अंकित नहीं की जाएगी । श्री मौर्य जी कृपया अपने साथियों के साथ अपने आसन पर जाएं एवं आय-व्ययक पर अपने विचार रखें ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल से नारे लगाते रहे ।)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल में बैठे रहे और नारे लगाते रहे–व्यवधान)

मैं नियम–56 की सारी सूचनाओं पर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं । आगे की मद मैं ले चुका हूं । माननीय श्री मौर्य जी आप अपने सदस्यों को निर्देशित करें कि वह अपने आसन पर वापस जायें । पीठ को आप सहयोग करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम लोग सदन में आकर करेंगे ही क्या जब हम जन समस्याओं को आपके माध्यम से यहां पर उठाकर उनको न्याय न दिला सकें । मान्यवर, 21 दिन हो गये, आप खुद समझते होंगे कि 15 हत्याओं का अपराधी कोई हत्या करे और उसे 21 दिन तक गिरफ्तार न किया जाय तो उससे तो इस सरकार की मन्शा साफ जाहिर होती है ।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किये जाने के कमिटमेंट में क्या जाता है, यदि वाकई में यह सरकार माफिया और गुण्डा विरोधी है और उन पर नियंत्रण करना चाहती है तो । 21 दिन में गिरफ्तार नहीं कर पाये तो 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार करने का कमिटमेंट क्यों नहीं करते । सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है और जिस तरह से पहाड़ा पढ़ा रही है उसे अब हम भांप चुके हैं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी मीठी गोली देकर विरोधी पार्टी के लोगों के मुंह को शांत करते आ रहे हैं, उसे हम भांप लिये हैं, इसलिये दुबारा किसी अपराधी को हत्या करने का मौका नहीं देंगे, इसलिये इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री मौर्य जी अपने सदस्यों को जरा शांत रहने का निर्देश दें । माननीय श्री मौर्य जी को और माननीय श्री सरोज जी को मैंने इस प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री

जी का यह उत्तर आया कि चूंकि गिरफ्तार नहीं हो सके हैं तो दूसरी अल्टरनेटिव कार्यवाही होती है, 82 और 83 की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और 83 में एक न्यायिक प्रोसीजर होता है, उसमें सम्भवतः 27 तारीख पड़ी हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिसकी हत्या हुई है, उस परिवार की सुरक्षा के लिये 4 कांस्टेबिल लगा दिये गये हैं। अगर आपको अपर्याप्त लगता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। अब इस पर आपके माननीय सदस्यों द्वारा दुराग्रह करने का कोई औचित्य हमें समझ में नहीं आता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने माननीय सदस्यों को वापस बुलवायें और मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कार्यवाही में जितनी तीव्रता व्यवहारिक रूप से हो सके उसे वह करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने जानकारी दी कि वह 15 हत्यायें कर चुका है, अब यह भी परीक्षण का मामला है। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो 302 का मुकदमा एक हत्या में तो है ही, उसके लिए और भी प्राविधान हैं। कह तो रहा हूं। उसके और भी प्राविधान हैं। मैं सारी बातों का परीक्षण कर लूं और परीक्षण के उपरान्त जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही इस धारा से अलग हो सकती है वह भी की जायेगी और जानकारी आपको दे दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

परीक्षण करवाकर यह कब तक दे देंगे यह बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

हम मान्यवर, इनको दो दिन के अन्दर सूचना दे देंगे।

(सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम 300 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी और कुंवर जी ने भी दी थी। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि नियम–56 जब लेंगे उस समय आपकी सूचना 300 वाली 56 में सुन लेंगे। आप अध्यक्ष जी की पूर्व व्यवस्था के अनुसार सुन लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके आप लोग शान्त रहें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक सूचना हमारी भी है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारी एक सूचना थी जिसमें हमने टाप-टेन में जो अपराधी हैं उनसे ज्यादा हत्याओं के मुकदमे जिन पर दर्ज हैं, के बारे में प्रकाश डाला गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली मद पर आ गया हूं। माननीय बाजपेयी जी जो तथ्य मेरे संज्ञान में लाये गये वह यह है कि आपकी सूचना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि आप किसी अन्य दिन सुसंगत नियम में उसे दे दीजियेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। मैं अगली मद पर बढ़ गया हूं। कृपया मेरा सहयोग करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, हमारी भी एक सूचना थी।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि मैंने इन सारी सूचनाएं, जो नहीं सुनी गई हैं, अस्वीकृत को छोड़कर बाकी पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। मैं अगली मद पर आ गया हूं। कृपया मेरा सहयोग करें। सामान्य चर्चा में अपनी बात कह लीजियेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि हम बजट की सामान्य चर्चा पर आ गये हैं। आप उसमें अपनी बात कह लीजियेगा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित कर चुका हूं। कृपा करके मेरा सहयोग करें। मैं आपकी भावनाओं से अवगत हुआ और मुझे लगता है कि आपकी सूचनाओं का महत्व अपने स्थान पर है लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरा सुझाव स्वीकार कर लें। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एक कठिनाई और है कि एक सूचना पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, हम दो लोग बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप लोग यह बात तय कर लें कि प्रत्येक सूचना पर केवल एक माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कह लेगा।

ठीक है। श्री अवधेश प्रसाद जी।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज जो सूचना इस सदन में दे रहा हूं वह बहुत ही दुखित मन से दे रहा हूं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के श्री मिश्रीलाल पासवान जिनकी 26 वर्ष की आयु थी वह जेल भरो आंदोलन में कचहरी से वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें बदमाशों ने पकड़ लिया और उसको मार डाला। मारने के बाद उसे गांव के एक आम के पेड़ में टांग दिया। मान्यवर, वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं था बल्कि वह क्षेत्र के लोगों की समाज सेवा में भी हमेशा तत्पर रहता था। उसकी हत्या से समाजवादी पार्टी ही दुखित नहीं है बल्कि जन-सामान्य में बहुत तकलीफ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, डा० मिश्री लाल पासवान के 3 नाबालिग बच्चे हैं, जो 10, 6 और 4 वर्ष के हैं, उसकी 22 साल की विधवा तथा मां और बाप ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र इनकी हत्या से दुखी है । मान्यवर, वह बी०डी०सी० के सदस्य थे और उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी । लोगों को उनसे दुश्मनी केवल इसलिए थी कि वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन में मंत्री थे, इसलिये दुश्मनी थी । वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते थे 12 तारीख को जब मैं जेल सत्याग्रह आन्दोलन में गया था तो श्री पासवान 500 लोगों को वहां अपने साथ लाये थे । मान्यवर, आज तक 281 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी है लेकिन यह सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि डा० मिश्रीलाल पासवान के परिवार वालों को 5 लाख रुपये हर्जाने के रूप में दिया जाय और उनके कातिलों को 24 घण्टे के अन्दर पकड़ कर जेल भेजा जाय ।

मान्यवर, फैजाबाद जनपद की हालत यह है कि 19/20 तारीख की रात को शाहगंज बाजार, जो काफी पुराना बाजार है, वहां बदमाशों ने सरोज नामक छात्रा के मुंह में बन्दूक की नाल डालकर फायर किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी आयु 21 वर्ष की थी और मृत्यु के दूसरे दिन उसकी सगाई होने वाली थी । इसी तरह सरोज की बहन पूनम जो इण्टरमीडिएट की छात्रा थी उसे भी इसी तरह बन्दूक की नाल उसके मुंह में डालकर उसको भी बदमाशों ने मार दिया । इसके अलावा उसकी मां कमला को बदमाशों ने बन्दूक से मारा ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

इससे दर्दनाक और लोमहर्षक क्या घटना हो सकती है इसी तरह से मान्यवर, निषाद जी के क्षेत्र में हैदरगंज में सियाराम सर्राफ का लड़का जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और 22 साल का था उसकी हत्या कर दी गई, 16/17 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई मान्यवर, कुचैरा बाजार में अनंतराम गुप्ता के यहां.....

श्री अधिष्ठाता–

खत्म करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

फैजाबाद में दो दर्जन से अधिक हत्यायें और राहजनी की घटनायें हुई हैं । चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है मैं इस निकम्मी सरकार से पूछना चाहता हूं जो कानून के राज्य का दम भरती है जिस कानून में 21 साल की लड़की सरोज की बन्दूक मारकर हत्या की जाए उसकी छोटी बहन और मां को मार दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वह समाजवादी पार्टी के लोग थे । दो दर्जन से अधिक डकैती हुई हैं इस सरकार की तरह बिहार की सरकार राबड़ी देवी की सरकार में होने पर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार को भी एक क्षण सरकार में रहने का हक नहीं है मैं मांग करता हूं कि कल्याण सिंह की सरकार इस्तीफा दे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें । सीताराम निषाद जी के क्षेत्र से संबंधित यह मामला है तो मेरा निवेदन है इस पर उनको भी बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह गलत परम्परा है मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अंकित नहीं किया जाएगा बिना अनुमति के न बोलें।

श्री सीताराम निषाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह ठीक नहीं है। जो एक बार तय हो जाए यह सही नहीं है सदन का अनावश्यक रूप से समय नष्ट न करें।

श्री सीताराम निषाद–

[x x x]

श्री हुकुम सिंह–

एक घटना का जिक्र किया गया इस घटना के माध्यम से अनावश्यक रूप से बातें की गईं मेरा कहना है जो दूसरे राज्य के बारे में बात कही गई है वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए हम यहां संख्या के आधार पर बैठे हैं पूरे राज्य को करके दिखा रहे हैं कार्य कर रहे हैं इस सरकार ने एक साल पांच महीने के कार्यकाल में अति सराहनीय कार्य किया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह गलत बयानी है। 21 साल की लड़की के मुंह में बन्दूक की नाल लगाकर मार डाला जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अवधेश प्रसाद जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इसको अग्राह्य करता हूं। और अस्वीकार करता हूं।

(संसदीय कार्यमंत्री के भाषण से असन्तुष्ट होकर श्री अवधेश प्रसाद ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 29 सितम्बर, 1995 को लाखों लाख-लोगों के जन सैलाब के नीचे जनपद अम्बेडकर नगर की जो वर्षों से मांग थी वहां के नागरिकों की अम्बेदकर नगर नये जिले के सृजन के बारे में उसे तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने पूरा किया था। चार साल हो गये हैं। 4 जून, 97 को मुख्यालय का शिलान्यास किया गया था, तीन सौ शैय्याओं का चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया था लेकिन उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। मान्यवर, चार वर्षों के उपरान्त सत्र न्यायालय का गठन नहीं हो पाया है जिसके कारण वादकारियों को फैजाबाद जाना पड़ता है पूर्वांचल का हिस्सा है और डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण वहां पर अम्बेदकर नगर का कार्य अवरुद्ध हो गया है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जो करोड़ों रुपये का सामान एकत्र किया गया था आज वह बरबाद हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं यह चाहता हूं कि यह कार्य न रुके। यह कार्य क्यों रुका हुआ है, कैसे यह कार्य पूरा हो ? सरकार की निष्क्रियता के कारण स्टे आर्डर हो गया और इनके ए०जी० उसको वैकेट नहीं करा पाये। तो यह सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गयी है अब आप समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पूरी बात सामने आये और जिससे उस अम्बेदकर नगर का विकास संभव हो सके। इसलिये कृपा पूर्वक सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा करायें। इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह पूरे जनपद के हित की बात हैं आप इसमें चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह 300 शैय्याओं का संयुक्त जिला चिकित्सालय स्वीकृत हो गया था इसके बारे में धन अवमुक्त कर दिया गया है, शासन से स्वीकृति जारी हो चुकी है और राजकीय निर्माण निगम को कार्य भी दे दिया गया है। जहां तक अस्पताल की जमीन का प्रश्न है उसके बारे में स्थगन आदेश हो गये हैं। यह मामला उच्च न्यायालय में पड़ा है और हमारा यह प्रयास है कि इसको हम जल्दी से वैकेट कराने का प्रयास कर रहे हैं। केवल सरकार पर दोषारोपण यह करते हैं। पता नहीं इसके माध्यम से यह किस पर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं। न्यायालय पर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं या किस पर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। माननीय वर्मा जी आप कृपया बैठ जायें। अगर परस्पर सहिष्णुता नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने ग्राह्यता के चर्चा के दौरान अपनी बात कही। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे थे। हमारे अन्दर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम सुनें भी। कृपया पहले पूरा उत्तर आ जाने दें। यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हलांकि वह नियमों में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको अवसर दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अगर स्थगन आदेश न होता तो निर्माण कार्य शुरू हो गया होता। इसमें सारी कार्यवाही हो गयी है। हम विकास के कार्यों को करने के लिए कटिबद्ध हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लालजी वर्मा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मुझे-बोलने का अवसर मिला इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो 10 अपराध हमने गिनाये हैं। यह जो माफिया हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमें लगे हुए हैं, 60-60, 40-40 अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन यह सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। मान्यवर, एक उदाहरण देकर कहना चाहूंगा कि अपराध संख्या–172/98 थाना बेवर, मैनपुरी इसमें थानाध्यक्ष के ऊपर गोली चलायी गयी। वह सरकारी कार्य से वंचित किये गये। इसमें विवेचक ने चार्जशीट कर दी और केस डायरी में लिखा है कि मुल्जिम को राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है। इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसके लड़के को गनर दिया गया है, उसके भतीजे को गनर दिया गया है। एक तरफ तो विवेचक यह कहते हैं कि आरोप सिद्ध हैं। चार्जशीट लगा दी है परन्तु राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है तो यह सरकार की क्या मंशा है। अपराध संख्या 44/98 है उसमें भी थानाध्यक्ष पर गोली चल गयी। सारे लोगों की पहले चार्ज शीट लग चुकी थी। कृष्णा दास और गोपाल दास, उस चार्जशीट को बेक करके फाईनल रिपोर्ट लग गयी। वे एक दल के भाजपा के लोग हैं। उसमें एफ०आर० किया गया है। अपराध संख्या 111/98, 302/303 थाना भोगांव के अन्तर्गत मुकदमा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, एफ० आर० लगा दी गयी। उसको एस०पी० ने वापस किया, पुनः विवेचना हो रही है। इसी बीच में कोर्ट में भी एफ०आर० लगा दी गयी है। एफ० आर० कोर्ट में चली गयी। उसके पहले इन्वेस्टीगेशन के आदेश हो चुके हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमिततायें और कानून का उल्लंघन न हो। अपराध संख्या 63/98 थाना भोगांव में सरेशाम, सिपाही को पीटा गया, उसमें एफ० आई० आर० दर्ज की गई है उसमें [×××] भी जुड़े हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। एफ०आर० लगा दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य–

325 अपराध संख्या 98 मेजर रिटायर्ड हैं। उनको घूंसा मारा गया प्रत्यक्ष साक्ष्य था। भारतीय जनता पार्टी में [×××] गिरफ्तारी नहीं की गयी, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

मान्यवर, उ०प्र० में लखनऊ में एक जेलर की हत्या कर दी गयी। 549/98 में थाना कोतवाली मैनपुरी में [×××] ने (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जिला जेल में थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी, उसमें तमाम गवाह हैं। इसमें जिला पुलिस प्रशासन ने उस मुकदमें को खत्म करने का काम किया है। क्या यही कानून का राज है ? अपराध संख्या 29/99 में भी भोगांव में मुकदमा कायम है। 301, 302 का मामला है, लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के लोग हैं गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मान्यवर, इसी

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तरह के दर्जनों केस मैनपुरी में दर्ज हैं ही, समूचे प्रदेश में भी दर्ज हैं। जो अपराध कर रहे हैं वह कानून से परे हैं। मान्यवर, इस पूरे प्रकरण में चर्चा कराई जाए यह लोक महत्व का तात्कालिक प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बोलें उसके पहले, कुछ नामों का उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको अंकित न करने का निर्देश देता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बड़ी कृपा आपने की कि हमारे कहने के पहले संज्ञान ले लिया। यह कुछ फैशन सा हो गया है कि किसी का नाम ले लीजिए। मान्यवर, एक मुख्य मंत्री को कहा गया है तो बराबर वाले जिले में हैं।

एक सदस्य–

मिनी मुख्य मंत्री कहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मिनी मुख्य मंत्री हैं यह मैं नहीं जानता, पूर्व मुख्य मंत्री बराबर वाले जिले में जरूर हैं। अगर उनके साथ अपराधी घूम रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा।

मान्यवर, कई घटनाओं का उल्लेख आपने किया इसमें अपराध संख्या–44 के बारे में आपको बता दूं इसमें एक आदमी जेल भेजा गया, तीन आदमी समर्पण कर दिए, चार लोग नामजद थे, कार्यवाई पूरी हो गई। दूसरे में आपने खुद कहा विवेचना हुई, फाइनल रिपोर्ट लग गई। साक्ष्य नहीं मिल पाया था। अब यह सारी बातें आपने लिखकर बता दी कि सिपाही की पिटाई हो गई उसमें कार्यवाई नहीं हुई यह हुआ कार्यवाई नहीं हुई वह हुआ कार्यवाई नहीं हुई, कार्यवाई की एक प्रक्रिया है, इन्वेस्टीगेशन की एक प्रक्रिया है, वह अपना समय लेती है। अगर कार्यवाई न हुई होती तो जेल कैसे जाते गिरफ्तारी हो गई दबाव न होता तो समर्पण कैसे करते। मान्यवर, पुलिस वहां पर कार्यवाही कर रही है। जो कुछ आपने उल्लेख किया है उसकी भी जानकारी मेरे पास है लेकिन मैं समय नहीं लेना चाहता इसमें कार्यवाई चल रही है और जिसमें नहीं चल रही एक दो घटनाओं की जानकारी मैं कर लूंगा और उसमें कार्यवाई होगी।

श्री राम औतार शाक्य–

सी०आर०पी०सी० में यह नियम है कि 82–83 की कार्रवाई की जाती है लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई क्या यह केस डायरी में लिखा है। अगर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा। उसमें केस डायरी में लिखा हुआ है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हो सकता है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो लेकिन जब तक पुष्टि न हो तब तक कैसे कह सकता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

पुष्टि कब तक हो जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह आ जाना चाहिए कि पुष्टि कब तक हो जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें मैंने खुद ही कहा एक आरोप आपने लगा दिया, केस डायरी को बताया, यह एक गोपनीय दस्तावेज होती है यह भारतीय दंड विधान की धाराओं के अन्तर्गत तफ्तीश होने के बाद गोपनीय दस्तावेज होता है जिसके बाद चार्जशीट लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए इसका निर्णय होता है। मैं ज़ानकारी कर लूंगा कि किन लोगों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वह सेंसिटिव जिला है, आस-पास राजनीतिक लोग हैं मैंने आश्वासन दिया है कि उसकी जानकारी कर ली जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए मैं इसे निरस्त करता हूं।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पिछले साल जुलाई-अगस्त में जब विधान सभा का सत्र चल रहा था तो डाला-चुर्क सीमेन्ट कर्मचारी वहां पर हजारों की संख्या में अपनी मांग को लेकर आए थे और आप को स्मरण होगा कि उसमें एक कर्मचारी की विधान सभा के सामने मृत्यु हो गई थी। वह शहीद हो गया था। मान्यवर, उसी समय विधान सभा में यह प्रश्न उठा था और सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि उनके बकाया वेतन का भुगतान 2 किश्तों में कर देगी। सरकार ने लिखित समझौते का पालन नहीं किया और एक श्रमिक की भूख से मौत हो चुकी है। आज 10 महीने हो गये हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हजारों की संख्या में श्रमिक और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। यह सरकार वादे रोज करती है, भाजपा की खासियत यह है कि जो कहती है वह नहीं करती है और जो नहीं कहती है वह करती है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप तो बहुत निपुण हैं हर बात को घुमा देते हैं और समस्या जहां की तहां बनी रहती है। श्रमिक धरने पर पुनः बैठने आ रहे थे उनकी ट्रेनों से उतार कर पीटा गया और कहा गया कि लखनऊ जाकर धरना न दो। संविधान में शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपनी मांगों के लिये शांतिपूर्ण धरना या प्रदर्शन कर सकता है। मैं आपके संज्ञान में यह महत्वपूर्ण विषय लाकर मांग करता हूं कि तत्काल इस पर कार्यवाही नहीं की गयी तो किसी भी दिन अशांति फैल सकती है। सरकार समझौते का पालन नहीं कर रही है इसलिये मैं मांग करता हूं कि कार्य को रोककर इस गम्भीर विषय पर चर्चा करायी जाय।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उ०प्र० राज्य सीमेंट निगम के कर्मचारियों के विषय में माननीय रेवती रमण सिंह ने अपनी बात आपके सामने रखी और आपके माध्यम से सरकार के सामने रखी। मैं 2–3 चीजों के बारे में कहना चाहता हूं हमारे संविधान के जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्व हैं स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी हैं, उसमें आर्टिकिल 43 में कर्मचारियों के बारे में यह कहा है कि "राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

मान्यवर, इसी तरह से 43(क) में उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेने के बारे में कहा गया है कि–राज्य किसी उद्योग में लगे हुयें उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में कर्मचारी का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठायेगा ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जैसा कि कुंवर साहब ने ध्यान आकृष्ट किया समझौते के अन्तर्गत जुलाई में 9 महीने का वेतन दिया गया । जुलाई से लेकर 8वां महीना चल रहा है और वार्ता नहीं की गयी है और वेतन भी नहीं दिया गया है । हमारा प्रदेश विकासशील प्रदेश है । यहां पर सीमेंट की सर्वाधिक खपत है । जो प्राइवेट सेक्टर में सीमेंट के कारखाने हैं उनकी सीमेंट बिक रही है लेकिन राज्य सीमेंट निगम के जो भी 3 कारखाने थे जिनकी सीमेंट की गुणवत्ता प्राइवेट कारखानों की सीमेंट से अच्छी थी वह क्यों बन्द होने की कगार पर हैं । उसके संबंध में वार्ता क्यों नहीं की गयी है । संविधान में जो सम्मानपूर्वक जीने का मजदूर को हक प्राप्त है उसको क्यों छीना गया । 300 मजदूरों को जेल भेजा गया और ट्रेन से उतार-उतार कर पीटा गया । यह एक गम्भीर विषय है इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य को स्थगित करिये और इस पर चर्चा कराइये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसके पूर्व भी यह विषय उठाया गया है । जो समझौता हुआ था । सरकारी पक्ष से समझौते की जितनी शर्तें थी उसका पालन किया है । अब रही चलाने की बात तो यह बात स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है कि चलाना सम्भव नहीं है । इसका पहले भी उल्लेख किया गया है, इसमें कोई विरोधाभाष नहीं है । प्रदेश सरकार ने तो मानवीय आधार पर समझौता किया था और समझौते की शर्तों को पूरा किया । बार-बार उसी बात को लाकर राजनीतिक रंग देकर लाना चाहें तो मैं आग्रह करूंगा कि जो प्रकरण पहले आ चुका और उस पर कार्यवाई हो चुकी, दोबारा उसको लाने की आवश्यकता नहीं हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि पिछली तनख्वाह दे दिया गया । 10 महीने का तनख्वाह आज की तारीख में बाकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

जब तक का समझौता हुआ था तब तक का दिया गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब तक कर्मचारी निकाले न जाये उनकी तनख्वाह तो देनी पड़ेगी । अभी मामला लम्बित है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय रेवती रमण सिंह जी, आप यह भी देखें कि वह एक कम्पनी के कर्मचारी हैं । प्रदेश सरकार का कुछ न कुछ शेयर जरूर है लेकिन वह प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं हैं । मैंने स्पष्ट किया था कि केवल मानवता के आधार पर पैसा देने की बात थी, न वह सरकारी कर्मचारी हैं न इनको माना जा सकता है । आप इनका बोझ सरकारी कोष पर डालना चाहते हैं तो फिर विकास कहां से होगा ? मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप तो मान्यवर, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं । क्या वह सरकारी उपक्रम नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, सरकारी उपक्रम नहीं है, सरकार के कारपोरेशन के तहत कम्पनी खुली थी, एक समझौता हुआ था उसके अनुसार पिछला तनख्वाह दे दिया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पिछली 10 महीने का तनख्वाह दे दिया लेकिन इधर का 10 महीने का तनख्वाह नहीं देंगे यह माननीय मंत्री जी की बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप तनख्वाह नहीं दोगे तो कर्मचारी फिर यहां आयेगा, दो चार कर्मचारी शहीद होंगे तब फिर मानवीय दृष्टिकोण से दिया जायेगा। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि बी०आई०एफ०आर० में मामला चल रहा है जब तक फैसला आये उससे पूर्व सरकार जीवन यापन के लिए बकाया वेतन चाहे किश्तों में दे लेकिन उसका भुगतान करे नहीं तो कर्मचारियों की जीविका कहां से चलेगी, भोजन-पानी कहां से चलेगा क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ? यह सरकारी उपक्रम नहीं है, संसदीय कार्यमंत्री जी ऐसी बात कह देते हैं जिसका न कोई सिर है न पैर है। इसका कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

(संसदीय कार्यमंत्री जी के न खड़े होने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात्, इस सूचना को अग्राह्य पाते हुये इसे निरस्त करता हूं, 10वीं सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है। कृपया अपनी बात रखें।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का अवसर दिया। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है और प्रदेश के लाखों शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ी हुई समस्या है। आप जानते है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या एक बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत है। इस सरकार की व्यवस्था के चलते उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर जो भी बच्चे कालेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं वहां पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की कमी के कारण और उसके बाद सरकार के द्वारा व्यवसाय लगाने के लिए प्रोत्साहन की कमी के कारण अधिकांश विद्यार्थियों में आम धारणा होती है कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाये। आज जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वह प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के जरिये मिल रही हैं। आज छात्रों को एक-दो जगह नहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए कई जगह आवेदन करने पड़ते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें तथा यह दर्शायें कि अविलम्बनीयता क्या है ?

श्री समर पाल सिंह–

इसमें अविलम्बनीयता यह है कि अनेक गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के विद्यार्थी पैसे के अभाव में इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित हो रहे हैं इस कारण पिछले दो माह में 5 विद्यार्थियों ने आत्म-हत्या की है। ऐसे तमाम गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीनें, जेवरात बेच देते हैं। जेवर गिरवी रख देते हैं जब वह पढ़-लिखकर बड़ा होता है तो कहा जाता

है कि नौकरी के लिए परीक्षा फार्म भरो । उसके लिए परीक्षा शुल्क की आवश्यकता है । गरीब उसके लिए सक्षम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

दूसरी बात यह है कि यह परीक्षाएं देने के लिए परीक्षार्थी को दूर-दूर जाना पड़ता है कभी उत्तरांचल से देहरादून, मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद, लखनऊ आना पड़ता है उसके लिए किराया अत्यधिक खर्च हो रहा है इसके लिए यह मांग चल रही है पूरे प्रदेश के छात्रसंघों की ओर से मांग चल रही है कि परीक्षार्थी को कहीं भी परीक्षा देने के लिए आने जाने में निःशुल्क व्यवस्था की जाए । दूसरी मांग जिसके लिए छात्र आन्दोलन कर रहे हैं कि कहीं भी सरकार प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करे उसके लिए परीक्षा शुल्क न लिया जाए । जो विषय छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाते हैं जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है कि वह इस योग्य हैं और सरकार उसे इस योग्य नहीं मानती है तो परीक्षा शुल्क जो ले रही है उसको समाप्त करे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । निःशुल्क परीक्षा देने एवं आने-जाने की निःशुल्क व्यवस्था करने की मांग वाजिब है । ऐसा नहीं है कि सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था नहीं की है । एम०पी०, एम०एल०ए०, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को एल०टी०सी० की निःशुल्क व्यवस्था की गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

इसलिए मेरी मांग इस सरकार से है कि इस देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क परीक्षा की व्यवस्था एवं परीक्षा केन्द्रों तक आने-जाने की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करें । जिससे छात्र कुंठित न हो । और कोई भी गरीब एवं मध्यम वर्ग का छात्र आत्महत्या न करे । इसलिए मेरी मांग है कि समस्त कार्य स्थगित करके इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री कौकब हमीद–

इस प्रदेश की 17 करोड़ जनसंख्या में 7–8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं । यह सरकार जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं करवाती रहती है उसके अन्तर्गत नौकरी में दाखिल होने के लिए फार्म भरना पड़ता है उसके लिए 200–250 रुपये फीस देनी पड़ती है और परीक्षा केन्द्रों तक दूर-दूर से मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जगहों से लखनऊ, इलाहाबाद आना पड़ता है । यहां रहने का खर्चा है और वह लोग इतना दे नहीं पाते हैं । माननीय, आप गौर करें कि जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उनके मां-बाप उनको कैसे पढ़ा रहे होंगे, वे लोग इतना खर्चा व्यय करने के काबिल नहीं हैं, यह सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं । जो बच्चे पढ़ कर आयेंगे और नौकरियां चाहते हैं, वह इस प्रदेश की धरोहर हैं परन्तु आज उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि पैसा न होने के कारण वे आत्महत्यायें कर बैठ रहे हैं । जो भी प्रतियोगितात्मक और इस प्रकार की जो भी परीक्षा सरकार करवाती है तो उसके बारे में वह बाकायदा सोचे । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब हमीं लोगों के बच्चे हैं, जिनसे हम वोट लेकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आते हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिये सारे नियमों को शिथिल करके आप इस पर चर्चा करवा दें। उनकी फीस को कम करने तथा किराये को कम करने के बारे में यह सरकार बाकायदा सोचे। जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को सरकार एल०टी०सी० आदि देकर भेजती है, उसी प्रकार इन परीक्षार्थियों को भी आने-जाने की व्यवस्था करे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विषय को अतिरंजित करके उठाया गया है। मेरे पूरा प्रयास करने के बावजूद भी मैं यह निष्कर्ष निकाल पाने में असफल रहा कि आखिर माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में कहना चाहते हैं, परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठाने के बारे में कहना चाहते हैं, परीक्षाओं की फीस तक ही सीमित बात है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक बस में जाना पड़ता है, उसके किराये को लेकर बात है। यह मैं नहीं समझ पाया।

मान्यवर, दोनों विषय अलग-अलग हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है यह बड़ा विस्तृत विषय है। न जाने कितनी नीतियां बनी, आगे भी बनायी जायेंगी और प्रयासरत भी हैं। बजट भाषण में भी यह आया है कि कितनों को रोजगार मिलेगा, वह भी आपके सामने है। अपने सीमित संसाधनों के होते हुए भी लाखों व्यक्तियों को रोजगार इस सरकार ने दिया है। अब जिस आवरण में आपने बात कही है, परीक्षाओं की फीस की। कोई बच्चा विश्वविद्यालय से एम०ए०, एल०एल०बी० या अन्य कोई डिग्री प्राप्त करने के लिये गया परन्तु परीक्षा फीस देने में असमर्थ रहने के कारण वह परीक्षा में बैठ नहीं सका। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती है। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। आप तो समझा ही लेंगे लेकिन समझाने से पहले खुद भी तो समझना पड़ेगा।

मान्यवर, दो बातें यहां पर आयीं। परीक्षाओं के लिये जो फीस निर्धारित है यह तो केवल प्रतीकात्मक है। यदि आप आंकड़े देखें और लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेने में कितना व्यय किया है और परीक्षार्थी से कितना लिया है, उसका कहीं कोई तालमेल नहीं है। कुल मिलाकर 1998–99 में 1 करोड़ 89 लाख रुपए प्रदेश की सारी परीक्षाओं में लिया गया है, जिसमें अनगिनत परीक्षायें हैं और जो खर्चा हुआ है, केवल कार्यालय पर जो कन्टीजेन्सी से दिया गया है वह 2 करोड़ 89 लाख रुपए हैं। कोई ताल-मेल है ही नहीं। यह सम्भव नहीं है कि आप इन्टरव्यू देने जायें तो सारा किराया माफ कर दिया जाय।

मान्यवर, शासन और प्रशासन एक व्यवस्था के तहत चलता है। यदि हम व्यवस्था को ही अव्यवस्थित कर देंगे और सभी लोगों का किराया माफ कर देंगे तो कैसे चलेगा। अब आपने उनकी तुलना एम०पी० और एम०एल०ए० से कर दी। वह तुलना नहीं होती। आप अपने दायित्व को निभाने के लिये यहां आते हैं। परीक्षा देने के लिये नहीं आते। बी० ए०, एम० ए० होने के नाते यहां नहीं आते हैं। आपको पब्लिक ने चुनकर भेजा है आप अपना दायित्व निभाने के लिये यहां आते हैं।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया। हमारा आशय इस बात से है कि जो विद्यार्थी नौकरी के लिये कम्पटीशन, एग्जाम में बैठता है उसे 50–60 बार एग्जाम में बैठना पड़ता है कई कई सौ रुपये फीस के रूप में सरकार वसूल रही है। जिसे सरकार एक लाभकारी योजना के रूप में ले रही है। यह सरकार अपने को कल्याणकारी और सम्वेदनशील कहती है। हर हाथ को काम, हर चेहरे को मुस्कान देने की बात करती है। जो गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थी हैं वह कहां से पचासों बार बैंक-ड्राफ्ट के लिये पैसा लायें। मेरठ से इलाहाबाद जाने के लिये कहां से पैसा लायें। मान्यवर, आज बेतहाशा शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं जिनके पास पैसे का अभाव है। यह सरकार उनको

निःशुल्क यात्रा सुविधा नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों को घूमने के लिये, तफरीह करने के लिये देशाटन करने के लिये सुविधा देती है। यह सरकार जन विरोधी है इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कौकब हमीद व उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

श्री कौकब हमीद और श्री समर पाल सिंह व संसदीय कार्य-मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए अस्वीकृत करता हूं, बाकी सूचनाओं के सम्बन्ध में मैं सदन को सूचित कर चुका हूं। अब मैं मद संख्या 10 पर आता हूं।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्यय पर साधारण चर्चा †

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, 1999-2000 के बजट अनुमान पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है उसके विरोध में स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी बात कही है उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जैसा कि बजट भाषण के दिन ही हमने कहा था कि यह बजट झूठ का पुलिन्दा है और साथ ही साथ यह ढपोरशंखी घोषणा है। वाकई में वह अक्षरशः सही निकला। मान्यवर, जो भी वह स्वयं कथन करते हैं उसका भी परिपालन करते तो इस प्रदेश में खुशहाली होती, तरक्की होती, अच्छे कार्य होते। लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। पहले ही पेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सामाजिक विखराव और टकराव को दूर करते हुए अपराधियों को भयग्रस्त किया।

मान्यवर, जबसे बी० जे० पी० की सरकार आई है आज पूरे प्रदेश में टकराव और बिखराव की स्थिति इतनी बढ़ी है कि जगह-जगह पर अल्पसंख्यक भयभीत हैं। दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। आगजनी की जा रही है। सामूहिक रूप से उसके घर उजाड़े जा रहे हैं। अपराधी पूरे प्रदेश में भयमुक्त होकर के रिकार्ड तोड़ अपराध करने में कामयाबी पा रहे हैं और यह पूरा प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था भयमुक्त समाज बनाने का ठीक उसके उल्टा हुआ।

आज पूरा प्रदेश भयग्रस्त हो गया है। गुण्डा और माफिया भयमुक्त हो गये हैं। पूरा प्रदेश भयग्रस्त और भयाक्रान्त हो गया है। आज प्रदेश में देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा कानून को मजाक बनाया गया है वह इस सरकार ने बनाया है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कोहराम मचा हुआ है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मान्यवर, न्याय की बात तो जाने दीजिये उनके दुःख तकलीफ सुनने के लिये भी उनका कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहता है।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में चार मुख्य चीजों का बोलबाला है और उसी की परिधि में यह सरकार चल रही है। इस प्रकार के चार स्तम्भ हैं, पहला स्तम्भ भ्रष्टाचारी का, दूसरा स्तम्भ लस्ट और तीसरा मस्त तथा चौथा स्तम्भ त्रस्त का है। मान्यवर, [x x x]

नोटः–† दिनांक 22-2-99 से आय-व्यय पर चर्चा आरम्भ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, इस सरकार का भय मुक्त समाज का नारा है। बजट भाषण की पुस्तिका के पृष्ठ तीन में मुख्यमंत्री जी ने कहा है समय-समय पर तत्कालीन सरकारों ने न केवल तदर्थ आधार पर निर्णय लिये वरन् किसी एक सरकार के बदलने के साथ ही निर्णय भी बदल दिये गये। परिणाम स्वरूप विकास कार्यों में निरन्तरता का अभाव रहा और विकास को सही दिशा और अपेक्षित गति नहीं मिल सकी। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी को अभास है कि पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णय बदलने से विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, यह उनके संज्ञान में है। लेकिन पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा इस प्रदेश के विकास के कार्यों को अनदेखी करते हुए निर्णयों को बदलने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता यदि उन्हें इस बात का संज्ञान था तो उन्हें यह जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जिससे प्रदेश को आज आर्थिक संकट से गुजरना पड़े।

मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती बहन जी द्वारा उनके शासन काल में जो निर्णय लिये गये थे उन्हें बदलना इस सरकार ने अपनी शान समझा जबकि पूर्ववर्ती सरकार में भारतीय जनतापार्टी भी साझेदार थी। मान्यवर, यही कारण है पहले तो शुरुवात किया सामाजिक व्यवस्था के महानायक श्री शाहूजी महाराज के नाम पर छत्रपति शाहूजी नगर बनाया और बाद में इस सरकार ने उसका नाम परिवर्तन करके चित्रकूट कर दिया। मान्यवर, सामाजिक व्यवस्था बदलने के अन्तर्गत ही महापुरुषों के नाम पर गौतमबुद्ध नगर, महामाया नगर बनाया था लेकिन इस सरकार ने उसका नाम हाथरस कर दिया। मान्यवर, यही नहीं, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बहन जी की सरकार में भारती जनता पार्टी साझेदार थी और उन्होंने जब महापुरुषों के नाम पर संत कबीर जिला, गौतमबुद्ध नगर, कुशीनगर, कौशम्बी, श्रावस्ती ज्योतिबाफूले, संत रविदास नगर आदि जिले बनाये गये थे। ज्योतिबा फूले नगर जिला बनाया गया तो सरकार आज उन जिलों को स्थापित करने के लिए प्रयास करती उनके लिए व्यवस्था करती तो उसकी तारीफ होती लेकिन यह सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है मान्यवर, बहन सुश्री मायावती के शासनकाल में अच्छे कार्य जो हुए उनको बदलने के लिए निर्णय लिए गए गांव की एक कहावत है—आन का चिरैया सगुन बतलावै अपना कुकुरन से चियवायै। माननीय मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों को बदलने में अपना समय नष्ट किया है जबकि उससे प्रदेश की तरक्की होती।

मान्यवर, आज एक वर्ष चार महीने के लगभग इस सरकार को हो गए लेकिन इस सरकार द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य लोगों को नजर नहीं आ रहा है। बड़े पैमाने पर अपराध हुए हैं गुण्डई बढ़ी है दलित उत्पीड़न बढ़ा है राहजनी बढ़ी है पूरे प्रदेश में सारी की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मंहगाई की मार से, एक नहीं अनेक मार एक के बाद एक चलती रही आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है यह सरकार अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा पाई है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कानून व्यवस्था के राज्य की दुहाई देते हैं गुण्डे और माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात कहते हैं इसलिए मैं और बजट पर चर्चा करने से पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाहूंगा।

मान्यवर, यह सरकार फौरी नीति निर्धारण कर रही है और कहती है कि हम हर प्रकार की नीतियों को स्पष्ट करेंगे और नीति को स्पष्ट करके ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस परिप्रेक्ष्य में इस सरकार ने तमाम नीतियों की घोषणा कर दी और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं चाहे वह उद्योग नीति हो चाहे वन नीति की घोषणा की हो घोषणा करना ही नीतियों का मतलब नहीं होता है नीति निर्धारण करने वालों की नीयत साफ होनी चाहिए नीयत दुरुस्त होनी चाहिए नीयत में खोट नहीं होना चाहिए तब तो आपका नीति निर्धारण का मतलब होगा बदनीयत व्यक्ति नीति निर्धारण को अमली जामा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं इस सरकार की गलत नीतियों, क्योंकि इनकी नीति कोई नीति नहीं है वह उपहास और मखौल का सबब बनकर रह गई है। मान्यवर, यह सरकार प्रदेश में झूठी वाहवाही लूटने

की फिराक में रहती है और कहती है कि इस बजट का 70 फीसदी भाग हमने गांवों की दिया गांवों को दिया तो कौन नया तीर चला दिया । यह तो हमने बहन सुश्री मायावती के शासनकाल में कर दिया, 1997 में ही कर दिया था । यद्यपि आप भी साझीदार थे । 97 में जब कर दिया तो आपने नया क्या कर दिया जो सीना ठोक करके कहते हैं कि 70 प्रतिशत कर दिया । यह तो हमने कर दिया था । मान्यवर, यह खाना पूर्ति करते हैं । इसी तरीके से और भी झूठी वाहवाही लूटते हैं । आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि मेरे ऊपर वित्तीय भार पड़ गया और वित्तीय भार में यह भी कहा कि पहली बार पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के नाते, जबकि पहली बार 97 में बहन मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यह प्रस्तुत किया था, इससे हमारे प्रदेश को 28 सौ करोड़ रुपये पंचम वेतन आयोग के कार्यान्वयन हेतु दिया था तो आपने कहा कि पहली बार हुआ है जबकि वह सुश्री मायावती जी के जमाने में बजट के समय हुआ था वह 28 सौ करोड़ में से 5 सौ करोड़ क्रियान्वित हुआ था और फिर सरकार बदल गयी थी तो शेष 23 सौ करोड़ का जिक्र नहीं किया है । धरती पर रहते हो, चलते हो, देखते हो सुनते हो तो धरती पर रहकर बात करनी चाहिए । आकाश में उड़ने से काम नहीं चलेगा । जो भी आप कहते हैं उसको करें । अगर यह करते तो हम आपकी तारीफ करते ।

लेकिन एक भी काम आपने ऐसा नहीं किया है जिसकी तारीफ की जाय । सरकार कब तक चलेगी । यह सरकार मजबूरी में चल रही है, खरीद फरोख्त पर यह सरकार चल रही है इसलिए इस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं दिखायी दे रही है । अगर इसके विधायक जनता से चुनकर आते तो उत्तर प्रदेश के प्रति, जनता के प्रति इसकी जवाबदेही होती । इनका काम तो केवल यह है कि इस प्रदेश में [x x x] को कैसे खुश रखा जाय ? पूंजीपतियों को कैसे खुश रखा जाय, काला बाजारियों को कैसे खुश रखा जाय ? यहां की जनता के प्रति इनकी सोच नहीं है, नीति नहीं है । इनकी सारी नीति और सोच तो यहां के [x x x] में लगी हुई है । उनको कैसे हम प्रश्रय दें इसमें लगी हुई है । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इनके मंत्रिमंडल में यह लोग हैं, यह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कहती है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भले ही खरीद फरोख्त पर यह सरकार बनी हो, यदि यह जनता के बीच से जीतकर आते तो जो वहां की जनता ने जिताया है, इसलिए उस जनता के प्रति जवाबदेही के लिए भी तैयार रहना चाहिए ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

आप उससे दूर भाग रहे हैं । जो बढ़ते हुए अपराध हैं वह आजादी से लेकर अब तक के रिकार्ड तोड़ अपराध हुए हैं । मान्यवर, यह सरकार बड़ी दुहाई देती है गांव-गरीब-किसान-दलित की मजदूरों की, मान्यवर, पिछले बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उनकी बेहतरी और विकास के लिए कुल बजट का 22 फीसदी बजट के समय ही निर्धारित कर दिया जाता था । लेकिन इस सरकार ने उसे बजट से निकालने का काम किया है । हम लोगों ने इस सदन के माध्यम से जोर दिया तो इसमें स्पेशल कम्पोनेंट प्लान लागू करने के लिये मान लिया गया ।

लेकिन इस वित्तीय वर्ष का मार्च आने वाला है 22 फीसदी बजट को भी यह उसमें अभी तक लागू नहीं कर सकते हैं उसकी रूपरेखा तय नहीं कर सकी । समाज कल्याण कहता है कि नियोजन में है नियोजन में कहते समाज कल्याण में मामला पड़ा हुआ है । अब अगर यह हो भी गया तो अपने-घपले में मनमाने तरीके से उसे परिवर्तित करके किसी अन्य मद में ले जायेंगे यह इनकी नियत को जाहिर करता है । मान्यवर, इसी तरीके से जब किसान को पानी और खाद की जरुरत होती है उस समय इनका सब गोल हो जाता है मौके पर सारी खाद डीएपी गायब हो जायेगी लेकिन वहीं दूसरी ओर दूगना-तीन गुना

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ज्यादा दाम लेकर वह मिल भी जायेगी । और बाजार में तब आयेगी जब बुवाई का समय निकल जायेगा ।

मान्यवर, यह कहते हैं कि सरकार की चमक दमक और मुख्यमंत्री जी की जो हनक है उसकी दुहाई देते हैं उसका नमूना मैं पेश करूंगा । मुख्य मंत्री बनने के 6 माह के अन्दर ही बैंक डकैती का सिलसिला जारी रहता है । हरदोई में एक लाख की डकैती पड़ती है बाराबंकी में 3 लाख की, सीतापुर में 1.50 लाख की, रामपुर में सरकारी बैंक में डकैती पड़ती है , सुल्तानपुर में 40.50 लाख की पड़ती है, प्रतापगढ़ में 3.13 लाख की पड़ती है । राजधानी लखनऊ में कालविन ताल्लुकेदार कालेज में सेंट्रल बैंक में 10 लाख की पड़ती है, पंजाब नेशनल बैंक कृष्णनगर लखनऊ में 41 लाख 10 हजार 4 सौ 90 रुपये की पड़ती है । बहुत लम्बी सूची है । 2 करोड़ 66 लाख की बैंक डकैतियां पड़ती है यह है सरकार की चमक और दमक और कानून के राज का नमूना । मान्यवर, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में [xxx] के सफाये के नाम पर [xxx] को खुली छूट दे दी कि लूट करो अपहरण करो आओ ।

लेकिन मान्यवर, फर्जी मुठभेड़ के नाम पर इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा रखा है मात्र 10 महीने के अन्दर में 55 फर्जी मुठभेड़ के नाम पर इन्होंने निरीह लोगों को मार गिराया जिनके ऊपर एक भी एफ० आई० आर० नहीं थी । मैं इसी परिप्रेक्ष्य में याद दिलाना चाहता हूं कि 8 अगस्त, 1998 को बांदा थाना इटावा में रामकेशी की हत्या पुलिस ने कर दी पहले कहा कि कुसुमा नाइन को मार गिराया फिर कहा कुख्यात दस्यु लवली पाण्डेय को मार गिराया और कहा गलती से रामकेशी को मार दिया ।

इसी तरह से 1-8-98 को दहरावां रायबरेली में श्री प्रकाश के नाम पर संजय अग्रवाल को मार गिराया, 17-10-98 को भदोही पुलिस ने धनंजय सिंह के नाम पर पन्नालाल यादव तथा दो अन्य लोगों को मार गिराया बाद में पता चला कि धनंजय जिन्दा है वह कोर्ट में हाजिर होता है, 25-10-98 को कलन्दरगढ़ी गांव में खुर्जा पुलिस (बुलन्दशहर) में तीन निरीह लोगों को मार दिया बाद में पुलिस ने कहा कि यह गलती से हो गया वह फल विक्रेता थे । 31-1-98 को गाजियाबाद पुलिस द्वारा धान दन गांव में राजपाल (तांगा चालक) को मार दिया गया ।

दिनांक 12-2-98 को हल्द्वानी जेल से लखनऊ मेडिकल में सत्यपाल ने दम तोड़ दिया । इन्होंने पुलिस को इतना मजबूत कर दिया कि कानून का राज ला सके और इस कानून का राज लाने में उसने क्या किया कि फर्जी मुठभेड़ के माध्यम से निरीह लोगों को मारना और और खुद अपने आप 2-3 दिन बाद यह कहना कि गलती से हो गया । इसी परिपेक्ष्य में बताना चाहता कि फतेहगढ़ कोतवाली में मूलचन्द ने दम तोड़ दिया 12-2-98 को और 11-2-98 को लालगंज, रायबरेली में राजेन्द्र को मार दिया, हरदोई में जगदीश वर्मा की हत्या कर दी पुलिस ने और 6-3-98 को दहानपुरवा सीतापुर में केवल राम दलित को मारा, 13-4-98 को कानपुर में संतोष त्रिपाठी को मार दिया, 16-4-98 को सुभाषनगर थाना बरेली में मजदूर मुकेश को मार गिराया, 17-4-98 को एटा के जैथरा थाने की पुलिस ने शेरे सिंह को मार दिया, 10-6-98 को बख्शी का तालाब लखनऊ में अर्जुन बघेलिया को मार गिराया उस पर एक भी एफ० आई० आर० छोटी सी भी नहीं थी और बाद में कह दिया कि यह गलती से हो गया, 14-6-98 को वाराणसी में बड़ागांव फूलपुर में इनकाउन्टर कर दिया ।

23-6-98 को माड़ियाव, लखनऊ में बाबू पासी को मार गिराया, 29-6-98 को गौबस्ता कानपुर में उस्मान को मार गिराया, 28-8-98 को हापुड़ गाजियाबाद में सुनील को मार दिया फर्जी मुठभेड़ में और

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

इसी दिन कृष्णा नगर थाना लखनऊ में मुकेश दम तोड़ता है, 9-7-98 को बाराबंकी कोतवाली में इशरत की हत्या की जाती है जो ससुराल में आया था, 10-7-98 को हापुड़ गाजियाबाद में आनन्द को मार गिराया, 1-8-98 को मानिकपुर एवं धारकुण्डी थाना पर चित्रकूट में रविशंकर पाल, लाल फकीर और राम नारायन आरय यह तीन लोग थे, उनको मार गिराया ये ब०स०पा० के कार्यकर्ता थे। 5-8-98 को मदोयर रायबरेली में राजेन्द्र कुमार सोनकर को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मार गिराया। यह मैंने नमूना दिया है इनके चुस्त और दुरुस्त प्रशासन का। पहले बैंक डकैतियां हुयीं, उसके बाद फर्जी मुठभेड़ें हुयीं और उन मुठभेड़ों में तमाम लोग मारे गये। मान्यवर, फिरौतियों का तो यह आलम रहा है कि 4-5 महीनों में लखनऊ के इर्द गिर्द इलाके से 10 करोड़ रुपया फिरौती के रूप में वसूला गया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, मैंने कुछ नमूने दिये हैं। आज पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है और यह सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था का राज्य है। कुछ लोग जिन्हें लोकलाज होती है वह शर्म करते हैं लेकिन यह सरकार इतनी बेशर्म हो गयी है कि नित्यप्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार की पकड़ में कुछ भी नहीं रह गया है लेकिन यह सरकार कहती है कि सरकार खूब चलेगी। जबसे भाजपा सरकार आयी है अपराधों पर नियंत्रण नहीं रह गया है। आपके डी० जी० पी० की जो रिपोर्ट है उसमें समीक्षात्मक आंकड़े दिये गये हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं।

मान्यवर, 1996-97 और 98 के आंकड़े मैं दे रहा हूं। 1996 में जब राष्ट्रपति शासन था तो डकैतियां 561 हुयीं। 1997 में जब आपकी हमारी साझेदारी थी और बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो 410 हो गयीं और जब आप कल्याण सिंह जी आये तो 558 हो गयीं। इसी तरह से 1996 में लूट की 2620 घटनायें हुयीं। 1997 में 2017 हुयीं और जब आप आये तो 2846 हो गयीं। इसी तरह से 1996 में 5274 हत्यायें हुयीं थीं और जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो सन् 1997 में 0 हो गयीं और जब आप आये तो 5145 हो गयीं। बेंगे 1996 में 4036 हुये बहन जी कार्यकाल में। 1997 में 2749 रह गये और जब आप आये तो 4467 हो गये। इसी तरह 1996 में गृह भेदन की घटनायें 9947 हुयीं। 1997 में 4500 हुयीं और आप आये तो यह बढ़कर 6272 हो गये। इसी प्रकार से फिरौती हेतु अपहरण जब सुश्री मायावती बहन मुख्य मंत्री थीं तो क्रम आपके समय में तो यह चरम सीमा पर पहुंच गये। इसको कहने से आप तो नहीं शरमायेंगे लेकिन और लोगों का चेहरा शर्म से झुक जायेगा। आज इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रह गयी है। आप कहते हैं "नारी का सम्मान" यस्य नारियस्त पन्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। इनका कार्य यह है कि जिनको इज्जत देनी चाहिय उनके साथ छेड़खानी करते हैं, बलात्कार करते हैं। कब किस चौराहे पर मां, बहन की इज्जत आबरू लुट जाए इसका ठिकाना नहीं है। मैं कुछ और नमूने पेश करूंगा। मान्यवर, दहेज हत्यायें 1996 में 1289 हुयीं। 1997 में बहन जी के संबंध में 1060 हुयीं और जब आप आये तो बढ़ाकर 1390 हो गयीं। दुराचार की घटनायें 1996 में 1020 थीं 1997 में 777 थी और जब आप आये तो 863 हो गयीं। इसी तरह से शील भंग की घटनायें राष्ट्रपति के जमाने में 1418थीं और उसके बाद 1997 में 1112 हो गयीं। जो सुश्री बहन मायावती का कार्यकाल था। और जब भाजपा की सरकार आती है तो उसमें 1313 हुये। अपहरण 1996 में 1495, बहिन मायावती के कार्यकाल में 1200 और जब कल्याण सिंह की सरकार आती है तो 1800 हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्या जी, अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप कह देंगे तो बहुजन समाज पार्टी के कुछ सदस्यों का समय ले लूंगा लेकिन मैं अपनी बात रख दूं। हम उनके इस ढंग को बता रहे हैं जो अनायास शेखी बघारते हैं, छाती पीटते हैं और

वाहवाही लूट रहे हैं । मैं इसका नमूना दिखा रहा हूं । महिला उत्पीड़न 1996 में 2292 तथा बहिन मायावती जी आयी तब 1123 हुआ और कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो यह 2771 हो गया यह है थोड़ा सा नमूना । यह जो आंकड़े हमने बताये यह पूरे प्रदेश का है । अब आप अलीगढ़ का नूमना देख लें । 1996 में डकैती 46, 97 में 26 और श्री कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में 35, लूट 1996 में 145, जब बहिन जी आती हैं तो 104 और कल्याण सिंह जी के समय में 185 हो जाता है ।

मान्यवर, रोड होल्ड अप 96 में 5, बहिन जी के कार्यकाल में कुछ नहीं और कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में एक । हत्या 1996 में 202, बहिन मायावती जी के समय में 198, कल्याण सिंह जी के समय में 231 हो जाता है । दहेज हत्या 1996 में 52, 1997 में 30 और कल्याण सिंह जी के समय में 51, हिंसा 1996 में 204, बहिन जी के कार्यकाल में 157 और 331 कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में । अपहरण 1996 में 65 और कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में 100 हो जाता है । मान्यवर, यह केवल अलीगढ़ के आंकड़े हैं जहां के मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं । जब यह अपने ही जिले में अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाये तो पूरे प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण कर लेंगे इसका प्रश्न ही नहीं उठता । इसी तरीके से जो अपराध का ग्राफ है, वह यह बता रहा है कि इस सरकार में कानून राज क्या है ।

मान्यवर, इसी तरीके से और भी चीजें हैं । केवल शब्दों के भ्रमजाल से, जैसे मदारी डमरू बजाकर लोगों को नाटक दिखाता है, बन्दर और बंदरिया का नाच दिखाता है वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझकर अपने फर्जी नारों से, फर्जी आंकड़ों से इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं । यह जो आंकड़े प्रस्तुत किये यह 1 जून, 1998 तक के आंकड़े थे । सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में जो कानून का राज था उसकी बराबरी करने की बात तो जाने दीजिये आप उसका पीछा भी नहीं कर पा रहे हैं । 1997 में भी हमारा केवल 6 महीने का कार्यकाल था, 1997 में भी भारतीय जनता पार्टी आ गयी इसमें उसके बढ़े हुये अपराध का ग्राफ भी जुड़ा हुआ है अन्यथा हमारा ग्राफ इतना कम था कि देश की आजादी के बाद अब तक का सबसे अच्छा रिकार्ड होता । जब अपराध पर नियंत्रण पाया गया । मान्यवर, आज यह सरकार किसी भी बिन्दु पर स्थिर होती । तो अच्छा होता । हम भी तारीफ करते । मान लीजिए हम तारीफ न करते तो उत्तर प्रदेश की जनता आपकी तारीफ करती । लेकिन आपने इस लायक नहीं रखा कि कोई भी तारीफ करे । सरकार आज बदले की भावना से काम कर रही है । बहन मायावती जी के कार्यकाल में जितने भी जनहित में काम किए गए थे बदले की भावना से उन सबको उलट पुलट कर रख दिया गया है ।

सन् 1999-2000 का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है 40,754 करोड़ रुपए का इसमें 773 करोड़ का घाटा दिखाया है । इसके पहले इसी सरकार द्वारा जो पहले बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें 34,611 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था लेकिन पुनरीक्षित मांग 19 प्रतिशत बढ़ गई और 40,122 करोड़ रुपए हो गए थे । आज जो वर्तमान घाटा है इनकी सरकार ने जो 1998-99 में जो घाटा दिखाया था उसका दो गुना हो गया है । इन्होंने अपने पूरे बजट भाषण में उत्पादन का आधार को बढ़ाने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है । उत्पादन के आधार को मजबूत कैसे किया जाए इस परिप्रेक्ष्य में इस सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है । ठोस नीति के अभाव में सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में आज हर तरफ विफलताएं नजर आएंगी । मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने मंत्रियों को निर्देश दिया कि आधी तनख्वाह लेंगे क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नया शिगूफा छोड़ा है । 1998-99 में प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज था आज 58,000 करोड़ रुपया प्रदेश का कर्ज हो गया है । इसके पहले कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं था श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पूरा उत्तर प्रदेश आज कर्ज के भार से दब गया है। आज 5,800 करोड़ रुपया उस कर्जे के ब्याज पर जा रहा है। यह सरकार की खस्ता हालत का नमूना है। यह सरकार उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए बड़ी वाहवाही लूटती है कहती है पूंजी निवेश हो रहा है। 1997 में 73,000 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश हुआ था इस सरकार में 61,597 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ....

16.2 परसेन्ट की गिरावट आयी। यह है इनका पूंजी-निवेश, जिसकी यह बहुत शान बघारते हैं। पूंजी निवेश को बढ़ाकर हम उद्योग बढ़ायेंगे। मान्यवर, और मंत्री बात करते तो अच्छा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बात कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं एकाग्र चित्त से पूरा समन्वय करके सब बात सुन रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बात करते हुए भी सुन लेते हैं अब।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर सरकार ने बजट में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, गन्ना, गेहूं, आलू, साग-सब्जी पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की बात कही होती तब तो प्रदेश के विकास की बात कही होती तब तो प्रदेश के विकास की बात कही जा सकती थी। मान्यवर, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 85 प्रतिशत लोग किसान हैं। किसानों की उपेक्षा करके, उनकी उपज की उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने की बात बेइमानी होगी। बिना कृषि पर आधारित उद्योग के यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकती है। अच्छा होता है बजट में हथकरघा, ग्रामीण लघु उद्योगों को लगाने की बात इस बजट में कही होती। परन्तु ऐसा कहीं भी इस बजट में नहीं है।

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी चालू मिक्चर देते हैं, वैसे ही इस बजट भाषण के माध्यम से इस प्रदेश को चालू मिक्चर पिलाने का काम किया जा रहा है। जब तक इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होगी तब तक कोई भी बाहर का उद्यमी अपना धन बरबाद करने के लिये यहां नहीं आयेगा। यहां पर उद्योग लगाने के लिये वातावरण बनाना होगा। यहां पर जो फिरौती लेने वाले लोग हैं, डकैती डालने वाले लोग हैं, गुण्डे हैं, माफिया हैं, राहजनी करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

मान्यवर, यह अनुत्पादक बजट है। इसमें कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है जिससे इस प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। केवल नारा देने से कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, केवल एक सड़क बना देने से कुछ होने वाला नहीं है, यदि यहां पर उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिये सभी अवस्थापना सामग्री की व्यवस्था करनी होगी मार्ग, परिवहन, संचार, बैंक-सेवा, मारकेटिंग की सुविधा देनी होगी और इन सभी चीजों को समुचित ढंग से करना होगा। मान्यवर, इस बजट भाषण में, बहिन सुश्री मायावती जी ने जो पंचम वेतन आयोग के लिए 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे, जिसमें से मात्र 500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, शेष 23000 करोड़ रुपये का इस बजट पुस्तिका में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से व्यापार-कर वसूली के संबंध में कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती है कि व्यापार कर माफ कर दिया है। मान्यवर, कर जब गरीब किसान से ले लिया जाता है और वह उसके व्यापारी के घर पहुंच जाता है तो इस तरह से व्यापार-कर के बारे में सरकार ढोंग रचती है। तो हमारे जो गरीब किसान थे जो इस प्रदेश का आम आदमी था वह तो उसका शिकार हो गया। सबने टैक्स दिया लेकिन

वह टैक्स कलेक्शन पहुंचा पूंजी पतियों के यहां तो उसको उन्होंने अधिक होने के लिये रख दिया है। यह सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है। इसमें गरीबों की उपेक्षा की गई है, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, अल्पसंख्यक समाज की उपेक्षा की गई है और इसमें सबसे बड़ी एक चीज और है जो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर मामला है। पांच विभाग ऐसे थे जो स्वपोषित थे जिसमें सिंचाई, पी०डब्लू०डी०, आर०ई०एस० जिसमें 495 करोड़ रुपये में से 260 करोड़ रुपये का आज कोई लेखा-जोखा, अता-पता नहीं है। यह नियोजन विभाग और जहां पर इनका वित्त विभाग का नियंत्रण होता है वहां जाकर उसे पुस्तिका में इसको देखें तो महसूस होगा कि 260 करोड़ रुपये का घपला हो चुका है। वह कहां खर्च हुआ है। वह कहां गया कहीं पर इसका कोई अता-पता नहीं है।

मान्यवर, इस सरकार की गलत नीतियों का एक कदम और देखिये इन्होंने बैंकों के माध्यम से वेतन देने की बात कही और जितने डी०डी० ओज थे उनकी संख्या घटा दी। जब बैंक खाते खुले और डी०डी०ओ० कम कर दिये गये तो वहां उनके अभाव में कर्मचारियों को 3/4 महीनों बाद तनख्वाह मिलनी शुरू हुई। पूरे प्रदेश में आज इस सरकार की गलत व्यवस्था के नाते पूरी व्यवस्था लचर हो गयी है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आज भी कार्यान्वित नहीं हुआ और मान्यवर, इन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग की बढोतरी के लिये, मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं। सुश्री मायावती के काल में पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छी जगह पर नौकरी मिल सके भागीदारी भवन में क्लासेज चलाई जाती थीं। आज वह क्लासेज बन्द हैं। पढ़ाई लिखाई ठप्प है और यह कहते हैं कि पिछड़ों की बेहतरी चाहते हैं। यह कहते हैं कि स्वच्छकारों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिये कार्य करेंगे लेकिन सुश्री मायावती के कार्य काल में स्वच्छकारों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिये दलितों के बच्चों के लिये ज्योतिबा फूले विद्यालय आश्रम चलाया गया था मान्यवर, आज उसको बन्द कर दिया गया है। इसी तरह से मान्यवर, अम्बेडकर उद्यान से लगे हुए क्रीड़ा विद्यालय में क्रीड़ा प्रेमी बच्चे आते थे।

मान्यवर, पिछले दो महीने से जहां की बिजली काट दी गई है। वहां के सारे विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अपने-अपने घरों पर चले गये हैं। मान्यवर, यह है दलित प्रेमी सरकार, गांव प्रेमी सरकार। यह है इनका गांव के लोगों, दलितों के लिये, पिछड़ों के लिये प्रेम। इसी तरह से बहन मायावती के कार्य काल में अम्बेडकर गांवों के नाम पर प्रदेश की बढ़ोत्तरी के लिये 700 करोड़ रुपये दिया गया था आज उसके नाते पूरे अम्बेडकर गांवों में बिजली लगती थी, सड़क बनती थी, विद्यालय खोले जाते थे। विकास हो जाया करता था। आज वहां कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वहां पर आज केवल इन्दिरा आवास दिये जा रहे हैं। गांवों में बिजली काट दी गई, सड़क काट दी गई, स्कूल काट दिये गये, सड़क के खड़ंजा काट दिये गये। सब कार्य काट दिया गया आज केवल यह कहा गया कि एक इन्दिरा आवास मिलेगा। जहां यह 700 करोड़ रुपया गांवों के लिये मिलता था वहां आज यह कार्य हो रहा है। गांवों में प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता झुग्गी और झोपड़ी में रहती है उसके बेहतरी के लिये सरकार इस बिन्दु पर गूंगी और बहरी है। इस बारे में उसकी जबान नहीं खुलती है। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि बहन मायावती के कार्य काल में गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिये जो बातें कही गयीं थी इस सरकार ने बिल्कुल टाल दिया। अच्छा होता यह सरकार छोटे-छोटे बुनकर, कुम्हार, लोहार, मछुवारों की बेहतरी के लिये कोई रास्ता दिया होता। बजट में प्राविधान दिया

होता जो उनके परम्परागत पेशे चले आ रहे हैं उसकी बेहतरी के लिये उपाय किया होता । लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सुश्री मायावती बहन जी के कार्यकाल में सुरक्षित सांसद सीटों के क्षेत्र में एक-एक आई० टी० आई० कालेज खोलने की व्यवस्था की गयी थी, और इस प्रकार 14 आई० टी० आई० खोलने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन यह सरकार उसको अंतिम रूप नहीं दे पायी है और इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया है । मान्यवर, यह सरकार कहती है जहां विद्यालय नहीं हैं वहां हम 30 बच्चे होने पर भी विद्यालय खोलेंगे और जहां अध्यापक नहीं हैं वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी । लेकिन इस दिशा मे यह सरकार कुछ नहीं कर रही है ।

मान्यवर, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती के कार्यकाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1997 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने के लिये प्राइमरी पाठशालाओं हेतु 275 करोड़ रुपये और बालिकाओं के लिये 249 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । मान्यवर, वर्तमान सरकार कहती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे लेकिन इनके पास इसके लिये धन नहीं है । इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार का यह बजट भाषण केवल ढपोरशंखी है ।

मान्यवर, मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह का जो बजट भाषण है वह कहने के लिये है किन्तु करने के लिये बजट में कुछ नहीं है । मान्यवर, यह झूठ का पुलिन्दा है और मुंगेरीलाल के सपनों का केवल दस्तावेज है । इसलिये इससे प्रदेश की खुशहाली नहीं हो सकती है बल्कि इससे केवल मंत्रिमण्डल खुशहाल हो सकता है । मान्यवर, जब यह मंत्रिमंडल को कम करके उस पर होने वाला खर्च यदि बचा सकते और उस धन से शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते थे तो अच्छा होता इसलिये मैं इस ढपोरशंखी, झूठ के पुलिंदे को और मुंगेरी लाल के सपनों वाले दस्तावेज का विरोध करता हूं और नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव में अपनी बात कही है मैं उस पर बल देता हूं ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि वर्ष 1999-2000 के बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं एक चिकित्सक हूं और जानता हूं कि जब मरीज लोकल एवं क्वै डाक्टरों के चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है और उसे कोई फायदा नहीं होता है तो वह किसी स्पेशलिस्ट डाक्टर के पास इलाज के लिये जाता है उससे इलाज कराता है । मान्यवर, हमारे प्रदेश की स्थिति इसी प्रकार की है और विरोध में बैठे हुए लोकल डाक्टर की तरह के विपक्षी नेताओं ने जब प्रदेश की हालत उन्होंने बिगाड़ दिया तो श्री कल्याण सिंह जी के पास इलाज के लिये मरीजी हालत प्रदेश भर्ती हुआ है और इलाज करा रहा है और मा० कल्याण सिंह जी ने बड़ा सोच-समझ कर सटीक इंजेक्शन रूपी बजट पेश किया है तथा बिजली समस्या पर जो सफल आपरेशन किया है मरीज के इलाज के रूप में वह सराहनीय एवं अनुसरणीय बजट है ।

मान्यवर, बिजली की समस्या के बारे में पहले भी कई वक्ता बोल चुके हैं लेकिन विपक्षी माननीय नेतागण एवं सदस्य यह सोच भी नहीं सकते कि सामान्य गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है जबकि विपक्षी माननीय सदस्य आज आलोचना ही करते हैं । जबकि हमारी सरकार ने सामान्य गांवों केसाथ-साथ अम्बेडकर गांवों तथा गांधी ग्रामों के विद्युतीकरण का भी विद्युतीकरण जारी रखा है । बिजली की जो परेशानी हो रही थी उसमें सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को अब जिम्मेदार ठहराने हेतु विद्युत विभाग को तीन विभागों में बांटा है । एक विद्युत पैदा करने वाला दूसरे विद्युत पारेषण का तथा तीसरा विद्युत वितरण का तथा सबकी जिम्मेदारी अलग-अलग विभाग को दी है । अब वितरण विभाग की जिम्मेदारी होगी कि इतने मेगावाट बिजली दी गयी है तो देखा जायेगा कि उसका वितरण किया गया है कि नहीं और उतना पैसा लिया गया है की नहीं । इस प्रकार हमारी सरकार ने यह असाधारण आपरेशन किया है जिसे विरोध पक्ष के लोग नहीं कर सकते थे । जबकि विपक्ष ने भी इसी आपरेशन का सपना

देखा और चाह भी थी लेकिन साहस नहीं जुटा पाये मान्यवर, बिजली के अलावा सरकार ने अलग-अलग स्पष्ट नीतियां बनायी हैं जैसे सड़क विकास नीति, ऊर्जा नीति, निर्यात नीति, उद्योग नीति और वन नीति आदि और बजट में उनकी घोषणा किया है। मान्यवर, मैं यहां सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बिजनौर में एक महत्वपूर्ण पुल बनाया जाना चाहिये। इस पुल को बनाने के संबंध में, मैं लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि स्वीहारा जागीर ठाकुर द्वारा के मार्ग पर रामगंगा नदी के पुल के निर्माण हेतु बजट मे प्राविधान कर देते तो अच्छा होता। मान्यवर, इससे बिजनौर के साथ साथ ही उत्तरांचल का भी विकास होता। यह महत्वपूर्ण पुल है जो कि नैनीताल रानीखेत ऊधमसिंह नगर व नेशनल कार्वेट पार्क आदि को सीधे पंजाब व दिल्ली से जोड़ देगा और समस्त क्षेत्र व बिजनौर के विकास के लिये पुल होगा।

मान्यवर, अब मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय सुधार किये हैं जिसका सबूत है फरवरी मार्च माह में बजट पास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि सारी वित्तीय स्वीकृतियां अप्रैल माह में जारी हो जायेगी जिससे समय से पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा। जो एक महत्वपूर्ण व साहसी निर्णय है।

मान्यवर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी कह रहे थे और डुगडुगी मदारी, बंदर और बंदरिया की बात कर रहे थे, यह सारा सदन जानता है कि कौन [xxx] की तरह उछल-उछल व झूल-झूल कर नाटक करता है उसे मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं इन्दिरा आवास योजना के संबंध में सुझाव देना चाहता हूं कि एक आश्रय योजना भी है जिसमें 5-10-15 रुपये प्रतिदिन देकर गरीब व्यक्ति को आवास दिया जाना है तो मेरा कहना है यदि इन्दिरा आवास योजना का धन आश्रय योजना में मिलाकर इस आश्रय योजना को विस्तृत बनाये तो गरीबों को अच्छे घर अधिक संख्या में है मिल सकेंगे।

मान्यवर, अधिवक्ता कल्याण निधि के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसे जो संशोधित रूप में रखा गया है इसमें मेरा कहना है कि अधिवक्ता राजनैतिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। वैसे भी संघर्षशील ज्यादा होते हैं उसके समकक्ष दूसरे व्यवसायी लोग, जिसमें चिकित्सक भी आते हैं क्या उनके लिये भी इस तरह की कल्याण निधि की योजना का विचार है मेरा सुझाव है कि और व्यवसायियों के लिये भी कल्याण निधि योजना लागू करने की कृपा करें। मान्यवर, 2,197 करोड़ रुपया जो कुल परिव्यय का 21.4 बैठता है तो स्पेशल कमपोनेंट प्लान के लिये रखा गया है यह धन बहुत अधिक है अगर इस धन को जनता के विकास के कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी जानकारी है कि इस योजना व विभाग में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा इस धन का अधिकारी दुरुपयोग करते हैं इस धन का कुछ हिस्सा विकासशील कार्यों में लगाया जाए तो अच्छा होगा। अन्त में मैं एक संवेदनशील मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं।

हमारे समाज में नेतागण गरीबों के हितैषी बनते हैं गरीबों की बात करते हैं सामने बैठे मौर्या जी भी यदि ये बात कहते तो और अच्छा होता कि गरीब आज पंडित भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, गरीब वैश्य भी हैं गरीब मुस्लिम, सिख, ईसाई भी हैं क्या उन गरीबों के लिये किसी पार्टी के नेता या सरकार ने कभी सोचा है उन गरीबों के लिये भी कोई योजना बनाई गई है दलितों में ही गरीब हैं ऐसा नहीं है। दलित में भी दो वर्ग हैं एक वर्ग में व्यापारी आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और पी० सी० एस० आदि के दलित आते हैं दूसरे में गांव के गरीब दलित हैं आरक्षण और दूसरी सुविधायें पहले वर्ग के लोग ले रहे हैं मौर्या जी जैसे लोग ले रहे हैं और दलित गरीबों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। केवल दलित गरीब ही नहीं सारे गरीबों के लिये सरकार सोचे और ध्यान करे इसी के साथ मैं समझता हूं कि सही मायने में समरसता का संदेश तभी समाज में पहुंचेगा जब आप सारे गरीबों के बारे में सोचेंगे, सारे गरीबों की बात करेंगे। मान्यवर, अब मैं जनसंख्या के बारे में कहना चाहता हूं मेरा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ी समस्या है जैसा कि सारा सदन जानता है सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री वेद प्रकाश सिंह एम० एस०–

जनसंख्या वृद्धि यदि नहीं रोकी जाती है तो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसको रोके जाने के लिये मेरा एक सुझाव है प्रत्येक नागरिक को ऐसा पहचान-पत्र जारी कर दें जिसमें उसके पत्नी, बच्चों का विवरण हो, शादी का समय अंकित हो मान्यवर जो सुविधायें दी जाती हैं वह सब उसी आदमी को वरीयता पर दी जाएं जो परिवार कल्याण की योजना को मानते है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने लालबत्ती कर दी इसलये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव इस बजट पर रखे हैं और जो विरोध किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर बजट भाषण में शुरुवात में कानून व्यवस्था पर बड़े जोर की चर्चा हुई। मान्यवर इस सदन में अनेक मंत्रियों ने इस पर चर्चा की। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं पिछले साल डकैती के मुकदमें 636 थे और इस साल 803.26 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है लूट के मामले 553 थे इस बार 4,488 हुए इसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है। हत्या 6834 और इस साल 7399 इसमें 8.26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। बलवा 4309 और इस साल 6460 इसमें 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, फिरौती के केस पिछली बार 150 और इस साल 163 तो चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, इसमें शुरुआत में शिया सुन्नी मसले पर इस बजट सत्र में और पिछली बार भी जो बजट सत्र हुआ था उसमें बार-बार कहा गया था कि यह मसला 21 साल बाद सुलझा दिया गया। लेकिन इसमें इस बात की चिन्ता नहीं व्यक्त की गयी कि हमारे एक सूफी नेक आदमी जो कि इस देश में ही नहीं और पूरी दुनिया में जाना जाता है उसके घर में दो सिपाही भेज दिया और उन्होंने वहां घुसकर तंग किया और तलाशी ली उसके बारे में प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा है। नेता वहां जाते हैं माफी मांगने और कहते हैं कि यह हमारी सरकार में हुआ है लेकिन यह हमने नहीं कराया है। प्रधान मंत्री के आने के कुछ दिन पहले वह जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वह भी आते हैं और माफी मांगते हैं।

मान्यवर, इस पूरे बजट भाषण में यह भी होता कि यह सरकार माफी मांगती है प्रदेश की 17 करोड़ जनता से कि पिछले बजट में जो वायदे किये थे वह पूरा नहीं कर पाये। हमने जो बातें करी थी जो दिखाया था खर्च करने को कहा था वह नहीं कर पाये और जो उन्होंने वायदे किये थे वह अधूरे रह गये। बिजली के बारे में कहा गया कि हमने नीति बनायी है। विद्युत मंत्री जिस वक्त रखेंगे उस समय इसमें बहस होगी।

मान्यवर, आज समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं बिजली नहीं पहुंच पा रही है। आपके शहरों में बिजली, बड़े-बड़े शहरों में सुबह छः बजे से जाकर दोपहर में दो बजे आती है और अभी परीक्षाएं शुरु होने वाली हैं। जब बिजली नहीं होगी तो छात्र कैसे पढ़ेगा। रात में लालटेन जलाना होगा वह भी नहीं हो सकता है क्योंकि मिट्टी का तेल भी आप नहीं दे पा रहे हैं। इस बात का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं नोयेडा के अन्दर इन्होंने किया था जो गोयंका को बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था आज उसके ऊपर 72 करोड़ की धनराशि बकाया है। 72 करोड़ के वह देनदार हैं।

माननीय, आप यह गौर करें कि जब यह निगम बन जायेगा और यह निजी क्षेत्र को सौंप दिया जायेगा तो जिस प्रकार से गोयंका ने नोयडा के अन्दर किया था 72 करोड़ की देनदारी थी, अगर इसी तरह से रहा तो प्रदेश का क्या हश्र होगा ? जो इन्होंने कहा कि छोटे-छोटे निगम बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? अगर चार पांच रुपये प्रति यूनिट पर बिजली मिल रही है जो कि आज एक रुपये पचास पैसे में है तो वह भूखा नंगा हो जायेगा आपने कह दिया कि हम सब्सिडाईज करेंगे तो अब क्या दिक्कत है, तो निगम क्यों बना रहे हैं नये उद्योगपति बाहर से आयेंगे आप उनसे रकम लेकर उत्पादन और वितरण का कार्य उन्हें देने जा रहे हैं ?

माननीय, इसमें उद्योगों को लगाने की बात और कहीं से हुई है ; आपने उत्तर प्रदेश राजकीय निवेश केन्द्र बनाया है दिल्ली में जिसमें एक रेजीडेंट कमिश्नर रैंक का अधिकारी बिठा दिया है जो एन० आर० आई० से बात करेगा लेकिन यहां आतंक चरम सीमा पर है, बिजली, सड़कें हैं नहीं आपने 7 करोड़ का प्राविधान किया है इसमें ज्यादा पैसा तो आफिस और वेतन में निकल जायेगा और जो विदेश भ्रमण होंगे उसमें कितने पैसा जायेगा ? माननीय, जो उद्योग नोएडा व ग्रेटर नोएडा में बने थे उनका क्या हाल है ? वहां दिल्ली में ज्यादातर काम करने वाले लोग रहने लगे हैं । उद्योग खत्म होने लगे हैं । जो निर्यात की 70 बड़ी इकाईयां थी वह घटकर 40 रह गयी हैं 40 चल रही हैं । जो एक्सपोर्ट की यूनिट नहीं थी वह चलनी बन्द भी हो गयी हैं । ग्रेटर नोएडा में दो बड़े कारखाने गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आये हैं । जमीन वहां बिक जरूर रही है लेकिन कारखाने एक नहीं लगे । गाजियाबाद में कारखाने उठकर चले गये हैं । ट्रवानिका की जमीन सोनी के पास है लेकिन उसके अन्दर उद्योग नहीं लगा है । जो आपने उद्योग नीति बनाई है उसमें पैसा कहां से आयेगा ? लोग कहां आ रहे हैं ?

माननीय, जो ब्राइवेट व सरकारी ट्यूबवेल हैं, ग्राम सभाओं को दें दिये गये यह 29 हजार ट्यूबवेल जिनकी लागत तकरीबन 36 सौ करोड़ रुपये है वह कैसे उसको मेंटेन करेंगे ? हैण्ड पम्प ठीक करने की सुविधा वहां है नहीं अपने संसाधन से वह कैसे काम करेंगे ? उन्हें आप संसाधन दें । उसमें से आप करीब 90 हजार आदमी निकालेंगे सेवा से और कहा है कि कहीं उन्हें समायोजित करेंगे उनसे क्या कार्य लेंगे ? अब आप सरकार पर खर्चा बढ़ा रहे या कम कर रहे हैं ।

माननीय, गड्ढा मुक्त सड़कें और सड़क नीति/निधि की आपने बात बताई है । एक दिल्ली–जयपुर हाइवे, जिसका ताल्लुक आपसे कुछ नहीं और दूसरे दिल्ली से मथुरा जाने वाली एक्सप्रेस हाइवे वह भी कभी जापान से समझौता हुआ था उसके अलावा एक भी ऐसी एक्सेस हाइवे या सड़क नहीं है जो अच्छी सड़क हो । जी० टी० रोड जो अच्छी थी उसमें 2 घण्टे के सफर में 8-10 घण्टे लग जाते हैं ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

माननीय, नयी योजना की बात आयी । पिछले वर्ष बजट में आपने कहा था कि वर्ल्ड बैंक और कुछ बाहर से आये हुए इन्टरनेशनल मानीटरी फण्ड से पैसा आने वाला था, उसको दिया जायेगा, लेकिन यह नहीं सोचा कि इस पर सैंसर लग गया है पैसा आज तक नहीं आया है, वह अप्रैल में कैसे आ जायगा ? किस तरह से हाइवे चलाएंगे ? 35 पैसे फ्री किलोमीटर तो गरीब आदमी दे नहीं पाएगा । उस पर बड़ी गाड़ी चलेंगी वही लोग 35 पैसे फ्री किलोमीटर देंगे । बड़े लोग ही देंगे गरीब आदमी नहीं दे पाएंगे । जो छोटे-छोटे गांव हैं उनको जोड़ने वाली बात करी है पिछले साल भी करी थी पिछले साल जितने प्रस्ताव आपने मांगे थे वह आज तक पूरे होकर अभी तक तो गये नहीं तो जो पहले पूरा नहीं कर रहे हैं वह आगे क्या करेंगे ? इसके बारे में साफ कोई निर्णय हो इस सरकार का । नहीं तो जैसे पिछली बार माफी मांगनी पड़ी थी उसी तरह इस बार भी मांगनी पड़ेगी ।

माननीय, पिछली बार में बड़े जोर की घोषणा यहां पर हुई, बड़ी बातें हुईं और सारा सदन तकरीबन खुश हुआ कि आज हम सब लोगों की बात मुख्य मंत्री जी द्वारा मानी गई है और 50 लाख फ्री एम०

एल० ए० की वह विधायक निधि के तौर पर दे रहे हैं। मान्यवर, हम सारी बात करके हम लोग यहां से ले गये जो बात यहां से कही जाती है और नेता सदन जो बात कहते हैं, सरकार जो बात कहती है और वह भी 425 एम० एल० ए० के बीच में उनकी मर्जी की बात कर रहे हैं तो वह तो जरूर पूरी होगी। चार-पांच महीने इन्तजार किया सब पेपर में यह बात आ गई कि पचास लाख रुपया मिलने वाला है।

मान्यवर, मैं वापिस लौट करके यहां पर आ गया और अब मार्च का महीना भी आ रहा है अब पता चला कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने तो 1 हजार रु० का टोकेन मनी दिया था और अब बहुत परेशानी के बाद पता नहीं कहां-कहां से पैसा काटा है, ये लोग कन्ट्रीब्यूशन में तनख्वाह दे रहे हैं इस लिये आपको 25 लाख दे रहे हैं उसी में काम चलाइये अब यह जो 25 लाख रुपया जो पहुंचा है या पहुंच रहा है उसको आप एक माह में कैसे पूरा करायेंगे ? उसके साथ एक क्लास भी है कि पी० एल० ए० में जाने को नहीं है। इस ओर अगर सरकार गौर करे तो ठीक होगा। 1 महीने में काम तो हो नहीं पायेगा तो गलत बयानी क्यों है यह भी वापस ले लें ? मान्यवर, पश्चिम के विकास के लिये पश्चिमी विकास निधि की स्थापना आज तक नहीं हुयी है। हमारे यहां भी लोग चाहते हैं कि हमारे यहां तरक्की हो, तरक्की हर एक को अच्छी लगती है। आप प्रदेश के अन्य भागों को पैसा दे रहे हैं निधि दे रहे हैं मगर इसी प्रदेश में रहने वाले पश्चिम के लोगों के लिये कोई निधि नहीं दे रहे हैं। आपने 240 करोड़ पूर्व को दिये, चार सौ कुछ करोड़ उत्तर को दिये और 50 करोड़ बुन्देलखण्ड को दिये तो पश्चिम को एक पैसा इस नाम पर क्यों नहीं दिया ?

यहां पर बात आयी थी अध्यक्ष जी ने कहा कि मीटिंग बुलाइये। आप कार्यवाही देख लें उसमें इसका जिक्र है। बड़ी मुश्किल से सरकार को याद दिलाने के बाद, हमारे मेरठ के विधायक जी नहीं हैं होते तो बताते, माननीय किरनपाल जी ने क्वेश्चन उठाया। इसके बाद एक मीटिंग जिसमें बड़ा अच्छा खाना, चाय और बहुत अच्छी जगह पर वह मीटिंग हुयी, उसमें बहुत भाषण हुये, हम लोगों ने अपनी बात रखी घोषणा की गयी कि 3 सेक्रेटरीज की जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी थे एक समिति बनी। आज 6-7 महीने हो गये हैं उस समिति की एक मीटिंग भी नहीं हुयी है। अगर हुयी है तो बता दें कि उसमें क्या तय हुआ ? जो भाग सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसके बारे में सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया। वहां सड़क नहीं है, यूनीवर्सिटी नहीं है स्कूल नहीं हैं लेकिन सरकार कहती है कि वहां विकसित लोग रहते हैं। अगर आपको हमें कुछ नहीं देना है तो हमारा प्रस्ताव लें और हमको अलग करें, हमारा प्रदेश अलग बना दें, हम अपना इन्तजाम खुद कर लेंगे। आपने केन प्राइज के बारे में बहुत कहा कि हमने 80-85 रुपये दिलाये हैं। जिस गन्ने के बोने वालों को आप 85 देते हैं उनकी संख्या 2 प्रतिशत है। सरकार ने सिर्फ 4 रुपये ही बढ़ाये हैं और यह 4 रुपये एक तरफ बढ़ादे तो दूसरी तरफ पोटाश, फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ा दी। जिस वक्त किसान को बुवाई चल रही थी खाद, बीज की उनको जरुरत थी उस वक्त किसानों को यह चीजें उपलब्ध नहीं करायी गयीं और इन चीजों को ब्लैक में बिकवा दिया। मान्यवर, आपने दाम 80 रुपये किया तो सारी चीजों के दाम बढ़ा दिये। बजट में आप डीजल के दाम नहीं बढ़ाना चाहते थे, किसान विरोधी नहीं कहलवाना चाहते थे लेकिन आप दिल और दिमाग से किसान विरोधी हैं। भारत सरकार ने दाम कम किया लेकिन आपने उस पर 20 प्रतिशत सेल्सटैक्स लगा दिया, आपने फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ा दिये। हमने मांग की है कि 100 और 105 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिये अगर इतना पैसा मिले तो वह इज्जत की रोटी खा सकेंगे। हरियाणा में 91 रु०, पंजाब में 105 रुपये दिये जा रहे हैं। जब आप तुलना करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इंडस्ट्री में हम नम्बर–3 पर आ गये हैं, विकास दर बढ़ रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास दर कैसे बढ़ रहा है ? मान्यवर, जहां 6 और 7 प्रतिशत विकास दर होना चाहिये वहां 2.5 प्रतिशत विकास दर है। वह हालात आप कैसे पैदा करेंगे ? जिससे आपकी विकास दर 6-7 प्रतिशत पर पहुंच जाये। इसका कोई जिक्र नहीं है। आप

गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं। आपके यहां कोई उद्योग नहीं आये बल्कि आपके यहां से चले गये।

श्री अधिष्ठाता–

मा० कौकब जी अब आप समाप्त करें, 20 मिनट की जगह पर 25 मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जो हमारे बड़े-बड़े नगर हैं उनके बारे में कोई सही नीति नहीं आयी है। बिजली की बहुत विकट समस्या है। ऐसे तार हर जगह मिलेंगे जो टूटने वाले हैं। सिस्टम खत्म हो चुका है, तार बदलने आवश्यक हैं। मलिन बस्तियों का बहुत जिक्र हुआ है, कि हम हैण्ड पाईप दे रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। खुद इस राजधानी लखनऊ के अन्दर ऐसी कई जगह है जहां पीने के पानी की समस्या रोज उत्पन्न होती है। इसके बारे में कुछ नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता–

मा० कौकब हमीद जी अब आप समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल के भाषण पर बल देता हूं।

*श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और हमारे नेता कल्याण सिंह जी ने जो इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है .....।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय मौर्या जी को बुलवाया कोई बात नहीं, किसान कामगार के नेता को बुलवाया, भाजपा के साथी को बुलवाया कोई बात नहीं लेकिन इतना बड़ा समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ आप देखना नहीं चाहते। आपने फिर भारतीय जनता पार्टी का नम्बर लगा दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम तेज जी, आपने जो प्रश्न उठाया है। हमेशा यह परम्परा रही है विभिन्न पार्टी के जो नेता हैं उनको वरीयता दी जाती रही है। उसी के हिसाब से बुलवाया गया है और इसी आधार पर मैंने किसान कामगार पार्टी के नेता को बुलाया। अब एक भाजपा का सदस्य हो जाए उसके बाद आपका नम्बर आएगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

जैसा सिस्टम है उसी के आधार पर बुलवाएं।

श्री बाबूराम यादव–

उस पक्ष के माननीय सदस्य बहुत धीरे से बोल रहे हैं। सरकार के साथ आपको अंधे कुएं में नहीं कूदना चाहिये जो सही बात हो उसको कहना चाहिये।

श्री भरत सिंह–

हमारे नेता कल्याण सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें घाटा कम किया गया है। यह उल्लेखनीय है। 772 करोड़ का घाटा इस बजट में दिखाया गया है लेकिन जब 500 करोड़ का एण्टी

टैक्स मिलने लगेगा तो यह 272 करोड़ रुपये रह जाएगा। पिछले 5-6 वर्षों के अन्दर यह सबसे कम घाटे वाला बजट है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। महिलाओं के उत्थान के लिये उल्लेखनीय कार्य की घोषणा सरकार ने की है। पहली बार सम्भवतः इस देश में पहली सरकार है जिसने महिलाओं को ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है। यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है।

आज हमारी सरकार ने यह घोषणा किया है इस बजट में जिसका उल्लेख है कि सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाएगा। अन्य प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान के लिये इस सरकार ने लागू किये हैं। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश में पहली बार मुख्य मंत्री जी ने और सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री कलराज मिश्र जी ने सड़कों के संबंध में क्रान्तिकारी कदम उठाया है। हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। एक हजार से अधिक आबादी वाले 19,814 गांवों को सन् 2005 तक पक्के मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है और एक हजार से कम आबादी वाले 34,414 गांवों को 2010 तक पक्के मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 1998-99 में 2900 गांवों को पक्के मार्गों से जोड़ने का काम प्रगति पर है। वर्ष 1999-2000 के बजट में एक हजार से अधिक की आबादी के 3100 गांवों को पक्के मार्ग से जोड़ने की बात कही गई है। यह एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। माननीय अधिष्ठाता जी जब मैं बोल रहा हूं तो आप घड़ी देख रहे हैं और जब श्री मौर्या जी बोल रहे थे तो तब आप घड़ी नहीं देख रहे थे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मौर्या जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं।

श्री भरत सिंह–

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार सिंचाई विभाग द्वारा वर्षों से जिन नहरों की सफाई केवल कागज पर होती थी। आज हर क्षेत्र में उन नहरों पर सफाई का कार्य हो रहा है और 2-3 वर्षों में सभी नहरों में सफाई का कार्य हो जायेगा। नहरों के किनारे पक्का करने का काम किया गया है। सैकड़ों कि० मी० पक्का किया गया है। 1 लाख 19 हजार इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प–टू नगर विकास मंत्रालय द्वारा लगाये गये और 1 लाख 20 हजार इस वित्तीय वर्ष में लगाये जाने की व्यवस्था है। जहां तक पारदर्शी शासन की व्यवस्था का प्रश्न है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पहली बार पुलिस बल में 10 हजार लोगों की भर्ती हुई और कहीं से भी पैसा लेने व भ्रष्टाचार की बात नहीं आयी। समूह "ग" की भर्ती होनी है। 25 हजार शिक्षकों की भर्ती होनी है। उसमें पारदर्शिता हुई है।

मान्यवर, जहां तक भयमुक्त समाज का प्रश्न है। भयमुक्त समाज का जो नारा दिया गया था। उसके लिये भी श्री कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भय मुक्त समाज को सफल बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को विरासत में जो व्यवस्था मिली थी। पूर्ववर्ती दो-दो मुख्य मंत्रियों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े माफियाओं और अपराधियों को जिस प्रकार से राजनैतिक सह दी गयी थी और पुलिस के मनोबल को तोड़ने का काम किया गया था। आज उत्तर प्रदेश में या तो उन माफियाओं और अपराधियों का इन्काउन्टर कर दिया गया है या फिर वह जेलों में है और या फिर वह उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गये हैं। अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। निश्चित ही इसके लिये टास्क फोर्स बनाने का जो काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया। उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। जो लोग हमारी सरकार पर लांछन लगाने का काम करते हैं। अभी जब मौर्या जी बोल रहे थे तो मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी के शासन मे लोगों के मकानों पर कब्जा किया था। जिस प्रकार से सरकारी पैसे की लूट मची हुई थी। पिछले दिनों तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री भरत सिंह–

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकारी नलकूपों को ग्राम पंचायत को देने की बात कही गई है। सरकारी नलकूपों में सुधार की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि यह सरकारी नलकूपों को ग्राम पंचायत को न दिया जाय। इसके साथ ही मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां नहरों के किनारों को पक्का किया जा रहा है वैसे ही जिन क्षेत्रों में नहरें नहीं हैं वहां बांध हैं। उन बांधों को भी पक्का किया जाय। जैसे बलिया बेरिया बांध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बलिया बेरिया बांध जो मझुवा में है गंगा का कटान 80 मीटर हो गया है। उसको पक्का करने का प्रस्ताव है उसे निश्चित रूप से पक्का कराया जाय जिससे कि इस साल वह बांध कटने न पाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया माननीय कल्याण सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

(डा० अशोक बाजपेयी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं बीच में कहूं तो ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं पहले बता दूं कि नेताओं और माननीय सदस्यों के लिये समय निर्धारित किया गया है यह पांच मिनट है। उस समय के अन्दर अपनी बात कहें।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ। हम लोग सदन में नहीं थे। बड़ी उत्कंठा थी कि 21वीं सदी की ओर से ले जाने वाला यह अन्तिम बजट निश्चित रूप से एक संकल्प लेकर आया होगा लेकिन जब मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा तो देखा कि यह दिशाहीन व्यवस्था का बजट है। इसमें कोई संकल्प नहीं दिखाई दिया जो इस प्रदेश के औद्योगिक विकास को, इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने वाला हो। यहां के लोगों के आर्थिक संसाधन बढ़ाने वाला हो। ऐसी भावना इस बजट में नहीं दिखाई दी। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के सर्वाधिक विकास के लिये आवश्यक है कि उसके औद्योगिक विकास को ऊंचा और मजबूत किया जाय। आज हम वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के अपरिहार्य अंग बन चुके हैं। आज प्रदेश के औद्योगिक स्तर को सुधारना होगा। दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में कोरी लफ्फाजी की गई है। कोई ऐसा संकल्प या प्रयास इसमें नहीं किया गया है। जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को सुधारा जायेगा इसके लिये कोई प्रयास किया जायेगा। किसी स्टेट या राज्य के लिये आवश्यक है कि औद्योगिक वातावरण का सृजन किया जाय।

जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो। घरों में लोग सुरक्षित न हों। सड़कों पर लूटे जा रहे हों, हत्याएं, लूटपाट हो रही हो ऐसे वातावरण में कोई उद्यमी निवेश करने के लिये कैसे तैयार होगा ? अगर यह सही मायने में रुचि रखते थे तो प्रदेश में सामाजिक वातावरण, सुरक्षित वातावरण बनाया जाता ताकि दूसरे प्रान्तों के देशों के एन०आर०आई० आकर्षित होते यहां पर उद्यम लगाने के लिये। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डेढ़ वर्ष से यह हमारे साथी सामने बैठे हैं सत्ता में हैं किसी एक इकाई का नाम बता दें जो 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की हो। उत्तर प्रदेश में किसी ने निवेश का निर्णय लिया हो केवल पुस्तिका में छापने और भाषण देना गलत है। विद्युत का उत्पादन यह नहीं कर पा रहे हैं एन०टी०पी०सी० न होता तो आज पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा होता इन्होंने किसी थर्मल पावर की स्थापना नहीं की है। विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, निर्यात नीति के बारे में कहना चाहूंगा यहां की निर्यात नीति स्पष्ट नहीं है। हमारे यहां के उद्यमी अगर अपना उत्पाद बाहर भेजना चाहें तो यह उसके लिए बहुत दुर्गम कार्य है बहुत ही दुरूह कार्य है। सरकार निर्यात नीति स्पष्ट नहीं करना चाहती है। डंकल पेटेन्ट कानून है। सरकार ने कानून पेश किया है। इसमें सरकार ने क्या किया ? बांसमती चावल अमेरिका पेटेन्ट करना चाहता है नीम अमेरिका पेटेन्ट करना चाहता है दिल्ली की सरकार इतने दिनों से सो रही है। गतवर्ष 1984 में गैट एग्रीमेन्ट पर साइन हुए लेकिन उसके बाद क्या तैयारी की गई ? अपना स्तर मानकों के अनुरूप करने के लिये क्या किया ताकि आप विश्व बाजार में कहीं खड़े हो पाते यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उद्योग इस सरकार के चलते बन्द हो गये हैं निजी क्षेत्र के उद्योग रुग्ण हैं इस प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सरकार किस ओर ले जाना चाहती है। किसी उद्योग को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया।

मान्यवर, हमारे यहां मुख्य जीविका कृषि है ; कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि हम टेल तक पानी पहुंचायेंगे और सिंचन क्षमता को बढ़ायेंगे लेकिन मान्यवर, 28 हजार नलकूप के बारे में यह क्या करने जा रहे हैं ? इससे पता लगता है कि इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। 28 हजार नलकूपों को ग्राम पंचायतों को नीलाम करेंगे। मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक केन्द्र हैं उनके भवन गिर रहे हैं कोई चिकित्सक वहां नहीं है। आबादी का दबाव बढ़ रहा है नये स्वास्थ्य केन्द्र जो खुले हैं वहां भी जो व्यवस्था होनी चाहिए यह व्यवस्था वहां नहीं है। आयुर्वेदिक स्कूल ठप्प पड़े हैं जो जड़ी-बूटियों पर आधारित भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थी वह ठप्प पड़ी है। आयुर्वेदिक अस्पतालों में कोई दवा नहीं है। बस वेतन निकाला जा रहा है। कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, को-आपरेटिव के बारे में कहना चाहूंगा यह जनता की सहभागिता से थी इसको भंग कर दिया गया। पांच साल का कार्यकाल उसको उन्होंने घटाकर तीन साल कर दिया है। अगर इनमें इच्छा शक्ति होती तो छः महीने भंग किये हो गये हैं। बार-बार यह तारीख बढ़ा देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि मार्च तक कर देंगे नहीं किया और आज अखबार में यह पढ़ने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें नामित किया जा रहा है। तो इस तरह से सहकारी समितियां चलायेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज जो उन लोगों को नामित किया जा रहा है। जब चुनाव होगा तो इसका उस पर असर पड़ेगा।

मान्यवर, पंचायती राज की बात कही गयी। इन्होंने कहा कि हमने पंचायत चुनाव करा दिये हैं यह सही है कि चुनाव हो गये हैं। कहने को तो वह अध्यक्ष हैं लेकिन संविधान के 73 और 74वें संशोधन के ग्यारहवें शैड्यूल में जो अधिकार देने की बात कही गयी थी वह अधिकार उन्हें अभी तक नहीं दिये हैं। जिला नियोजन समिति का गठन नहीं किया गया है। मान्यवर, आपकी लाल बत्ती जल गयी है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री द्वारा 1999-2000 बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का समर्थन भी करता हूं।

बाल, वृद्ध, नर–नारी,
किसान मजदूर, व्यापारी,
सहकारी निजी, सरकारी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी और कर्मचारी,
मुल्ला, फकीर, पुजारी,
झुग्गी, झोपड़ी, अटारी,
बेबस, परित्यक्त, भिखारी,
मुखिया, भुखिया, दखियारी,
सबने मिल यही कहा री,
जो बजट है अब की बारी,
संतुलित और कल्याणकारी,
यू० पी० को दिए विकास पिटारी,
अब मिटे भय, भूख बिमारी,
हम कल्याण के हैं अभारी।

मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के सम्मानित नेतागण पिछली सरकार की मुख्य-मुख्य उपलब्धियां गिना रहे थे। सारी विशेषताएं बता रहे थे लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जो मूलभूत पिछली सरकार की मुख्य उपलब्धि थी जो लोगों की जुबान में चर्चित थी उसको विपक्ष के नेतागण नहीं बता रहे थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

अपहरण व्यापारियों का छटनी कर्मचारियों का,
ट्रांसफर अधिकारियों का हुआ बड़े पैमाने में,
हत्या डकैती और राहजनी बलात्कारी,
बढ़ा धूंआधार जनता डरती आने जाने में,
चोरी घूसखोरी बरजोरी सीना जोरी बढ़ी,
लूट मची हुई थी एकदम सरकारी खजाने में,
तुच्वई लफंगई दबंगई और गुण्डई,
बढ़ी थी पिछली सरकारों के जमाने में।

मान्यवर, मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि–

दंगे में इस प्रदेश को तुमने ढकेले हैं,
अपराधियों से आज हम लड़ते अकेले हैं,
अपराधी सजा पा रहा तो हल्ला क्यों करते,
दुर्भाग्य से शायद वे सब तुम्हारे ही चेले हैं।
प्रदेश फंसा था पूरा दंगे की चपेट में,
हत्याएं हो रही थी यहां थोक रेट में,
है आज अमन चैन जब पूरे प्रदेश में,
क्यों दर्द हो रहा है आप सबके पेट में।
अपराध का निरन्तर यहां घट रहा ग्राफ है,
जो हैं गलत उन्हें न किया गया माफ है,

कोई हो कितना बड़ा नहीं बख्शा जायेगा।
हमारी नीति और नियत दोनों साफ है।
सभी वर्गों के विकास की करता बात यह बजट,
अपराधियों पर करता है आघात यह बजट,
उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनेगा,
कर दिया मजबूत अब शुरूआत यह बजट।
टूटे बिखरे सिस्टम को यह दुरुस्त करेगा,
कानून व्यवस्था को एकदम चुस्त करेगा,
पुस्त दर पुस्त सुस्त थी विकास गति,
प्रदेश का समग्र विकास अब एक मुश्त करेगा।
अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय का बजट,
अब करेगा व्यवस्था अधिक आय का बजट,
बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के बदले,
सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का बजट।

मान्यवर, आगे है।

भ्रष्टाचारमुक्त सही पारदर्शी यह बजट,
है सब का हित चिन्तक और समदर्शी यह बजट,
जाति और वर्ग धर्म सम्प्रदाय से विरत,
क्षमता ममता समरसतायुत हृदय स्पर्शी यह बजट,

मान्यवर, आगे है।

वसुधैव कुटुम्बकम से ओत प्रोत है बजट,
निराश्रित विकलांगों वृद्धों का सुलभ श्रोत है बजट,
बेरोजगारों के लिए तो यह वरदान बन गया,
चोरों घूसखोरों कामचोरों के लिए मौत है बजट।

मान्यवर, विपक्ष के कुछ लोग इसे झूठ का पुलिन्दा बताते हैं किसी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला बताया है। किसी ने इसे ढपोल शंखी बताया है। लेकिन जो इसमें उपलब्धियां है वह उन्होंने नहीं देखी है।

जो लोग इसे झूठ का पुलिन्दा बताते हैं,
नई बोतल में पुरानी शराब जो कोई बताते हैं,
हम तो कहते उनके लिए इतना ही है काफी,
चोरों को तो सारे चोर नजर आते हैं।

मान्यवर, आगे है।

अच्छों को बुरा कहना है आदत विपक्ष की,
जनता भी जानती है शराफत विपक्ष की,

आदत से अपने बाज कभी आयेंगे नहीं,
चाहे जितनी हो क्षेत्र में सांसत विपक्ष की ।

मान्यवर, आगे है ।

कल्याण पर जनता का तो अटूट विश्वास है,
विकास को गति देने का अद्भुत प्रयास है,
धन्यवाद है जो विषम परिस्थितियों से जूझ कर
प्रदेश का अपने निरन्तर कर रहे विकास हैं ।

मान्यवर, आगे है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

जनता के बीच है अच्छा संदेश जा रहा,
प्रगति पथ पर निरन्तर अपना यह प्रदेश जा रहा,
अब से बनी सरकार है कल्याण सिंह की,
धीरे-धीरे जनता का सारा क्लेश जा रहा ।

मान्यवर, आगे है ।

हमारी राजनीति एक दम सफल रही है,
उजड़े प्रदेश की हालत अब तो सम्हल रही है,
विकास की गति तेज हुई अल्प समय में,
प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल रही है ।

मान्यवर, आगे है ।

सब को का हो उत्थान मेरा संकल्प यही है,
छेड़ा है जो अभियान समय अल्प नहीं है,
कोई कितनी कोशिश करे सफल नहीं होगा,
अब भाजपा का यू० पी० में कोई विकल्प नहीं है ।

मान्यवर, आगे है ।

गांवों को उनका हक है पहली बार मिल रहा,
शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य का सम्पूर्ण भार मिल रहा,
हैण्ड पम्प, युवा कल्याण, कृषि और वितरण प्रणाली,
सबकी देख-रेख का पूरा अधिकार मिल रहा ।

मान्यवर, आगे है ।

परित्यक्ताओं के भरण पोषण का उपचार किया है,
पांच सौ की जगह व्यवस्था पांच हजार किया है,
सरकारी नौकरी में भी महिलाओं के लिए,
आरक्षण बीस प्रतिशत मेरी सरकार दिया है ।

मान्यवर, आगे है ।

सरकार की उपलब्धियां सुहाती न इन्हें,
कल्याण की बढ़ती छवि सही भाती न इन्हें,
कल्याणकारी बजट को छलावा डपोरशंखी,
जनविरोधी झूठा कहते शर्म आती न इन्हें ।

मान्यवर, अन्त में धन्यवाद दे रहा हूं ।

अन्त में धन्यवाद है श्रीमान आपका,
जनता सराहती है ऐसा ज्ञान आपका,
जनाकांक्षा के अनुरूप कर रहित बजट ले आए,
धन्यवाद प्रस्तुतकर्ता श्री कल्याण आपका !

मान्यवर, इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए मान्यवर, अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

(धन्यवाद)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, बजट की इस सामान्य चर्चा में अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य दोस्तों ने जो अपनी राय रखी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । बीच में हमारे एक दोस्त ने कानून व्यवस्था को सराहा । अभी दुर्गा प्रसाद नाम के एक सिपाही का डी०जी०पी० कार्यालय के सामने कत्ल कर दिया गया । अभी एक सत्तारूढ़ दल के विधायक जो डा० हैं बोल रहे थे कि उनके नेता कल्याण सिंह सबका आपरेशन कर देते हैं । बिजली का आपरेशन कर दिया । कोई बच्चा गया उसका आपरेशन कर दिया । कोई महिला गयी कहा कि मेरा भी आपरेशन कर दीजिये कहा कि जरा रुको । तुम देखने में ठीक-ठाक हो दूसरे कमरे में बात करते हैं । मान्यवर, हो क्या रहा है ? दिल्ली में सरकार आम राय से और उत्तर प्रदेश की सरकार कुसुम राय से । आज एक सिपाही की दिन दहाड़े हत्या हो गयी ।

भरत सिंह जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं । हमारे दोस्त हैं । बड़ी डींगें हांक रहे थे । हमसे लोग कहने लगे तो हमने कहा कि कह लेने दो कह रहे थे कि महिलाओं का बड़ा कल्याण कर दिया । क्या डींग मारते हों आप महिला कल्याण के लिए कोई कानून लायें । एक महिला पर रोने वाले एक विधायक जी चले गये । बिहार की एक महिला थी उसकी सरकार को गिराने में आपने बेशर्मी अख्तियार कर लिया । एक पिछड़ी जाति की महिला थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे दिल्ली और लखनऊ की बात करते हो ।

मान्यवर, दो चीजें मैंने बता दी एक तो आपकी सरकार 'राय' में फंस गयी और दूसरे महिला कल्याण की कहीं कोई बात नहीं है और तीसरे कानून व्यवस्था की बात कोई करे तो करे । माननीय मुलायम सिंह जी ने भी दो बार इस प्रदेश की सरकार चलाकर सदन में और गांव के चप्पे-चप्पे में कर दिया था कि कानून व्यवस्था क्या होती है । आपकी सरकार राय में फंस गयी है और आप कानून व्यवस्था की बात करते हो । आपकी क्या हैसियत है सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद ? भाई मौर्य जी ने बता दिया कि आपकी स्थिति क्या है ? गेहूं, चावल, शक्कर दे नहीं सकते हो और पुल, पुलिया, सड़क की बात करते हो ।

(सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

आप सब लोग सत्ता पक्ष के हैं हमको नहीं सुनने को तैयार होंगे तो 19 करोड़ आदमी को देखने की जरूरत भी नहीं समझोंगे।

मान्यवर, गेहूं, चावल, चीनी जो राशन की दुकान से मिलता था गरीबों को मिलता था उनके मुंह से आपने चावल, चीनी और रोटियां छीन लिया। गेहूं आपने मंहगा कर दिया। चावल मंहगा कर दिया।

मैं आपको बता सकता हूं कि चाहे कोई भी सरकार आयी हो लेकिन उसने गरीब के मुंह से राशन की दुकान की गेहूं, शक्कर, चावल नहीं छीना है। यह काम केवल आपने किया है। आप भयमुक्त समाज का नारा लगाते हैं। आपके राज्य में जितने अपराध, चोरी, डकैती, लूट, हत्यायें हुयी हैं। वह आज तक नहीं हुयीं। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में डकैतियों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। लूट में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और हत्याओं में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

आज 100-100 गाड़ियों में लोग लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं और इस प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो किसान, मजदूर, व्यापारी का है उसको लूटने के काम में लगे हैं। यह काम मत करिये। अभी सवाल आया था जवाब में कहा गया कि गाड़ियों, खर्चों में कटौती कर दी गयी है। लेकिन बराबर गाड़ियां दौड़ रही हैं अपने पैसे से चलें तो जानें। निगमों की जो गाड़ियां लगा रखी हैं उनसे मौज मस्ती मत करिये नहीं तो कोई सरकार आयेगी तो हथकड़ियां पहन कर जेल जाने को तैयार रहिये। आप जवान, वृद्ध, बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाये। आज राजधानी में अपराध बढ़े हैं। अभी हमारे नेता विपक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है? आप प्रदेश की बात करते हैं आप अपने अलीगढ़ को ले लीजिये। आपकी नाक के नीचे वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं। आप उसको रोकना चाहेंगे तब भी रोक नहीं सकते हैं।

माननीय कल्याण सिंह जी साफ कर दें। मंत्रियों के संबंध में रिपोर्ट आ गयी है। अखबार, टी०वी० पर घोषणा करें कि अमुक मंत्री चोरी, डकैती, राहजनी, लड़कियों की छेड़-छाड़ का दोषी पाया गया है। उसको मैं मंत्रि-मण्डल से निकालता हूं। लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं। आपमें हिम्मत नहीं है। जनता के बीच आप की जाने की हिम्मत नहीं है। आप अपने लोगों को सुधार नहीं सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं, अस्पतालों में बहुत दिनों से दवा, पट्टी नहीं है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। जो अस्पताल जाता है मौत को साथ लेकर जाता है और कफन पहन कर लौटकर आता है। हमारे यहां पर एक सेतु बन रहा था। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार जब थी और जहां पर आप बैठते हैं वहां पर माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो पी०डब्लू०डी० और संसदीय कार्य मंत्री थे उन्होंने सरयू नदी पर एक पुल की स्वीकृति दी थी, वह पुल गोण्डा और बहराइच को जोड़ता, उस पर काम चल रहा था लेकिन मौजूदा पी०डब्लू०डी० मंत्री को मालूम हुआ तो उसको रुकवा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि विकास के कार्य को चाहे जिस सरकार ने शुरू किया हो उसको मत रोकिये विकास कार्यों को आप आगे बढ़ाइये और ले चलिए प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर हम आपकी प्रशंसा करेंगे।

मान्यवर, गन्ना किसानों का बकाया जो है उसको आज तक नहीं दे पाये है और आगे भी नहीं दे पायेंगे। आप गन्ने का पैसा बढ़ाने की बात करते हैं आपने उस गन्ने का दाम बढ़ाया है जो 2 प्रतिशत लोग बोते हैं। आज सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अभी बाढ़ आयी थी, सत्तारूढ़ दल के विधायक अपने क्षेत्र में ऐसे रो रहे थे जैसे अबला औरत रो रही हो, विधायक ऐसे रो रहे थे जैसे किसी महिला की साड़ी खींचकर निर्वस्त्र किया जा रहा हो। मान्यवर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर में बाढ़ की क्या स्थिति हुई वह आप जानते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में नई व्यवस्था डालिये। आज हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे को थोड़े लोग खाकर बढ़े जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार का आपरेशन करें हम आपका साथ देंगे। भ्रष्टाचार का आपरेशन आप कैसे करेंगे जब आपके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो भ्रष्टाचार का आपरेशन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार का आपरेशन वही कर सकता है जो भ्रष्टाचार से दूर हो। ...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

महिलाओं की बात कही गयी । आज दलित औरतों का कत्ल हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है और आप बेशरमी और बेहायी से विधान सभा में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने सब ठीक कर लिया है । आपके हाथ रंगे हैं उस पर पालिश कितनी भी की जाये वह दूर नहीं हो सकता । जिले में किसका विकास हो रहा है, कहां विकास हो रहा है, जो पुरानी सरकार थी, जब दो बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बिजली की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की, किसान को उर्वरक दिया गया । हिम्मत हो तो आप यूरिया के दाम घटायें । आप सब लोग आज कहां खड़े हैं ? बाढ़ आयी उसके बाद किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया किसानों को फसल की बुवाई के लिए बीज देने की सरकार ने घोषणा की लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, बीज उस समय दिया जाता है जब उसे आवश्यकता हो बुवाई के समय, उसके बाद देने से क्या फायदा ? आपने बीज दिया लेकिन राशन का गेहूं बीज के लिए दिया । .....

श्री अधिष्ठाता–

मा० राम तेज जी, अब समाप्त करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अभी डा० धर्मज्ञ मिश्र जी कह रहे थे कि हमारे यहां बीज गया ही नहीं । अभी बांध बनाये जाने की बात आयी, मान्यवर, यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है । आम आदमी के सुख-दुख में खड़े होने की बात होनी चाहिए । दिनोंदिन यह समाज भयभीत होता जा रहा है । मुठभेड़ में समाजवादी पार्टी के ही नहीं, हमारे बसपा के नौजवान बेटे-बेटियों को मारा जा रहा है । माननीय अधिष्ठाता जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वह यह कि अल्पसंख्यकों के लिए आप रोना रोते हैं आप उनके बहुत करीब जाना चाहते हैं । अली मियां के घर पर आपने छापा मारा । उनके घर पर आपने छापा डालकर इतना निन्दनीय और घृणित कार्य किया है उसके लिए आपको जितनी सजा दी जाये वह कम है, आप मुंह छिपाने के काबिल नहीं हैं । अली मियां एक बहुत बड़ी ताकत हैं आपको किसी कमजोर आदमी को भी नहीं सताना चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े अफलातून नष्ट हो गये, यह भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है । दल-बदल करके जाने वाले लोग जो फर्राटे के साथ लालबत्ती में घूमते हो अगर आज भी अपनी जगह आ जाओ तो शायद जान बच जाये । इसी के साथ इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य साथियों ने जो अपनी बातें रखी हैं उस पर मैं बल देता हूं । फिर कभी मौका आयेगा तो अपने साथियों से जो सत्तापक्ष में बैठे हैं, से कहूंगा कि वह अच्छा रास्ता पकड़ें ।

* श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के लौह-पुरुष, माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । आज वर्तमान प्रदेश की जर्जर एवं दयनीय स्थिति में .....

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो ढ़ांचा खड़ा किया गया था उन कठिन परिस्थियों में आज बजट पेश किया गया है । यह प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगा ऐसे लौह पुरुष की मैं प्रशंसा करता हूं । यह पहला अवसर है जब महिलाओं के कल्याण पर 50 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है । उत्तर प्रदेश में यह पहला अवसर है जब परित्यक्ता महिलाओं को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये दिलाने की व्यवस्था की गयी है । यही नहीं शिक्षा की गारण्टी भी लागू की गयी है । जिस मजरे में छात्र-छात्राओं की संख्या 30 हो वहां शिक्षा समिति द्वारा पढ़ने के लिए किसी बेरोजगार को नियुक्त कर दिया जाए इससे प्रशंसा की बात होगी । जिसका खर्च शासन वहन करे । यही नहीं जहां अबलाओं/विधवाओं का कोई सहारा नहीं था उसके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था मथुरा जनपद में बृन्दावन गोवर्धन में की गयी है । उनके रैन बसेरा के लिए 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं ।

महिला उत्थान के लिए जो कार्यक्रम मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, लागू करने का प्राविधान किया गया है वह अन्य सरकारों द्वारा नहीं किया गया है । यही नहीं भू-माफियाओं, अपराधियों द्वारा जो ताण्डव नृत्य किया जा रहा था उसको रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की व्यवस्था श्री कल्याण सिंह जी की सरकार द्वारा की गयी । यही नहीं पर्यटन नीति के द्वारा जो प्रदेश को दिशा दी गयी है वह इसके पहले कभी नहीं किया गया । इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । यही नहीं निर्यात नीति को उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं किया गया अब निर्यात निगम की व्यवस्था जो की गयी है यह सराहनीय कदम है । उत्तर प्रदेश में पहले उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था भू-माफियाओं और अपराधियों के डर से, आज पूंजीपति यहां पर इन्वेस्टमेन्ट कर रहे हैं । इसके लिए जो बजट में प्राविधान किया गया है उसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूं । पूर्व मुख्य मंत्री मायावती बहन की सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को पूर्व में जो दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था उसको खत्म कर दिया था किन परिस्थितियों में यह किया गया था यह समझ में नहीं आ रहा है । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आयोग के अधिकार पुनः बहाल हों । श्रीमन् उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा का अपना एक महत्व है । इसलिए ब्रज भाषा अकादमी खोलने की व्यवस्था अगर इस बजट में होती तो अच्छा होता । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन में अपर कैनाल कोशी रजबहा जो 23 कि०मी० की है पर रेगुलेटर की व्यवस्था की जाय । जिससे 18 गांव के लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा । हमारे यहां एक राजकीय छात्रावास बना हुआ है । जिस पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है । परन्तु उसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने कब्जियाया हुआ है । मेरा अनुरोध है कि इसे छात्रावास को दिया जाय । मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री अनीस खां –

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । इस मौके पर सत्ता पक्ष के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने अपनी-अपनी बातें, जो सच्चाई थी, जहां हम बैठे हैं, वहीं पर बैठकर गाना गाते रहे हैं कि झूठ के पुलिन्दे का जो बजट इस सदन में पेश किया गया था, वह इस प्रदेश की जनता के बिल्कुल खिलाफ है । जब से यह भारतीय जनता पार्टी तथा इनके सहयोगियों की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश की जनता कराह रही है । आज बी०जे०पी० का यह जो बड़ा मंत्रि मण्डल है वह अपनी सुख-सुविधाओं और अपने परिवार की खुशहाली के लिये अपना दिमाग लगा रहा है । प्रदेश की जनता के प्रति इनके दिलों में कोई हमदर्दी नहीं है । जबसे इनकी सरकार बनी है । पहली बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बाढ़ आयी और उसे इस प्रदेश की जनता ने झेला है । मान्यवर, यह सच्चाई है कि जब प्रदेश और देश में इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार की सरकार बनती है और जिनकी नीयतों में खोट होता है उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है । प्रदेश में आयी बाढ़ से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट गई परन्तु उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और कोई राहत नहीं दी गई । आज लम्बी-चौड़ी दुहाई देकर सरकार का बखान करते हैं । कानून व्यवस्था का डंका पीटने वाली यह सरकार का भयमुक्त समाज होगा । कानून का राज होगा का एक झूठा नारा है । हम भी जेल की सलाखों के पीछे गये हैं । हमने भी जेल के अन्दर देखा है । 60 या 50 प्रतिशत लोग एन०डी०पी०एस०, दफा–25 और एन०एस०ए० जैसी धाराओं में जेल में भेजे गये हैं । एन०एस०ए० ऐसे मुल्जिम लोगों पर जो पान बीड़ी बेचते हैं । रिक्शा चलाते हैं । उन पर लगाया गया है । आप अपनी सरकार की तारीफ करते हैं ।

मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ है जितनी भी सरकारें रही हैं सबमें निकम्मी सरकार बी०जे०पी० की रही है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि आज विधान सभा भंग कर दी जाय चुनाव की घोषणा कर दें तो यह लोग अपनी जमानत नहीं बचा पायेंगे । यह लोग कभी भी सत्ता की दहलीज पर कदम नहीं रख पायेंगे । यह राम मन्दिर की बात करते हैं । जहां मेरा जनपद पीलीभीत है वहां पर अभी 20 दिन पहले वहां के प्रशासन ने 5 मंदिरों को बुलडोजर से गिरा दिया । किसके कहने पर बी०जे०पी० की सरकार प्रदेश में है । देश में भी इनकी सरकार है । उस देश की मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी के इशारे पर 5 मंदिरों को गिरा दिया । पूरे जिले में हलचल हो गया । यह मन्दिर की बात करते हैं । मंदिर के नाम पर लोगों के वोट लेकर प्रदेश और देश में सरकार बनाने की बात करते हैं । अपने घर और परिवार को खुशहाल करने की बात करते हैं । हमारा जनपद बहुत ही बेहतरीन जनपद है वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं । यह कहते हैं कि हम आंकड़े उठाकर देखते हैं । माननीय अधिष्ठाता जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है । मैं उसका विरोध करता हूं और यह बिल्कुल ही जनता के हित का नहीं है । धन्यवाद ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक समय पर बजट पेश किया है । इससे पहले कुछ वर्षों से कभी भी ठीक समय पर बजट प्रस्तुत नहीं हुआ । मा० मुख्य मंत्री जी ने नियमित बजट प्रस्तुत करके इतिहास में एक पन्ना जोड़ा है । महोदय वैसे तो बजट में अनेकों घोषणाएं की गयी हैं । किन्तु मैं कुछ की ही चर्चा करना चाहूंगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं । वह लखनऊ की मध्य विधान सभा है । जहां शिया और सुन्नी सम्प्रदाय के लोग रहते हैं । मैंने आज से वर्षों पहले कांग्रेस का भी शासन देखा है जिसमें शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं । एक दूसरे के घर में आग लगा देते थे । त्राहि-त्राहि मची रहती थी । बी०जे०पी० की सरकार के कारण ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और आवास एवं नगर विकास मंत्री लाल जी टण्डन के अथक प्रयासों से आज शिया सुन्नी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार है । जिसने गुण्डा अपराधियों और माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिये विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है । जिसके कारण हमारे जो मित्र यहां सामने बैठे फब्तियां कस रहे हैं । इनके मित्र या तो जेलों के अन्दर हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर बाहर चले गये हैं । अनेक कुख्यात अपराधी मारे गये हैं । मान्यवर, आजादी के 50 वर्ष हो गये हैं । इन 50 वर्षों में 40 वर्ष तक या तो कांग्रेस का शासन रहा या सामने बैठे विपक्ष में मुलायम सिंह जी का राज रहा । इनके अन्दर इस बात का दम नहीं था कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 20 प्रतिशत का आरक्षण देते । मैं

बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने महिलाओं को नौकरी में 20 प्रतिशत का केवल आरक्षण ही नहीं दिया बल्कि स्नातक स्तर तक कन्याओं के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान भी किया है ।

मान्यवर, मैं विरोध पक्ष के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने क्यों व्यवस्था नहीं किया था ? इतिहास में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो हिम्मत करके ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं और ऐसे लोगों के बारे में एक कवि ने लिखा है–

कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है ।
इतिहास याद करता उसको, वह शूरवीर कहलाता है ।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं जो प्रदेश के हित में हैं ।

मान्यवर, मैं एक अधिवक्ता हूं । अनेक सरकारें आयी हैं और गयी हैं लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण की बात नहीं किया । इस सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम किया है । इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं ।

मान्यवर, सी०आर०पी०सी० की धारा 125 के तहत जब किसी परित्यकता स्त्री का पति माता तथा पिता को उसका पुत्र भरण-पोषण नहीं करता था । तो उसे न्यायालय में वाद दायर करके गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । जिसके तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सीमा थी कि वह अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह तक दे सकता था । लेकिन इस सरकार ने उस सीमा को बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया है । इसके लिए मैं मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह को बधाई देता हूं ।

मान्यवर, इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में खोलने की घोषणा हमारी सरकार ने किया है । जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होगी । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सत्र के दौरान उसने घोषणा किया है कि डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक और कर्मचारी हैं । उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा और पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिया जाएगा । यह हमारी सरकार ने कल्याणकारी काम किया है ।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में बैठकर मेरे मित्र पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो कर गुणों के आधार पर बजट का समर्थन करें ।

मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर,
बन्दा परवर मुंसिफी करना खुदा को देखकर ।

धन्यवाद ।

श्री दिलीप कुमार–

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी द्वारा वर्ष 1999-2000 बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं और नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, सबसे पहले कानून व्यवस्था की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि माफिया, गुण्डे जेल में होंगे लेकिन राजभवन के सामने हत्या हो रही है । डी०जी०पी० कार्यालय के सामने सिपाही की हत्या हो रही है और

समाजवादी पार्टी के निर्दोष लोगों को भदोही में मारा जा रहा है । मान्यवर, भदोही में ओम प्रकाश को जो श्री मुलायम सिंह युवक ब्रिग्रेड का नेता था उसको मार दिया जाता है । उसे धनन्जय सिंह कहा जाता है कि मार दिया गया लेकिन जब वह कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो सरकार को जवाब नहीं देते बनता है । मान्यवर, आज कानून व्यवस्था के नाम पर माफिया लोगों के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सरकार मरवाने का काम कर रही है । इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं यह गलत फहमी में न पड़े यह लोकतंत्र है अगर आज भी चुनाव हो जाएं तो आप लोगों की जमानत नहीं बच पायेगी अगर आप सरकार में बैठे हैं तो बगल में बैठे लोगों की वजह से हैं आज भी हमारे नेताओं की वजह से किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं । अगर यह नेता थोड़ी होशियारी से काम करें तो आप लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो चर्चायें भी लगी हैं ।

श्री दिलीप कुमार–

कानून व्यवस्था के नाम पर निरपराधियों को दण्ड दिया जाता है यह गलत है । अब मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान छेड़ा है । गड्ढों को ठीक कराने के लिए सड़कों को ठीक कराने के लिए करोड़ों का घपला मंत्रीगण कर रहे हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बहराइच जिले महसी में शिक्षा के नाम पर कोई विद्यालय नहीं है वहां पर महाविद्यालय की स्थापना कराई जाए । मान्यवर, भगवानपुर इमामगंज बांध पर लेपन कराया जाय । और सरजू नदी जो बहती है वहां बौड़ी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय । बड़ी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं एक संस्कृत का श्लोक थोड़े संशोधन के साथ कहना चाहूंगा–

विरोध पक्षः सर्शप मात्राणि परक्षिद्राणि पश्यति,

आत्मनः बिल्व मात्राणि जा नन्नपि न पश्यति ।।

इसका अर्थ हमारे विरोध पक्ष पर चरितार्थ हो रहा है ।

मान्यवर, अगर सरसों के बराबर कुछ कमी देखते हैं तो उसे बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं और अपने जमाने की जो बेल के समान कमियां थीं उसको जानते हुए भी नहीं देखते हैं । यहां बहुत बखान किया गया अपने पुराने शासन का वर्णन किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय अतिथि गृह में मायावती के साथ काण्ड हुआ । वह किसने किया था । न्यायपालिका पर और कार्यपालिका पर और पत्रकारों पर जो हल्ला बोल किया गया था । वह किसने किया था । रामपुर में रामपुर तिराहे पर जो काण्ड हुआ था । वह कब किया गया था ? चलिए यह बात जो इन्होंने कही यह तो उसके संबंध में है । मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है । यह बहुआयामी और विकासोन्मुखी बजट है । इसलिए मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं । सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुरक्षा की भावना की नींव पर प्रदेश के समग्र विकास विद्युत और सड़क की प्रगति कृषि व उद्योग का तीव्र गति से विकास गांव गरीब किसानों की उन्नति में इस बजट की मुख्य भूमिका है । समाज के दलित, पिछड़े, वंचित निर्धन अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण उनकी साक्षरता की अभिवृद्धि में इस बजट का सार्थक प्रयास है । विभिन्न प्रकार की नीतियां जैसे विकास नीति, उद्योग नीति, निर्यात नीति, पर्यटन नीति, वन नीति,

खनिज नीति बनाने से विकास को सही दिशा मिल सकेगी कृषि नीति जल नीति, ऊर्जा नीति, फिल्म नीति सूचना और उद्योग नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति प्रतिपादित होने जा रही है । सभी के लिए शिक्षा परियोजना, शिक्षा गारण्टी योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त जमीन पर हक विधवा को देना, बच्चों के अभिभावकों में माता का नाम जोड़ना, असेवित विकास खण्ड में कन्या उच्चतर विद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना यह सब हमारी सरकार की देन है । इसलिए मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं । इसके साथ ही यह सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने शिक्षा में बड़े आयाम प्रस्तुत किये हैं । परन्तु स्कूल के नाम होने वाली जो बसे हैं उन पर पहले यात्री कर नहीं पड़ता था । 11 नवम्बर, 1998 को परिवहन एक्ट में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार स्कूल के नाम की जो बसे हैं उन पर यात्री कर लगा दिया है । 21 से 41 सीटों वाली बसों पर लगभग छः हजार दो सौ पचास रुपया प्रति माह लगेगा । ऐसी स्थिति में स्कूल के नाम की जो बसें हैं जो कि विद्यार्थियों को लाने और ले जाने का काम करती हैं के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यात्री कर निर्धारित किया गया है उसको समाप्त किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने माननीय मुख्य मंत्री..

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा कल जारी रहेगी ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, एक दो सदस्य और हैं उनको बोल लेने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । आजाद जी आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

आपने माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह गरीबों, मजदूरों और किसानों का शोषण करने वाला बजट है । सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, जिन लोगों ने अपनी-अपनी बातें कहीं हैं । जिनके मुताबिक यह लगता है कि यह प्रदेश में अमन चैन है, कोई समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है और यह विकास के रास्ते पर चल रहा है । लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश की 16 करोड़ किसान जनता का शोषण हो रहा है । मान्यवर, वह सरकार यदि कृषि में ध्यान दें तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह पूरे देश को खाना खिला सकता है । लेकिन वह किसान का शोषण करने वाली सरकार है । इसने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है । मान्यवर, 1997 में इनकी सरकार ने 100 रुपये साढ़े सात सौ रुपये डी०ए०पी० में दाम बढ़ाये, 98–99 में 480 रुपये प्रति टन यूरिया में दाम बढ़ाये । चीनी में दाम 1.45 रुपये किलो सन् 97 में दाम बढ़ाये । इसी प्रकार 44 प्रतिशत गेहूं में बढ़ोत्तरी हुई, 64 प्रतिशत चावल में, पांच प्रतिशत चीनी में, 11 प्रतिशत खाद में, 12 प्रतिशत रसोई गैस में बढ़ोत्तरी हुई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो न्यूनतम गन्ने मूल्य पर मिलने वाले कमीशन के रूप गन्ना तीन रुपये कटौती सहकारी समितियों में विभाग के लिये होती है सरकार ने दो

रुपया माफ कर दिया और एक रुपया कर दिया है। इसी प्रकार से चीनी उद्योगपतियों के दबाव में 90 करोड़ से अधिक का लाभ उनको दिया है। 96–97 में जो गन्ना क्रय कर चीनी मिल पर 42 करोड़ रुपया बकाया था वह 21 करोड़ कर दिया। इसी तरह से गन्ना किसानों का शोषण किया है और जो गन्ना किसानों का चीनी मिलो पर 200 करोड़ रुपया बकाया था, आज तक एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मान्यवर, बभनांन शुगर मिल द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, घटतौली हो रही है गन्ना क्रय केन्द्रों पर किसानों से वहां गन्ना लदवाया जाता है, जब तक बैलगाड़ी खाली नहीं हो जाती तब तक गन्ना तौल बन्द कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वहां के हैं। नवाबगंज शुगर मिल बन्द कर दी गयी इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कह दें कि अगर मिल नहीं चली तो इस्तीफा दे देंगे।

मान्यवर, 72 घन्टे में बिजली के ट्रांसफारमर को बदल देने की बात हुई कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ का नारा दिया गया। कटिया के कनेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन उस ट्रांसफारमर की क्षमता उतनी ही है उसे बदलने की बात नहीं की जा रही है। पूरी तरह से यह सरकार जनता का शोषण कर रही है। सिंचाई ऊर्जा यह जनता के विकास की कड़ी हैं। जितने दिन यह सरकार रहेगी सरकार जनता का खून चूसेगी। कुलाबे खराब पड़े हैं ट्रांसफारमर खराब हैं। इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। ग्राम सभा और न्याय पंचायत में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल खोल देंगे। अगर प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो यहां विकास के रास्ते भी खुलेंगे लोगों का उत्थान होगा लेकिन यह सरकार यहां जानबूझकर शिक्षा के स्तर को गिरा रही है। इस सरकार ने किसी भी जिले में डिग्री कालेज और इन्टर कालेज की व्यवस्था नहीं की है। अनुसूचित जाति के और गरीब तबके के जो लोग हैं कहा गया कि उनके बच्चों की शिक्षा इन्टर तक निःशुल्क कर देंगे नहीं किया गया जिससे गरीबों में जनाक्रोश है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम बिशुन आजाद–

जनपद गोण्डा में जिला अस्पताल में जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है वहां पर डा०. गरीबों का शोषण करते हैं जब तक वे पैसा नहीं देते हैं डा० हाथ नहीं लगाते हैं। यह सरकार गरीबों के विकास की बात करती है, गरीबों का शोषण इस सरकार में हो रहा है। गद्दा मुक्ति योजना में जनपद में एक एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है सारा पैसा जितने भी मंत्री हैं यह कौरव दल अपने विकास में खर्च किये हैं। स्टेट सेक्टर योजनाओं में एक नया पैसा जनपद में विकास के लिए आवंटन नहीं हुआ है। जो मार्ग मिट्टी से लेकर पत्थर तक बने हुए हैं कटकर गिर गये हैं। कानून व्यवस्था में पूरे प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है। अपराधी लोग संरक्षण में घूम रहे हैं, पूरा प्रदेश जल रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। महराजगंज ग्रेन्ट, कुडासन और मांडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दे दिया जाय। मैं मांग करता हूं कि हमारी मनकापुर तहसील मुख्यालय पर एक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो, तहसील मुख्यालय पर एक महिला अस्पताल की स्थापना की जाय, सावरपुर झिलाई में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जाय और मसकनवा वजीरगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो सड़के मिट्टी और कंकरीट स्तर तक है उनका शीघ्र लेपन करवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट जो माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह सरकार बधाई की पात्र है कि 1999 का बजट सही समय पर प्रस्तुत करके नियोजित नियोजन का शुभारम्भ किया है और वित्तीय अनुशासन में अग्रिम भूमिका अदा की है । इससे इस प्रदेश के नागरिक को जो गरीब हैं जो मजदूर हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, शिशु हो, बुजुर्ग हो या महिला हो इससे सभी का सर्वांगीण विकास होना सुनिश्चित हो जायेगा ।

मान्यवर, मैं इस प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने मार्ग विकास नीति घोषित की है, उद्योग नीति घोषित की है, निर्यात नीति घोषित की है, पर्यटन नीति, वन नीति, खनन नीति घोषित की है और साथ ही साथ इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि बहुत शीघ्र ही कृषि नीति, जल नीति, ऊर्जा नीति, फिल्म नीति, सूचना प्रोद्योगिकी नीति घोषित करने जा रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण नीति, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति लागू करने जा रहे हैं । हमारे कुछ विरोध पक्ष के भाई कह रहे थे कि सरकार किसानों के लिए नहीं सोच रही है । मैं आंकड़े के हिसाब से बताना चाहता हूं कि वर्ष 98-99 में 835.71 करोड़ अल्पकालीन ऋण 917 करोड़ मध्यकालीन ऋण और 451.65 करोड़ दीर्घकालीन ऋण का वितरण किसानों को किया गया था और अब 99–2000 में 1075 करोड़ का फसल ऋण किसानों को देने का सरकार ने मन बनाया है । 2 करोड़ 41 लाख 25 हजार 262 किसानों को किसान बहियां वितरित की गयी है और 660 करोड़ रुपये की लागत की 4 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है जिससे एक लाख 35 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी और 176 नलकूपों का निर्माण तथा 500 नलकूपों के निर्माण की प्रतिबद्धता हमारी है । 8 करोड़ 3 लाख 87 हजार मानव दिवस के रोजगार हेतु 651 करोड़ 26 लाख की व्यवस्था, 2 लाख 11 हजार 249 गरीब परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण की उपलब्धता हमारी सरकार द्वारा करायी गयी है ।

मान्यवर, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने 70 प्रतिशत अंश कृषि एवं ग्रामीण पर खर्च किया है, 25 प्रतिशत अनुदान गेहूं के बीजों पर दिया है और 5 नई चीनी मिलों की स्थापना की है, अगैती गन्ना प्रजातियों के लिए 85 रु० व सामान्य प्रजातियों के लिए 80 रुपया प्रति कुन्तल मूल्य का निर्धारण किया जिससे 200 करोड़ का फायदा किसानों को हुआ है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है । जनसंख्या पर हमारी सरकार काबू करने का मन बना चुकी है । मैं समझता हूं कि इससे अब हमारे प्रदेश का विकास होगा । 1999 में जन्मदर प्रतिहजार जनसंख्या पर 35.4 प्रतिशत और मृत्युदर 11 प्रतिशत थी । हमारा सुझाव है कि हम पुरूष नसबन्दियों को प्राथमिकता दें और इसका प्रचार प्रसार किया जाय । सभी सम्मानित विरोध पक्ष में बैठे हुए लोगों से अनुरोध करूंगा कि वह भी इस प्रदेश की समस्या को जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना सहयोग करें और अपनी सहयोगी भूमिका निभायें ।

जब इस प्रदेश की जनसंख्या पर कन्ट्रोल करेंगे तो पूरे प्रदेश पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा ।

एक आवाज–

आपने कितना कन्ट्रोल किया है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, हमारे सम्मानित विधायक ने पूछा है कि मैं और मेरी पत्नी के कितने बच्चे हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे एक पुत्र और एक पुत्री है । परिवार नियोजन का जो नारा है, हम दो–हमारे

दो, इसका हमने पालन किया है। मेरा यह कहना है कि भविष्य के लिए हम दो, हमारे एक का नारा होना चाहिए। मैं पेशे से चिकित्सक हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि रोकने में आप सहयोग करें तो प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि पर कन्ट्रोल होगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, पिछली बार प्रदेश में 119207 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–II लगाये गये और 18564 हैण्ड पम्पों की री-बोरिंग की गयी। इसी तरह से वर्ष 1999-2000 में 210.26 करोड़ रुपये पेयजल हेतु है। 1999-2000 में 20 हजार हैण्ड पम्प हम लगाने जा रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 61900 परिवारों को आवास दिलाये गये। 2 लाख 7000 आवासों को इस बार देने का प्राविधान हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये सरकार के इस बजट के समर्थन में मैं अपना मत देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि प्रतिपक्ष के विधायक प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने में रचनात्मक सहयोग देंगे ताकि प्रदेश को हम ऐसे स्थान पर ले जा सकें जिसकी न केवल देश में बल्कि संसार में चर्चा हो।

श्री राजा रामपाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा कल जारी रहेगी।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, हमें भी मौका दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

आपको कल अवसर मिलेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इसमें से डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना भारत सरकार की भांति शहरी भूमि हदबन्दी कानून को प्रदेश में भी समाप्त किये जाने के संबंध है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तीसरी सूचना श्री तेजभान जी की जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम मऊ की खतौनी गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा कालेज को बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनवाकर कथित रूप से भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की औद्योगिक जनपद भदोही, सन्त रविदास नगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोमानक सड़कों के निर्माण तथा अनियमिततायें बरते जाने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री बी० आर० वर्मा की स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज, मड़ियाहूं, जौनपुर के प्रधानाचार्य द्वारा उनके विरुद्ध चल रही जांच को प्रभावित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई। श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री अजय भट्ट, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री विजय पाल सिंह, डा० राम बाबू हरित, श्री आचार्य रामदेव वैश्य, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी", श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री अफजाल अहमद एवं श्री रामतेज यादव एडवोकेट।

प्रदेश में निर्धारित परिव्यय से सड़कों के पुनर्निमाण पर रोक से उत्पन्न अव्यवस्था, के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 की जिला योजना के अन्तर्गत मार्ग/सेतु के नये कार्यों हेतु रु० 50.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों/लघु सेतुओं के लिए नये कार्यों की स्वीकृतियां निर्गत करने के अधिकार शासनादेश संख्या–4350ई/23-11-98-81ई/98, दिनांक 6-8-98 द्वारा मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित किये गये है और जनपदवार धनराशि को पांट शासनादेश दिनांक 28-8-98 द्वारा निर्गत की गयी है। इन अधिकारों के अन्तर्गत मण्डलायुक्तों द्वारा स्वीकृत किये जा रहे नये कार्यों में पुनर्निर्माण कार्य भी सम्मिलित किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया। इस परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–5377ई/23-11-98-81ई/98, दिनांक 3-11-98 द्वारा यह निर्देश निंगत किये गये कि लोक निर्माण विभाग की जिला योजना के अन्तर्गत असम्पर्कित ग्रामों को सर्वऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने की नये कार्यों हेतु व्यवस्था है न कि पुराने मार्गों के पुनर्निर्माण की। अतः यदि जिला योजना के अन्तर्गत पुनः निर्माण के कार्य कराये जा रहे हों तो इन कार्यों को तत्काल रोक दिया जाय तथा ऐसे मार्गों का मार्गवार विवरण शासन को भेज दिया जाय। पुनः राज्य योजना आयोग–2 के शासनादेश संख्या–10/1/35–आ–2/97-77,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 21-12-98 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि जिला योजना के अन्तर्गत नये कार्यों हेतु उपलब्ध होने वाली धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं ग्रामों के नवीन सम्पर्क मार्गों पर किया जायेगा जो पहले से किसी दशा में सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े है । साथ ही पुनर्निर्माण, मरम्मत, नाली निर्माण, शहरी क्षेत्रों में खड़न्जा इत्यादि पर जिला योजना की धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा । स्वीकृत सभी कार्यों को पुनः जांच कर ली जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि जिला योजना से उपलब्ध हुई धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं ग्रामों के सम्पर्क मार्गों पर हो, जो पहले से किसी भी दिशा से सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हुए हों, साथ ही, पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त मार्गों, मरम्मत, रख-रखाव, शहरी क्षेत्रों में खड़न्जा, नाली निर्माण, आदि से संबंधित जो कार्य स्वीकृत हो गये हों, उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाय । यह व्यवस्था जिला योजना में उपलब्ध धनराशि के सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क विचारोपरान्त लागू की गई है और जिला योजना कार्यों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2–शासन द्वारा मार्ग विकास नीति, 1998 घोषित की गयी है । मार्ग विकास नीति के अनुसार सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है । जिसके अनुसार एक हजार से अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों को वर्ष 2005 तक, एक हजार से कम आबादी वाले समस्त ग्रामों को वर्ष 2010 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लक्ष्य की पूर्ति हेतु पुनर्निर्माण, मरम्मत सम्बन्धी कार्यों को जिला योजना के कार्यों में न सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया । विभाग के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण मरम्मत एवं बाढ़/अतिवृष्टि/जल भराव से क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण हेतु अलग से बजट व्यवस्था अनुरक्षण मद में करायी जाती है । मार्गों को गड्ढा मुक्त रखा जाना सड़क नीति का एक अंग बनाया गया है जिसके माध्यम से मार्गों पर गड्ढों की मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने एवं समस्त मार्ग निरन्तर गड्ढामुक्त रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अतः पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों को जिलायोजनाओं में नये कार्यों में सम्मिलित करके स्वीकृत करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध औचित्यपूर्ण है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, पुनर्निर्माण के लिए जो सड़कें आवश्यक हैं जिन पर रोक लगा दी गयी थी और मैंने नियम–51 की सूचना के माध्यम से पूर्व की स्थिति को लागू करने का अनुरोध किया था । माननीय मंत्री जी ने उस शासनादेश का हवाला देते हुये यथावत् लागू करने की बात कही है । मेरा अनुरोध है कि विधायकों की क्षेत्र की जो समस्यायें हैं वह जिला योजना के माध्यम से पुनर्निर्माण का काम सड़कों का हो जाया करता था । जिस शासनादेश को दोबारा से पृष्ठ-पेषण किया गया तो क्या हमारे विधायकों के अनुरोध को मानकर पुनः विचार कर लेंगे ।

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, जिला योजना का पैसा नई सड़कों के निर्माण के लिए होता है । अनुरक्षण और मरम्मत का काम अनुरक्षण मद से होता है । सड़कों के सुधार के लिए मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत एक निधि तैयार हुई है उसमें करीब 100 करोड़ रुपया आ गया है । उसका भी सदुपयोग करेंगे । इसके पश्चात् अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे मार्गों जिनका गन्नों से सम्बन्ध है । जिनको जनप्रतिनिधि चाहते हैं उसके अनुरक्षण के लिए विचार करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से स्पष्ट रूप से चाहा था कि अब तक पुनर्निर्माण के लिए परिव्यय के भीतर अधिकार था। उसको एक शासनादेश के माध्यम से रोक दिया। क्षेत्र की सड़कों का पुनर्निर्माण बन्द हो गया। मंत्री जी ने कहा कि अनुरक्षण मद से किया जायेगा। यह बतायें अनुरक्षण की मद में कितने पैसों का प्राविधान किया है और उन पैसों को अवमुक्त करने का तरीका क्या होगा ? जो शासनादेश पूर्ववत् स्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको हटाने के लिए "हां" या "न" में जवाब दें।

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, जो एन्मूल रिपेयर के लिए पैसा होता है उसके लिए जो मार्ग विकास निधि में रुपया इकट्ठा हुआ है उसका और 50 करोड़ रुपया अनुरक्षण मद का उपयोग करेंगे। तीसरी बात यह कि इसके बाद भी अगर धन की आवश्यकता हुयी है तो अतिरिक्त रुपया जुटाने पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, डा० साहब ने यह जानना चाहा है कि जो अनुरक्षण के ऊपर प्रतिबन्ध जिला योजना में लगा है क्या उसको समाप्त करने के लिए पुनर्विचार करेंगे।

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, बात सिर्फ उन सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत की है। अनुरक्षण खण्ड का जो 50 करोड़ रुपया है और सड़क निधि से 100 करोड़ कुल 150 करोड़ रुपया है। इसके पश्चात् भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः विचार करेंगे।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

डा० साहब अब तो उत्तर आ गया है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यदि जिला योजना में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव शासन को भेज दें कि हम अपने यहां से अपने निर्धारित परिव्यय में पुनर्निर्माण के कामों में इतना परिव्यय करना चाहते हैं तो क्या सरकार इसको स्वीकार कर लेगी ?

श्री राम प्रसाद कमल–

जो आपने पूछा था उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। वह उत्तर मैं समझता हूं कि पर्याप्त है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह रटा रटाया जवाब है जो ब्यूरोक्रेसी द्वारा तैयार किया गया है।

मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पंचायतों को 10 विभाग देने की बात कही है लेकिन जिला योजना के पैसे को सरकार अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपने जानना चाहा था वह उत्तर आ गया है अब आप मंत्री जी को मजबूर तो नहीं कर सकते हैं।

श्री राम प्रसाद कमल–

मैंने डाक्टर साहब की भावनाओं के अनुकूल ही उत्तर दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप परीक्षण करा लें।

जनपद बागपत में बिनौली से अमीर नगर सराय तथा बड़ौत से बुढ़ाना मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री समर पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बागपत के बड़ौत बुढ़ाना मार्ग में...

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

...[किसानों की जमीन में केवल ग्राम बामनौली के किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे का आंशिक भुगतान शेष था जिसे भुगतान किये जाने हेतु रु० 6,77,300.00 का आवंटन मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या–630सी/27सी/96, दिनांक 19 फरवरी, 1999 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को किया जा चुका है। इसी जनपद के बिनौली से अमीरनगर सराय मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।]

मेरठ स्थित पशु वधशाला (कमेले) में लाइसेन्स द्वारा निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध किए जाने तथा दिल्ली/हापुड़ से हड्डी तथा मांस लाकर वहां चर्बी पकाने का काम अवैधानिक रूप से किए जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक अत्यधिक संवेदनशील विषय पर इस सदन के समक्ष मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विषय स्पेशफिक मेरठ स्थित पशु वधशाला (कमेले) में लाइसेन्स द्वारा निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं के वध से संबंधित है लेकिन कमोवेश यही स्थिति हर नगर निगम में है। यह समस्या किसी एक जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी लिंग विशेष से संबंधित नहीं है यह सम्पूर्ण मेरठ महानगर की जनता की कठिनाई है। वहां जिस तरफ वायु देव की कृपा हो जाती है। जिस तरफ हवा का बहाव हो जाता है। उस तरफ की सारी आबादी दुर्गन्ध के कारण उनका जीना, खाना पीना दूभर हो जाता है। इस विपरीत परिस्थिति में मेरठ नगर निगम क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। यह इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस प्रकरण पर एक बार मेरठ में अन्सारी, कुरेशी विवाद हो चुका है और धारा 147, 148, 504, 506, 302, 307 के मुकदमें कायम हो चुके हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 13 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है।

इस प्रकरण पर मैंने 22-9-98 को नियम 301 में सूचना दी थी। अभी उसका उत्तर अप्राप्त है। इसी विषय में सदन में मैंने 24-4-98 को प्रश्न किया था उसका मंत्री जी ने जवाब दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है। अभी तत्काल 12 फरवरी, 1999 को मैंने नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न–3 किया था कि क्या

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार को जानकारी है कि मेरठ स्थित पशुवध शाला (कमेले) में लाइसेन्स से निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध हो रहा है ? क्या यह सही है कि दिल्ली/हापुड़ से भी हड्डी मांस लाकर चर्बी पकाने का काम हो रहा है । काम अवैधानिक तौर पर वहां हो रहा है जिससे बदबू से वहां की जनता कष्ट में है ? क्या वहां जन स्वास्थ्य तथा शांति व्यवस्था को गंभीर खतरा बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पशुवधशाला के लिए समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर सोचा समझा आया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अगर यह जानना चाहूं, जैसा कि उत्तर दिया गया "जी नहीं " तो फिर रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, दिल्ली, गाजियाबाद और बिजनौर से ट्रकों में जो टनों हड्डियां, मांस व चर्बी आई, जिसे जनता के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने मेरठ बाई पास के पास गड्ढे खुदवाकर आठ दिन तक लगातार उसे दबाया । मैंने पहले भी कहा कि शांति व्यवस्था तक को खतरा हुआ है । जिला मजिस्ट्रेट ने जो पत्र इस संबंधत में एक पत्र डा० सी० एम० भट्ट, सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को लिखा, उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं । "महोदय, अवगत कराना है कि मेरठ शहर में चल रहे कमेले में जानवर तो काटे ही जाते हैं, इसके साथ ही साथ बाहर से जानवरों का कचरा, हड्डी, चर्बी व मांस आदि भी इसमें आता है, जिसके इनके द्वारा अवैध तरीके से काटा जाता है । मैंने पूछा था कि दिल्ली/हापुड़ से हड्डी तथा मांस लाकर वहां चर्बी पकाने का अवैधानिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, इसका उत्तर आया "जी नहीं" जिला मजिस्ट्रेट पत्र लिख रहे हैं । उन्होंने आगे लिखा है जिसे इनके द्वारा अवैध तरीके से उबाला जाता है ।

मेरठ नगर में कुछ फैक्टरियां मीट प्रोसेसिंग का काम करती हैं तथा विदेशों में भी मीट भेजा जाता है किन्तु इनके पास वेस्ट (अप्रयुक्त) के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इन फैक्टरियों से यह लोग हड्डी, चर्बी, कचरा व मांस आदि खरीदकर अपनी भट्टियों पर उबालते हैं जिससे वहां के वातावरण में अत्यधिक बदबु फैल रही है और कमेले के पास रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय हो गया है । मैंने जब प्रश्न किया कि बदबू आती है तो उत्तर आया "जी नहीं" वहीं पर जिला मजिस्ट्रेट लिख रहे हैं कि बदबू के कारण लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है । उन्होंने आगे लिखा है–उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है । मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि वहां के लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस रहे हैं । इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है । इस संबंध में थानाध्यक्ष लिसाडीगेट की आख्या दिनांक 1-2-99 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । जब मैंने प्रश्न किया कि इससे शान्ति-व्यवस्था को खतरा बन गया है तो उत्तर आया "प्रश्न ही नहीं उठता" ।

जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं कि जीवन नारकीय हो गया है और लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है । उन्होंने आगे लिखा है–इस कृत्य में 24 लोगों द्वारा 197 भट्टियां युक्त की जा रही हैं । यह सब इस वीडियो कैसेट में है । जिधर को वायु बहती है, उधर को ही बदबू फैल जाती है और उधर के लोग खाना नहीं खा सकते हैं । आज इस बदबू के कारण 40 परसेन्ट लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं । उन्होंने आगे लिखा है कि प्रकरण की गम्भीरता एवं जन स्वास्थ्य को होने वाली हानि को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें । मान्यवर, मेरी बात शत-प्रतिशत सही है । इस संवेदनशील सरकार में यह कठिनाई है कि विधायक के उत्तर देने में जो काम किया जा रहा है, उससे जनता के कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, इस कमेले से निकलकर टनों खून इतने मोटे पाईप से निकलकर नाले में जा रहा है जो गांव के बीच से होकर जाता है । जानवरों की बड़ी-बड़ी आंते जो पाईप से निकलकर नाले में आती हैं, उससे वहां का जल प्रवाह भी अवरुद्ध हो जा रहा है यह सब इस कैसेट में है । जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र में आगे लिखा है–कमेले के आसपास के निवासित लोगों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने की

दिशा में समुचित सार्थक प्रयास करेंगे । कृपया इस संबंध में कृत कार्यवाही से अधीहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ।

आज अगर उस पेटे केनाले में प्रवाह पर रोक लगा दी जाय तो मेरठ महानगर में पानी का ओडियन नाला है प्रवाह 25–40 प्रतिशत बढ़ जायेगा जिससे वहां जल भराव की समस्या का निदान हो जायेगा । लेकिन इसका निदान बार-बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया है । इस पर भी दुर्भाग्य यह कि नगर निगम में कमेले की नियमावली 1956 की लागू है । इलाहाबाद में, लखनऊ में और गोरखपुर में नई नियमावली बन गई लेकिन हमारे यहां कमेले का ठेका देने के लिये 1956 की नियमावली आज भी लागू है । उस नियमावली में यह प्राविधान नहीं है । मेरठ में आवश्यकता 100–125 पशु कटान का है लेकिन वहां प्रतिदिन 400–500 पशु प्रतिदिन काटे जा रहे हैं । जब वहां उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नियमावली के लाइसेंस के ठेके की शर्तों में इसका उल्लेख नहीं है । उन्होंने कहा कि हड्डी और चर्बी पकाना गलत है लेकिन हमारी शर्तों में नहीं है ।

मान्यवर, यह ठेका किस प्रकार दिया गया है । यह देश और विदेश की सरकार के साथ समझौता नहीं था । 5 और 10 साल का दीर्घकालीन समझौता होगा । 10 साल का ठेका 1 अप्रैल, 1994 को दे दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । इसी आधे घंटे में माननीय मंत्री जी का उत्तर आना है और कोई अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो वे भी बोलेगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

1 अप्रैल, 1994 को ठेका दे दिया गया । मान्यवर, ठेका 10 साल का दे दिया गया जब कि नगर निगम का कार्य काल 5 साल का है । और उस ठेके की शर्तों में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया कि कितने जानवर कटेंगे । निकली हुई गदरवेस्टा की क्या व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मेरठ के कमेले के नवीनीकरण का एक प्रस्ताव भारत सरकार को गया है । पशु धन विभाग में मेरठ से एक प्रस्ताव आया 8 करोड़ 20 लाख रुपये का मेरठ के कमेले के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है । मेरठ हापुड़ रोड पर पिपलीखेड़ा से 4 कि० मी० काली नदी के किनारे आज तीन साल के प्रयास के बाद भी 10 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पशु धन विभाग नहीं कर सका है । भारत सरकार को हमारे यहां से योजना चली गई । भारत सरकार को आधा पैसा देना है । 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और शेष नगर निगम और उसके ठेकेदार को लगाना है । ठेके के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ठेके की शर्तों में यह था जो अप्रैल, 1994 को हुआ था कि 80 प्रतिशत पैसा नवीनीकरण पर ठेकेदार व्यय करेगा और 20 प्रतिशत नगर निगम को मिलेगा इस तरह से 1 करोड़ 36 लाख बकाया है । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि यह प्रकरण जनहित का है जन स्वास्थ्य के हित का है इस पर कार्यवाही का निर्देश कर दें । हड्डी और चर्बी का पकाया जाना कमेले के ठेके का अंग नहीं है अतः इसको तुरन्त रोका जाय और एक सप्ताह के अन्दर वहां के लिये भी नियमावली बनायें चाहे उसके लिये लखनऊ, इलाहाबाद या गोरखपुर को नियमावली का अनुसरण करें । कटान स्थानीय आवश्यकता के अनुसार हो । बाहर से हड्डी, चर्बी और खून लाकर पकाने का काम तत्काल बन्द किया जाय । कमेले की गन्ध को तत्काल बन्द किया जाय । । करोड़ 36 लाख रुपये की वसूली की जाय और जमीन का अधिग्रहण किया जाय ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मेरठ नगर निगम की गम्भीरता समस्या की ओर माननीय बाजपेई जी ने ध्यान आकृष्ट किया । इस सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 1994 में एक अनुबन्ध नगर निगम और उसके

ठेकेदार के साथ हुआ था जिसमें 10 वर्ष के लिये उस कमेले को चलाने के लिये ठेका दिया गया था। मान्यवर, मा० सदस्य ने यह जानकारी शासन के संज्ञान में लाये तो जो अग्रीमेन्ट स्थानीय स्तर पर मुख्य नगर अधिकारी और संबंधित ठेकेदार के बीच में हुआ था उसमें कुछ कमियां रह गयीं थीं। विशेषकर जो नियम और उप नियम नगर निगम को बनाना चाहिए था उसमें विस्तार से जानकारी नहीं दी गयी थी जिसका लाभ उठाकर कमेले का संचालन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात, जो कमी, इस प्रकरण में मा० सदस्य ने शासन के संज्ञान में लाकर दिया है उसको गम्भीरता से लेकर जो भी अवैध रूप से वहां निर्धारित संख्या से अधिक पशुओं का वध किये जाने तथा हड्डी एवं मांस लाकर वहां चर्बी पकाने का काम जो हो रहा है उसको बंद कराया जाएगा चूंकि कमेले में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बाहर से जो माल लाकर पकाया जाता है उसको भी संज्ञान में लेकर मांस या हड्डी बेची जाय इसकी भी अनुमति नहीं दी जा सकती है और शासन ने इस पर रोक लगाया है।

एक अग्रीमेंट जो नगर निगम ने इसके लिए शर्तें निर्धारित करना आवश्यक है उसके लिए 15 दिनों में नियम और उप नियम बना कर उनका पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। मान्यवर, इस बात की भी ध्यान रखा जायेगा कि जो खून उस नाले में बहाया जा रहा है। इसको तत्काल रोका जाय। मेरठ में जो मांस की आवश्यकता है उसको देखते हुए और कमेले की क्षमता को देखते हुए नियमों के अन्तर्गत नगर निगम से अपेक्षा करते हुए इस प्रकार के नियम बनायें जिनका अनुपालन ठेकेदार को करना आवश्यक होगा।

मान्यवर, मैं एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 80 प्रतिशत धन ठेकेदार के कमेले के सौन्दरीकरण के लिए देना था लेकिन निर्माण न होने के कारण जो पैसा देना चाहिए था न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण वह नहीं दिया गया। न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण मैं इसमें विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम मेरठ से कहूंगा कि वह बकाये को वसूल करें।

मान्यवर, मैं एक बात और सदन की जानकारी में लाना चहता हूं कि 8.2 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट मेरठ नगर से दूर बनाने की योजना है, भारत सरकार के पास इस वधशाला का प्रस्ताव लम्बित है किन्तु आवश्यकता को देखते हुए उनसे प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द नगर निगम मेरठ उसे बनाने की बात करे। मान्यवर, नगर निगम मेरठ को निर्धारित शर्तों को तय करने हेतु 15 दिनों का समय लग जायेगा, इसलिए इन दिनों तक के लिए माननीय सदस्य से निवेदन है जो गलत होगा उसे कत्तई नहीं रहने दिया जायेगा और जो ठीक होगा उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी।

धन्यवाद।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरठ की समस्या को संज्ञान में लिया है और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्क–II के हैण्डपम्पों के अनुरक्षण की व्यवस्था के विषय में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–15 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 06 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये ता०–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

सूची

क्रमांक	मा० मंत्री का नाम	मंत्री के रूप में आवंटित आवास	विधायक के रूप में आवंटित आवास
1	2	3	4
1	श्री ओम प्रकाश सिंह	4–माल एवेन्यू	ए–106, ओ०सी०आर०
2	श्री नरेन्द्र सिंह गौर	16–कालीदास मार्ग	701, बहुखण्डी मंत्री आवास
3	श्री रमापति शास्त्री	9–कालीदास मार्ग	एफ–8, विधायक निवास–6
4	डा० नेपाल सिंह	आर०एस०–20, टाइप–6 फेज–2, गोमती नगर ।	21 विधायक निवास–2, पु०
5	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	11–माल एवेन्यू	29/30, विधायक निवास–5
6	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	17–विक्रमादित्य मार्ग	29–विधायक निवास–1
7	श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव	6–कालीदास मार्ग	ए–102, ओ०सी०आर०
8	चौ० नरेन्द्र सिंह	8–कालीदास मार्ग	जे–1/2, डालीबाग
9	श्री राम कुमार वर्मा	आर०एस०–8, फेज–2 टाइप–6, गोमतीनगर ।	डी–7, बटलर पैलेस
10	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	आर०एस०–27, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर ।	1103, बहुखण्डी मंत्री आवास
11	श्री सरदार सिंह	2–नया मंत्री आवास विक्रमादित्य मार्ग ।	75–ए, विधायक निवास–1
12	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'	आर०एस०–1, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर ।	बी–1103, ओ०सी०आर०
13	श्री चौ० लक्ष्मी नारायण	आर०एस० 5, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर ।	बी–115, विधायक निवास –2 नया
14	श्री मण्डलेश्वर सिंह	आर० एस०–3, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर ।	55 विधायक निवास–2, पु०
15	श्री बाबू राम	आर०एस०–7, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर ।	61 विधायक निवास–5
16	श्री शिवाकान्त ओझा	आर०एस०–19, फेज–2 टाइप–6, गोमती नगर ।	बी–303, वि०नि०–3
17	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	ए–10, कालीदास मार्ग	डी०–5, विधायक निवास–6
18	श्री राजाराम पाण्डेय	आर०एस०–22, फेज–2, टाइप–6, गोमती नगर	122, विधायक निवास–2 नया

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०–74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अम्बिका चौधरी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–74 का विवरण

योजना/मार्ग का नाम :

क्रमांक	जिला योजना (सामान्य) मार्ग का नाम
1	इब्राहीम पट्टी से भिंड खुंटा
2	इब्राहीम पट्टी से नेमडीड सेमरी वाया भीपुरा मार्ग
3	शाहपुर तेलमा जमालुद्दीन-किशोरगंज मार्ग
4	रामपुर हजिया से हजिया रामपुर
5	हल्दीरामपुर से किशोर गंज मार्ग
6	सियर चराउमा से कसेसर मार्ग
7	बरानी इब्राहीम पट्टी मार्ग
8	सीयर सोनाडीह मार्ग से भिंडकुण्ड पट्टी से दो सम्पर्क मार्ग
9	रणा नगरा तुरतीपार मार्ग से सम्पर्क मार्ग
10	सियर सोना डीह से पतनापरी मार्ग
11	एकइल सरैया मनोबीर छितौना मार्ग
12	मधुबन बन्थरा से वि०आ० सम्पर्क मार्ग
13	भिमपुरा बेलौली से उधरन मार्ग
14	ढकवारी भिलुपुरा किशोरगंज
15	छितौना कैम्प से करनी नरला मार्ग
	जिला योजना (सामान्य) अम्बेडकर मार्ग का नाम–
1	अखोप कंडल नहर की पटरी से अखोप सम्पर्क मार्ग
2	सिकन्दरपुर रजबहा से बहुता तक उपाध्याय अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग
3	असड़िया रामपुर से बरौली अम्बेडकर मार्ग
4	डी०पी०सी० कैनाल से परदहा उर्फपुरा मार्ग
5	शाहपुर अपड़ा पडसरा नदौली सम्पर्क मार्ग
6	नगरा घोसी से बरौली गांव तक
7	डी०पी०सी० मार्ग से इन्हौली मलकानी मार्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	नगरा बरौली से औराईकला सम्पर्क मार्ग
9	आर०ए०एन०टी० रुपवार भगवानपुर मार्ग,
10	नगरा बरौली मार्ग से सम्पर्क मार्ग
11	नगरा बरौली मार्ग आरीपुर सरैया मार्ग
12	नगरा बराली से अवराई कला सम्पर्क मार्ग
13	नगरा बरौली से सिकन्दरपुर मार्ग

राज्य सेक्टर–

सीयर एवं नगरा विकास खण्ड में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत इस खण्ड में कोई मार्ग निर्माणाधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–125 का संलग्नक

क्र०	मार्ग का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृति का सन्दर्भ
1	मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग से हलपुरा मार्ग	मैनपुरी	शासनादेश संख्या-
2	बिछिया-ओराई मार्ग से अंश मार्ग	,,	6437ई/23-11-
3	इटावा-मैनपुरी मार्ग से काकन	,,	97102ई/95टीसी
4	गागसी ब्रिज से गागसी ग्राम तक	,,	दिनांक 25-9-97
5	शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग से नौनेर लिंक मार्ग	,,	एवं शासनादेश
6	गोला बाजार से सिकन्दरपुर	,,	सं०-7152ई/23–
7	मैनपुरी-ज्योंती मार्ग से गड़ेरी मार्ग	,,	लो०नि०-11–97-
8	मैनपुरी-ज्योंती मार्ग से ईकरी	,,	102ई/95टी०सी०
9	मैनपुरी–ज्योंती मार्ग से कमहरौआ	,,	दि० 22-11-97
10	राष्ट्रीय मार्ग नं०-2 से खेड़ा महान	करहल	द्वारा प्रशासकीय
11	बुडिया-उत्थान मार्ग से बिटावली	,,	एवं वित्तीय
12	बरनाहल कीरतपुर से तालिबपुर	,,	स्वीकृति प्रदान
13	कैथोली-विशुनगढ़ मार्ग से इन्दरपुर सुजानपुर	किशनी	की गयी ।
14	तिपुलेक-भिण्ड मार्ग से नुनारी मार्ग	,,	
15	मैनपुरी-कुसमरा मार्ग से सकरा	,,	
16	ऊंचा-इस्लामाबाद से तारिहा मार्ग	,,	
17	गढ़िया-गोविन्दपुर से जसरथपुर	भोगांव	
18	शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग से उद्देतपुर नरेनी मार्ग	,,	

कलराज मिश्र
मंत्री
ला० निर्माण विभाग ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 146 विधान सभा (000)-1999-813 (डी०टी०पी०) ।